



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या ३

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर**

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या—३

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(iii)-(iv)
विहंगावलोकन		(v)-(xiii)
अध्याय—1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	1	1-13
अध्याय—2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	15-38
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा	2.2	39-62
अध्याय—3		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3	
सरकारी कम्पनियाँ		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	3.1	63-65
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी)		
रियायतग्राही से बकाया राशि की वसूली न होना	3.2	65-67
सरकारी निधि का अनधिकृत अवधारण और आयकर का अतिरिक्त भुगतान	3.3	67-68
रियायत अनुबंध निरस्त करने में विलम्ब से हानि	3.4	68-70
रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क और उसपर ब्याज न वसूला जाना	3.5	70-71
मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल)		
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया जाना	3.6	72-73
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल)		
दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय	3.7	73-74
जल प्रभार का परिहार्य व्यय	3.8	75-76
मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीट्राईफैक)		
आयकर का परिहार्य भुगतान	3.9	76-77
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीमध्यक्षेविविक)		
कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली	3.10	77-78
सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ब्याज आय की हानि	3.11	78-79

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	विवरण		
1.1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को अद्यतन अंशपूँजी तथा बकाया ऋण का विवरण	1.1 एवं 1.5	81-86
1.2	31 दिसम्बर 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जिनके लेखें तीन वर्ष से अधिक बकाया नहीं हैं) की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम	1.1	87-89
1.3	31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील व अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की बकाया स्थिति	1.9	90-92
1.4 (अ)	मध्य प्रदेश के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों के नाम	1.9	93-98
1.4 (ब)	वह अधिकारी जो ऐसे एक से अधिक उपक्रमों में निदेशक हैं जिनके लेखे बकाया हैं	1.9	99-101
1.5	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंशपूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2017 को बकाया थे का विवरण	1.11	102-103
1.6	अद्यतन वर्ष जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों (जिनके तीन वर्ष से अधिक के लेखे लंबित नहीं हैं) के सारांशित वित्तीय परिणाम	1.12	104-112
1.7	विद्युत विरतण कम्पनियों द्वारा उदय योजना का क्रियान्वयन	1.23	113-114
1.8	2015–16 से 2017–18 के दौरान कम्पनी द्वारा आयोजित प्रतिनिधि मंडल के विदेश दौरों का विवरण	1.24	115
2.1.1 (अ)	पांच वर्षीय योजना में परिकल्पित, लेकिन वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित नहीं किए गए कार्य	2.1.12	116-119
2.1.1 (ब)	पांच वर्षीय योजना में परिकल्पित न किये गए किन्तु वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किए गए कार्य	2.1.12	120-121
2.1.2	मेसर्स आइसोलक्स को प्रदत्त अनुबंध में सम्मिलित कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति	2.1.22	122-123
2.1.3	220 केव्ही सब-स्टेशनों से बिजली प्रदाय करने हेतु ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यों में देरी	2.1.25	124
3.1	एमपीआरडीसी द्वारा रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क की कम वसूली और देरी से हुए भुगतान पर ब्याज वसूला न जाना	3.5	125-126

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशनों में ईधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा के परिणाम एवं 15 उपक्रमों की लेन देन लेखापरीक्षा के आधार पर ग्यारह कंडिकाए सम्मिलित हैं।

सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती हैं। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा सत्यापित लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा सम्पादित की जाती है और सीएजी अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरित करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सीएजी तीन सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन अधिनियम, 1950 के अनुसार सीएजी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। स्टेट फाइनेंसियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संपादित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी को मध्य प्रदेश वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा संपादित करने का अधिकार है। वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संपादित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संपादित करते हैं।

सीएजी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—अ के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों पर प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को जारी किया जाता है।

यह प्रतिवेदन निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है :

1. मध्य प्रदेश के 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे 1990–91 से लंबित हैं। कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखे संधारित करने में विलंब/असंधारण के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
2. विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले उन 57 उपक्रमों ने राज्य शासन की 6.72 प्रतिशत की औसत ऋण लागत के विरुद्ध औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया। जिसके परिणामस्वरूप, केवल विगत तीन वर्षों में ही सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की विचारमूलक हानि हुई। शेष 15 उपक्रमों, जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, को आंकित नहीं किया जा सका।
3. मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में उनके ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

4. वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 क्रियाशील कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाणपत्र दिये। 15 कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे, जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।
5. यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर राज्य शासन ने ऐसे तीन कार्यशील उपक्रम, जिनके 2014–15 से 2016–17 के लेखे बकाया थे, को 2016–17 के दौरान ₹ 120.93 करोड़ की बजटीय सहायता और एक अकार्यशील उपक्रम को ₹ 0.73 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।
6. राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के 17 वर्ष बाद भी ₹ 36.98 करोड़ की अंश पूंजी व ऋण वाली छह उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों का विभाजन उत्तराधिकारी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पूर्ण नहीं कर सकी।
7. विद्युत वितरण कम्पनियाँ उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत चिह्नित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।
8. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर हुई निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 2,458.51 करोड़ मूल्य के 25 टर्नकी कार्य अनुबंध और 13 अन्य कार्य अनुबंध सम्मिलित किये गए। इन कार्यों के निष्पादन में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे और इसके परिणामस्वरूप योजना और निष्पादन के सभी चरणों में अत्याधिक देरी और कमियां हुईं।
9. 2014–17 के दौरान मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सभी चार थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशनों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि कम्पनी के ईंधन संबंधी मामलों में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे जिसके कारण ईंधन की योजना, क्रय और खपत में अनियमितताएं हुईं।
10. ₹ 8.39 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क न वसूले जाने और 12 रियायतग्राहियों से देरी से हुई वसूली पर ₹ 4.01 करोड़ के ब्याज न लगाए जाने, महंगी बिजली की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय, जल प्रभार पर ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय और सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ₹ 9.79 करोड़ की ब्याज आय की हानि के प्रकरणों को प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा को सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखों पर विनियम, 2007 एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय—1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों की सामान्य जानकारी,

अध्याय—2: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, और,

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

अध्याय—3: उपक्रमों पर लेन देन लेखापरीक्षा की 11 कंडिकाएँ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,150.74 करोड़ का है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

मध्य प्रदेश में 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) हैं। 31 मार्च 2017 को इन उपक्रमों में किया गया निवेश (अंश पूँजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 81,529.50 करोड़ था। विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन के निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र (₹ 27,618.74 करोड़) में था।

72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 52 सरकारी कम्पनियाँ व दो सांविधिक निगम, कार्यशील उपक्रम हैं। 18 अकार्यशील उपक्रमों में 17 सरकारी कम्पनियाँ व एक सांविधिक निगम हैं।

72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 15 उपक्रमों के 1990–91 के बाद के तीन वर्ष या उससे अधिक के लेखे बकाया थे। लेखों के अंतिमिकरण में देरी/अभाव के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

ऐसे 57 उपक्रम जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखे अंतिमिकृत किए उनके अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार 29 उपक्रमों ने ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19 उपक्रमों ने ₹ 5,625.52 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष नौ उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि। इन 57 उपक्रमों ने ₹ 77,588.17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

ऐसे 57 उपक्रम जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखे अंतिमिकृत किए, के द्वारा राज्य शासन के निवेश (प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय व दीर्घावधि ऋण) पर औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 6.72 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले इन 57 उपक्रमों में निवेश करने के कारण, सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की हानि हुई। शेष 15 उपक्रमों, जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, को आंकलित नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 तथा 1.10)

लेखों के अंतिमिकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक, कम्पनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जिसके

तहत कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक वर्ष तक की कैद या कम से कम ₹ पचास हज़ार से ₹ पाँच लाख तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

31 दिसम्बर 2017 को 54 कार्यशील उपक्रमों में से मात्र 25 उपक्रमों ने 2016–17 के अपने लेखों का अंतिमिकरण किया एवं शेष 29 उपक्रमों के 54 लेखे एक से 13 वर्ष तक से बकाया थे। 18 अकार्यशील उपक्रमों में से पाँच उपक्रम परिसमापनाधीन थे एवं शेष तीन उपक्रमों के 42 लेखे छह से 27 वर्षों से बकाया थे। राज्य सरकार ने 17 कार्यशील उपक्रमों में ₹ 13,977.68 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूंजी, ऋण, अनुदान एवं सब्सिडी) उस अवधि में दी, जब उनके लेखे बकाया थे। इसमें से ₹ 266.77 करोड़ की बजटीय सहायता, उन तीन उपक्रमों को दी गयी थी जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

राज्य सरकार की लाभांश नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि, 2014–17 के अपने नवीनतम अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, जिन 29 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया था, उनमें से मात्र चार उपक्रमों ने ही ₹ 43.38 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया और मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए, लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में अपने ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

(कंडिकाएँ 1.9, 1.10, 1.11 तथा 1.14)

अनुशंसाएँ

- वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के उपक्रम अपने लेखों को अद्यतन बनाने के लिए त्वरित कदम उठाएँ, ताकि इन उपक्रमों के निदेशक, कम्पनी अधिनियम व सांविधिक निगमों के प्रासंगिक अधिनियमों के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।
- वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता उन उपक्रमों को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं हैं।
- राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को लाभांश नीति लागू होने की दिनांक (जुलाई 2005) से बकाया लाभांश (₹ 474.46 करोड़) को सरकारी खाते में जमा कराने हेतु आदेश देना चाहिए।

अकार्यशील उपक्रमों का समापन

18 अकार्यशील उपक्रमों (17 कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) में से पांच उपक्रमों¹ ने विगत एक से 27 वर्ष के दौरान परिसमापन प्रक्रिया आरंभ कर दी थी जो परिसमापक के पास लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सङ्क परिवहन निगम का परिसमापन करने का प्रस्ताव भेजा था (फरवरी 2005)। यद्यपि, भारत सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया (नवंबर 2009) और निगम के पुनर्गठन/पुनः प्रवर्तन के लिए सलाह दी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई अभी भी लंबित है एवं मध्य प्रदेश सङ्क परिवहन निगम अभी भी अकार्यशील सांविधिक निगम है। क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड और एसईजेड इंदौर लिमिटेड के उनकी नियंत्रक कम्पनी {मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड} के साथ संविलयन के आदेश जारी किए

¹ दादा धुनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड और आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड।

जा चुके हैं (जनवरी 2018) और राज्य सरकार ने अभी तक ₹ 14.69 करोड़ के नेट वर्थ² वाले शेष 10 कम्पनियों³ के समापन/पुनः प्रवर्तन पर फैसला नहीं लिया है।

(कंडिका 1.16)

अनुशंसाएँ

- क्योंकि घाटे में चल रहे व अकार्यशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी नुकसान होता है, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि: (1) सभी घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्य पद्धति का अवलोकन करे (2) अकार्यशील उपक्रमों के समापन की संभावना की समीक्षा करे; तथा (3) अकार्यशील उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के विभागों में रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सम्भावना का आँकलन करे, जैसा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
- चूँकि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सङ्क परिवहन निगम के पुनर्गठन की सलाह देने के दस वर्ष व्यतीत होने के बावजूद, पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार अविलम्ब से समीक्षा करे कि क्या निगम का पुनर्गठन करना संभव है, जैसा कि भारत सरकार की सलाह थी। राज्य सरकार को 10⁴ अकार्यशील उपक्रमों के परिसमापन पर निर्णय की व्यवहार्यता का आँकलन करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

लेखों के संधारण की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। 15 कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे, जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

(कंडिका 1.17)

अनुशंसा

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 18 कम्पनियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित टिप्पणियां दी गई हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

प्रचलित निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को चाहिए कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर जमा करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 तक कोई बैकलोग नहीं था। 24 मार्च 2017 को विधान सभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 में सम्मिलित 18 कंडिकाओं/समीक्षाओं में से दो कंडिकाओं/समीक्षाओं पर दो विभागों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग) से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी भी अप्राप्त थी (मार्च 2018)।

(कंडिका 1.19)

² प्रदत्त पूँजी + संचय व आधिक्य – संचित हानियाँ

³ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या सी३, सी५ एवं सी८ से सी१५

⁴ 18 अकार्यशील उपक्रम (घटायें) परिसमापनाधीन पांच उपक्रम (घटायें) एक उपक्रम जिसके पुनः प्रवर्तन का भारत सरकार ने सुझाव दिया है (घटायें) सम्बिलयनाधीन दो उपक्रम।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

1 नवंबर 2000 से प्रभावी तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में विभाजन के परिणामस्वरूप 19 उपक्रमों⁵ (तब मौजूदा 28 उपक्रमों⁶ में से) की संपत्तियाँ और देनदारियां, उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थीं। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 उपक्रमों⁷ के संबंध में ही विभाजन पूरा किया जा सका।

(कंडिका 1.22)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

चिह्नित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसकी सहायक कम्पनियों की ओर से अर्थात् तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों नामतः, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपश्चिमक्षेविविक), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपूर्वक्षेविविक) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रमध्यक्षेविविक) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (अगस्त 2016)।

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियाँ कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हास में कमी और संग्रह दक्षता के वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में विफल रहीं। परिचालन लक्ष्य (अविद्युतीकृत परिवारों तक बिजली पहुंचाने, ग्रामीण फीडरों का मिटरीकरण और ग्रामीण फीडरों के अंकेक्षण) सभी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। यद्यपि, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरीकरण व एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्यों के सन्दर्भ में विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। साथ ही, मप्रपूर्वक्षेविविक और मप्रमध्यक्षेविविक फीडर विभक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं।

(कंडिका 1.23)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जबलपुर की स्थापना नवंबर 2001 में ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में एक कुशल, पर्याप्त और उचित समन्वित ट्रांसमिशन प्रणाली प्रदान करना है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी की अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों (132 केव्ही, 220 केव्ही और 400 केव्ही) के निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान सब-स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बन्धित परियोजनाओं का सूत्रीकरण और योजना, क्रय, निर्माण और स्थापना सम्मिलित हैं।

⁵ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियों अब अस्तित्व में नहीं हैं)

⁶ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए8, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1, सी4 एवं सी5 (शेष छह कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

⁷ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए14, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए47 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

कम्पनी में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने की प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की निगरानी की कमी थी। नतीजतन, काम के निष्पादन के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे राईट ऑफ वे, भूमि अधिग्रहण, कार्यों के निष्पादन में देरी और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन आदि पर निदेशक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.9)

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के कार्यान्वयन में देरी के कारण, परियोजनाओं की योजना तथा निगरानी, व्यावसायिक सूचना रिपोर्टिंग की मजबूती, वर्कफ्लो में सुधार तथा दक्षता में वृद्धि सहित परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

(कंडिका 2.1.10)

योजना और परियोजना अवधारणा

पूंजी व्यय हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की। वार्षिक पूंजी व्यय योजनायें, निदेशक मंडल और एमपीईआरसी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी। पांच वर्षीय योजना में परिकल्पित कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित ना किए जाने, अनुमोदित डीपीआर में लक्षित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना तथा कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण, कम्पनी पांच वर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

(कंडिका 2.1.11 तथा 2.1.12)

परियोजना क्रियान्वयन तथा निष्पादन

कार्यों के विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, लेखापरीक्षा अवधि में कम्पनी, ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की वांछित कमी से वंचित रही। खराब निष्पादन के मुख्य कारण, विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना, भूमि की उपलब्धता के बिना कार्यादेश देना, लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ, एक ठेकेदार को एक साथ अनेक ठेके जारी करना, ठेकेदारों द्वारा टर्नकी ठेके के निष्पादन में खराब प्रदर्शन थे।

(कंडिका 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21 तथा 2.1.22)

वितरण कम्पनियों द्वारा नौ सब-स्टेशनों को फीडरों से नहीं जोड़ा गया तथा वितरण कम्पनियों द्वारा सम्बंधित लाइनों के निर्माण न करने के कारण छह सब-स्टेशनों को फीडरों से चार से 18 माह के विलम्ब से जोड़ा गया। नतीजतन, ये सब-स्टेशन काफी अवधि के लिए अप्रयुक्त रहे और अतिरिक्त भार की मांग को पूर्ण करने और क्षेत्र की वॉल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(कंडिका 2.1.24)

तीन 220 केव्ही सब-स्टेशनों के निर्माण के साथ सम्बंधित 132 केव्ही ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को सिंक्रोनाइज न करने के कारण, सब-स्टेशनों पर भार कम था तथा सब-स्टेशन कम उपयोगित रहे।

(कंडिका 2.1.25)

ईशागढ—गुना लाइन पर ₹ 6.16 करोड़ का निवेश वैकल्पिक अशोकनगर—ईशागढ लाइन के निर्माण के कारण निरर्थक रहा। इसके अलावा, 132 केव्ही पनागर—कटंगी लाइन पर मल्टी सर्किट टावरों की अप्रयुक्त स्ट्रिंगिंग पर ₹ 1.25 करोड़ का निष्फल व्यय रहा।

(कंडिकाएँ 2.1.26 तथा 2.1.27)

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन

परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ऋण के आहरण कार्यक्रम का पालन न करने से ₹ 8.29 करोड़ के कमिटमेंट प्रभारों का भुगतान करने की देयता रही। इसके अलावा, बैंक गारंटी (बीजी) में निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण, कम्पनी मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरुद्ध ₹ 25.27 करोड़ की बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में विफल रही।

(कंडिकाएँ 2.1.30 तथा 2.1.31)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- बेहतर कार्य प्रवाह और संचालन की प्रभावी निगरानी के लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बिना किसी देरी के ईआरपी परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाये;
- दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, पांच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं को बनाने के लिए एमपीईआरसी के केपेक्स दिशानिर्देशों का पालन करे;
- विस्तृत सर्वे, मार्ग संरेखण, विस्तृत अनुमान बनाने के बाद ही कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करे जैसा कि लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल में दिया गया है;
- परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, भूमि की पहचान, अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित करे;
- लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देना और ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी को सुनिश्चित करे, ताकि कार्यों का समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके;
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यों को समयानुसार पूर्ण करवाने हेतु खराब निष्पादन वाले ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे;
- सब—स्टेशनों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के सिंक्रोनाइजेशन को सुनिश्चित करे, ताकि स्थापित सब—स्टेशनों के अल्प उपयोग का परिवर्जन किया जा सके।

2.2 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) 4,080 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के चार ताप विद्युत केन्द्र (टीपीएस) संचालित करती है, जिनका प्राथमिक और सहायक ईंधन क्रमशः कोयला और तेल है। 2014–17 की अवधि में कम्पनी ने ईंधन के क्रय पर ₹ 13,263.17 करोड़ व्यय किये, जो कुल उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 2014–17 की अवधि में सभी चार टीपीएस में ईंधन प्रबंधन से संबंधित कम्पनी की गतिविधियों की समीक्षा की।

2014–17 के दौरान कम्पनी द्वारा ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

कोयले की योजना और क्रय

- यद्यपि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च 2016 में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की दो इकाइयों को बंद करने का अनुमोदन दे दिया था, कम्पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी 6.27 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कोयला कम उठाने के लिए ₹ 17.21 करोड़ मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुई।

(कंडिका 2.2.9)

- कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस के लिये अधिक दूरस्थ एसईसीएल के कोयले को निकटवर्ती वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कोयले से विनिमय करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 13.37 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए परिवहन के रूप में ₹ 80.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.10)

- सतपुड़ा टीपीएस में अनुबंधों में कोयले की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने में विफलता के कारण, कम्पनी द्वारा डब्ल्यूसीएल के एक अनुबंध में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण प्रोत्साहन देने एवं अन्य अनुबंध में कोयले के कम उठाव के कारण मुआवजा देने का दायित्व था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.96 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 2.2.11)

- कम्पनी ने 12.68 एलएमटी स्वदेशी कोयले का कम उठाव किया जबकि 1.76 एलएमटी महंगे आयातित कोयले का क्रय किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कोयले का परिवहन

- कम्पनी ने रेलवे को माल भाड़ा भुगतान के लिए बैंकों के साथ केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता नहीं बनाया। परिणामस्वरूप, रेक के डायर्वर्जन के मामले में, रेलवे ने बदले गए गंतव्य के माल भाड़े का अंतर लेने की बजाय दो पूर्ण माल भाड़ा (मूल गंतव्य के लिए एक और बदले गए गंतव्य के लिए दूसरा) एकत्र किया। परिणामस्वरूप 2014–17 के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ जो रेलवे के पास अवरुद्ध रहा। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की।

(कंडिका 2.2.18)

कोयला हैंडलिंग

- कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर कोयला रेक को अनलोड नहीं किया। 7,495 कोयला रेकों में से 4,627 कोयला रेकों (61.73 प्रतिशत) की अनलोडिंग में सभी चार टीपीएस में देरी हुई, जिसके लिए कम्पनी द्वारा रेलवे को ₹ 21.35 करोड़ का डेमरेज शुल्क देना पड़ा। यह मुख्य रूप से ठेकेदारों द्वारा कोयले की अनलोडिंग में देरी और संजय गांधी टीपीएस में कन्वेयर बेल्ट की सीमित कोयला वहन क्षमता तथा वैकल्पिक कोयला मार्ग के निर्माण में देरी के कारण था।

(कंडिका 2.2.22)

कोयले की खपत

- 2014–17 के दौरान सभी टीपीएस में (अमरकंटक टीपीएस में 2015–17 को छोड़कर) वास्तविक स्टेशन ताप दर (एसएचआर) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। अधिक एसएचआर और परिणामस्वरूप अतिरिक्त कोयले की खपत के कारण थे, अपर्याप्त रखरखाव तथा टीपीएस की समय पर ओवरहालिंग सुनिश्चित करने में विफलता, संयन्त्र की आंशिक लोडिंग और तकनीकी मानकों से विचलन। अधिक एसएचआर के परिणामस्वरूप ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

(कंडिका 2.2.26)

ईंधन तेल की खपत

- 2014–17 की अवधि के दौरान, सभी टीपीएस (अमरकंटक टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस पावर हाउस–3 को छोड़कर) ने एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से 20,123 किलो लीटर ईंधन तेल का अधिक खपत किया जिसका मूल्य ₹ 95.80 करोड़ था। यह नियमित स्टार्ट–अप पर तेल की अधिक खपत, बार बार संयन्त्र के बंद होने, आंशिक लोडिंग, कोयला प्रवाह में व्यवधान और कोल मिल के आउटेज के कारण था।

(कंडिका 2.2.30)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को:

- अपने टीपीएस में संचालित इकाइयों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कोयले का आंकलन और क्रय करना चाहिए;
- भविष्य में बंद इकाइयों के कोयले का विनिमय खदानों के नजदीक स्थित बिजली संयन्त्रों के साथ सुनिश्चित करना चाहिए;
- टीपीएस के विभिन्न अनुबंधों के तहत एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज करना चाहिए और कोयला कम्पनियों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि कोयले के कम उठाव/अतिरिक्त आपूर्ति को कम किया जा सके;
- उपलब्ध स्वदेशी कोयले को उठाना चाहिए तथा महंगे आयातित कोयले के क्रय से बचना चाहिए;
- भविष्य में निधि के अवरोध और ब्याज की हानि से बचने के लिए मध्य रेलवे के साथ केंद्रीकृत ई–भुगतान खाता खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए;
- ओ एंड एम/अनलोडिंग अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए और देरी के लिए भविष्य में डेमरेज के भुगतान से बचने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक कोयला मार्ग कार्य को पूरा करना चाहिए;
- एसएचआर और ईंधन तेल के संबंध में एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिये।

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

कुछ महत्वपूर्ण लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है:

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ने रियायत अनुबंध का उल्लंघन कर रियायतग्राही को ₹ 14.98 करोड़ का वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) अनुदान दिया। इसके अलावा, कम्पनी ने ₹ 2.57 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता (आईई) शुल्क की वसूली नहीं की।

(कंडिका 3.2)

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ₹ 8.39 करोड़ की आईई शुल्क और 12 रियायतग्राहियों से विलम्ब से हुए भुगतान पर ₹ 4.01 करोड़ के ब्याज को वसूलने में असफल रही।

(कंडिका 3.5)

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ने स्वीकृत कार्यप्रणाली से विचलन करके टोरेंट पावर लिमिटेड से महंगी बिजली का क्रय किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय और उस सीमा तक आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

(कंडिका 3.6)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने जल संसाधन विभाग के साथ जल आपूर्ति अनुबंध के निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य भुगतान किया।

(कंडिका 3.7)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड दो थर्मल पावर इकाइयों के बंद होने के पश्चात जल की अनुबंधित मात्रा कम करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रभार पर ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट लिकिवड टर्म डिपाजिट (सीएलटीडी) सुविधा का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.79 करोड़ के ब्याज की आय की हानि हुई।

(कंडिका 3.11)

अध्याय—१

अध्याय—1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2017 को राज्य के 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) थे, जिसमें सरकारी कम्पनियाँ व सांविधिक निगम सम्मिलित थे (**परिशिष्ट 1.1**) जैसा की तालिका क्र. 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 1.1: 31 मार्च 2017 को उपक्रमों की संख्या			
उपक्रमों का प्रकार	कार्यशील उपक्रम	अकार्यशील उपक्रम ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	52	17	69
सांविधिक निगम	02	01	03
योग	54	18	72

वर्ष 2016–17 के दौरान, 13³ उपक्रम गठित हुये/ लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए तथा तीन⁴ उपक्रम बंद कर दिये गए। 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में, 54 कार्यशील व 18 अकार्यशील उपक्रमों में से 46 कार्यशील व 11 अकार्यशील उपक्रमों ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि के अपने लेखे तैयार किए (**परिशिष्ट 1.2**)। इन 57 उपक्रमों के अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार, 29 उपक्रमों ने ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19 उपक्रमों ने ₹ 5,625.52 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष 9 उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि⁵। 31 दिसम्बर 2017 को अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार इन उपक्रमों द्वारा ₹ 77,588.17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया।

57 उपक्रमों द्वारा राज्य शासन के निवेश पर औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 6.72 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले इन 57 उपक्रमों में निवेश करने के कारण, सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की हानि हुई। शेष 15 उपक्रम जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, आंकित नहीं की जा सकी।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य के उपक्रमों में 62,034 कर्मचारी (54 कार्यशील उपक्रमों में 61,745 व 18 अकार्यशील उपक्रमों में 289) थे। अकार्यशील उपक्रमों में विगत तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई तथा 31 मार्च 2017 तक इनमें ₹ 990.44 करोड़ (अंश पूँजी: ₹ 311.66 करोड़ व ऋण: ₹ 678.78 करोड़) का निवेश था।

¹ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें पिछले तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई।

² कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) और 139(7) में उल्लेखित कम्पनियाँ।

³ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए9, ए29 और ए30 महालेखाकार (आ. एवं सा.क्ष.ल.), मध्य प्रदेश, भोपाल को सौंपी गयी तथा क्रम संख्या ए15, ए16, ए19, ए20, ए21, ए22, ए23, ए24, ए25 और ए52 महालेखाकार (सा. एवं सा.क्ष.ल.), मध्य प्रदेश, ग्वालियर को सौंपी गयी

⁴ मध्य प्रदेश रेटेट इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड।

⁵ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए40 के शुद्ध व्यय पूरी तरह से अपनी सहायक कम्पनियों, जिनके लिए यह कार्य करती है के बीच वितरित किए जाते हैं, क्रम संख्या ए3, ए4, ए8 और ए34 की परिचालन हानि को सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्रम संख्या ए15 और ए16 के व्यय को व्यवसाय प्रारम्भ होने तक प्री-ऑपरेटिव व्यय के रूप में माना जाता है, क्रम संख्या ए29 और ए30 के शुद्ध व्यय को उनके प्रोजेक्ट फंड खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुशंसाएँ:

क्योंकि घाटे में चल रहे व अकार्यशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी हानि होती है, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि:

- (1) सभी घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्य पद्धति का अवलोकन करे
- (2) अकार्यशील उपक्रमों के समापन की संभावना की समीक्षा करे; तथा
- (3) अकार्यशील उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के विभागों में रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सम्भावना खोजें, जैसा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 लागू होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्पादित करता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होती है जैसा तालिका क्र. 1.2 में वर्णित है:

तालिका क्र. 1.2: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर लागू होने वाले विधान			
क्र. स.	निगम का नाम	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन	वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
3	मध्य प्रदेश वित्त निगम	स्टेट फाइनेंसियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन शासन को जारी किए जाते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार उन्हे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।

1.3 मध्य प्रदेश शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग इन उपक्रमों के क्रिया-कलापों पर नियंत्रण रखते हैं, जिनके प्रमुख अधिकारी व निदेशक मण्डल राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश शासन की हिस्सेदारी

1.4 उपक्रमों में राज्य शासन की हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से होती है, नामतः अंश पूँजी व ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान व सब्सिडी के रूप में विशेष बजटीय सहायता तथा उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर प्रत्याभूति।

राज्य उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को राज्य के 72 उपक्रमों में राज्य शासन, केंद्र शासन व अन्य द्वारा किया गया निवेश (अंश पूँजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 81,529.50 करोड़ था जिसका

विवरण तालिका क्र. 1.3 में दिया गया है (अधिक जानकारी **परिशिष्ट 1.1** में दी गयी है)।

उपक्रमों का प्रकार	अन्तिमिकृत लेखों की स्थिति	अंश पूँजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य शासन	अन्य ⁶	कुल	राज्य शासन	अन्य ⁷	कुल	
कार्यशील उपक्रम	2014–15 से 2016–17 ⁸	15,144.22	10,806.95	25,951.17	36,204.17	18,005.11	54,209.28	80,160.45
	2014–15 से पूर्व	117.34	10.68	128.02	218.23	32.36	250.59	378.61
	उप-योग	15,261.56	10,817.63	26,079.19	36,422.40	18,037.47	54,459.87	80,539.06
अकार्यशील उपक्रम	2014–15 से 2016–17	12.00	119.32	131.32	0.00	0.64	0.64	131.96
	2014–15 से पूर्व	123.02	57.32	180.34	677.18	0.96	678.14	858.48
	उप-योग	135.02	176.64	311.66	677.18	1.60	678.78	990.44
योग		15,396.58	10,994.27	26,390.85	37,099.58	18,039.07	55,138.65	81,529.50
(स्रोत: उपक्रमों के वार्षिक लेखे/उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)								

1.6 31 मार्च 2017 को राज्य के उपक्रमों में निवेश की क्षेत्र वार संक्षेपिका तालिका क्र. 1.4 में दी गयी है।

क्षेत्र का नाम	तालिका क्र. 1.4: राज्य के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश				योग	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों में कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यशील उपक्रम	अकार्यशील उपक्रम	तीन वर्ष के लेखों के बिना	तीन वर्ष के लेखों के साथ			
ऊर्जा	10	0	1	0	11	75,366.71	45,126.97
विनिर्माण	7	0	9	3	19	430.14	-25.91
वित्त	12	3	0	2	17	1,910.91	223.34
सेवा	9	0	1	1	11	2,509.73	1,585.09
अधोसंरचना	10	0	0	1	11	997.76	859.31
कृषि व सहायक	3	0	0	0	03	314.25	248.40
योग	51	3	11	7	72	81,529.50	48,017.20
(स्रोत: उपक्रमों के अंकेश्वित लेखे/उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)							

राज्य शासन के निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र के छह उपक्रमों⁹ में था। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य शासन के द्वारा ₹ 48,961.13 करोड़ (अंश पूँजी में ₹ 14,553.77 करोड़ व ऋण में ₹ 34,407.36 करोड़) के निवेश में से ₹ 27,618.74 करोड़ (अंश पूँजी में ₹ 3,965.40 करोड़ व ऋण में ₹ 23,653.34 करोड़) का निवेश 2012–17 के दौरान किया गया।

⁶ केंद्र सरकार की अंश पूँजी और 10 नियंत्रक कम्पनियों द्वारा उनकी 35 सहायक कम्पनियों में ₹ 6,043.19 करोड़ का निवेश समिलित है।

⁷ केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थानों से ऋण समिलित है।

⁸ कम से कम 2014–15 तक के लेखों को अंतिम रूप दिया गया।

⁹ मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश परिवहन क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

1.7 वित्त लेखों व उपक्रमों के लेखों में प्रदर्शित राज्य शासन की अंश पूँजी व ऋण के आंकड़ों में अंतर को तालिका क्र. 1.5 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.5: 31 मार्च 2017 को पूँजी व बकाया ऋण			
(₹ करोड़ में)			
निवेश	वित्त लेखों के अनुसार	उपक्रमों के लेखों के अनुसार ¹⁰	अंतर
अंश पूँजी	17,231.86	14,668.29	2,563.57
ऋण	22,723.87	33,349.22	10,625.35
(स्रोत: उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेख)			

वित्त लेखों व उपक्रमों के लेखों में प्रदर्शित राज्य शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में अंतर को तालिका क्र. 1.6 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.6: 31 मार्च 2017 को बकाया प्रत्याभूतियाँ			
(₹ करोड़ में)			
बकाया प्रत्याभूतियाँ	वित्त लेखों के अनुसार	उपक्रमों के लेखों के अनुसार	अंतर
(स्रोत: उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेख)			

अनुशंसा:

वित्त विभाग, प्रशासनिक विभागों व उपक्रमों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ इन अंतरों के निर्धारित समय में मिलान हेतु त्वरित कदम उठाने चाहिए।

1.8 उपक्रमों में सरकारी निवेश की स्थिति निम्न तालिका क्र. 1.7 में दी गयी है।

तालिका क्र. 1.7: उपक्रमों में सरकारी निवेश की स्थिति		
(₹ करोड़ में)		
विवरण	उपक्रमों की संख्या	राशि
अकार्यशील उपक्रमों में शासन का नाममात्र ¹¹ का निवेश	1 ¹²	0.16
अकार्यशील उपक्रम जहाँ कोई व्यय नहीं है	6 ¹³	0.00
अकार्यशील उपक्रमों द्वारा 2015–16 व 2016–17 में प्राप्त अंश पूँजी, ऋण व अनुदान/ सब्सिडी	1 ¹⁴	3.15
उन उपक्रमों पर मध्य प्रदेश शासन के बकाया ऋण व प्रत्याभूतियाँ, जिन्होंने विगत पांच वर्षों में ऋण पर ब्याज नहीं चुकाया	9 ¹⁵	34,642.78 ¹⁶
(स्रोत: उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेख)		

¹⁰ वर्ष 2016–17 के मध्य प्रदेश के वित्त लेखों के अन्तिमिकरण के समय सितम्बर 2017 तक उपक्रमों के अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार।

¹¹ ₹ एक करोड़ से कम की अंश पूँजी और ऋण

¹² मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड

¹³ परिशेष्ट 1.1 के क्रम संख्या सी1 से सी4, सी6 और डी1

¹⁴ मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

¹⁵ परिशेष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए11, ए14, ए35 से ए38, सी4, सी5 और डी1।

¹⁶ इसमें परिशेष्ट 1.1 के क्रम संख्या ए35 से ए38 को दी गयी ₹ 263.88 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ सम्मिलित हैं।

अनुशंसा:

क्यूंकि उन 10 उपक्रमों द्वारा, जिन्होने ऋण पर ब्याज तक नहीं चुकाया, ऋण वापसी की संभावना कम है, यदि वे अस्तित्व में हैं, तो राज्य शासन को पुराने ऋणों को अंश पूंजी में परिवर्तित करने अथवा अपलेखित करने पर विचार करना चाहिए तथा भविष्य में भुगतान, यदि कोई हो, तो अनुदान के रूप में होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि इन में से कुछ उपक्रम बंद नहीं किए जाने चाहिए।

लेखों के अंतिमिकरण में बकाया

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक, कम्पनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जिसके तहत कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक वर्ष तक की कैद या ₹ पचास हजार से ₹ पाँच लाख तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

सांविधिक निगमों के मामले में लेखों का अंतिमिकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण, संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

31 दिसम्बर 2017 को, 29 कार्यशील उपक्रमों के लेखे 13 वर्ष तक के समय से बकाया थे, जैसा परिशिष्ट 1.3 में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमिकरण में देरी के परिणामस्वरूप, निश्चित अवधि के पश्चात प्रायः महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता या हानि के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

54 कार्यशील उपक्रमों में से, मात्र 25 उपक्रमों¹⁷ ने 2016–17 के अपने लेखों का अंतिमिकरण किया एवं शेष 29 उपक्रमों के 54 लेखे¹⁸ लंबित थे। 29 उपक्रमों में से, 21 उपक्रमों के लेखे एक वर्ष, छह उपक्रमों के लेखे दो से पाँच वर्ष व दो उपक्रमों के लेखे पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, जिसका विवरण परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

वे 29 उपक्रम, जिनके लेखे बकाया थे, उनके निदेशक गण, जो साथ साथ विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भी पदस्थ रहे हैं व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य हैं, की जानकारी परिशिष्ट 1.4 (अ) व (ब) में दी गई है।

1.10 उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को, 18 अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रमों के लेखे बकाया थे। इन सात उपक्रमों में से चार उपक्रम¹⁹ 17 से 27 वर्षों²⁰ से परिसमाप्नाधीन थे व इनके 52 लेखे सात से 27 वर्षों से लंबित थे। शेष तीन उपक्रमों के बकाया लेखों की जानकारी तालिका क्र. 1.8 में दी गयी है।

¹⁷ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए5, ए7, ए8, ए9, ए18, ए24, ए26, ए27, ए29, ए30, ए32, ए33, ए34, ए35, ए39, ए43, ए48, ए49, ए50, ए52, बी1, और बी2

¹⁸ प्रति वर्ष एक लेखें की दर से।

¹⁹ इन बकाया लेखों वाले परिसमाप्नाधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, एक और उपक्रम, दादा धुनीवाले खड़वा पावर लिमिटेड, नवंबर 2017 में परिसमाप्न में चला गया है। हालांकि, कम्पनी ने 2016–17 तक के अपने लेखे तैयार किए हैं।

²⁰ मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड 15 दिसंबर 1994 से, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड 28 जून 1990 से, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड अप्रैल 2005 से और ऑटेल टेलिकम्प्युनिकेशन लिमिटेड जून 2000 से।

तालिका क्र. 1.8: अकार्यशील उपक्रमों में बकाया लेखे				
वर्ष	अकार्यशील उपक्रमों की संख्या	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों के वर्षों की संख्या
2014–15	03	38	1990–91 से 2014–15	6 से 25
2015–16	03	41	1990–91 से 2015–16	7 से 26
2016–17	03	42	1990–91 से 2016–17	6 से 27

1.11 राज्य सरकार द्वारा 17 कार्यशील उपक्रमों में ₹ 13,977.68 करोड़ अंश पूँजी: ₹ 94.63 करोड़ (छह उपक्रम), ऋण: ₹ 1,224.74 करोड़ (सात उपक्रम), पूंजीगत अनुदान: ₹ 4,727.75 करोड़ (11 उपक्रम), अन्य (सब्सिडी व राजस्व अनुदान): ₹ 7,100.83 करोड़ (सात उपक्रम) एवं प्रत्याभूतियाँ: ₹ 829.73 करोड़ (चार उपक्रम)} को बजटीय सहायता उस अवधि में दी, जब उनके लेखे बकाया थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है। इसमें से ₹ 266.77 करोड़ की बजटीय सहायता उन तीन उपक्रमों को दी गयी थी जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, जिसमें से ₹ 120.93 करोड़ इन उपक्रमों को 2016–17 के दौरान दिये गए थे।

इसके अलावा, राज्य शासन ने एक²¹ अकार्यशील उपक्रम को भी ₹ 4.34 करोड़ की बजटीय सहायता उस अवधि में प्रदान की, जिस अवधि में उसके लेखे बकाया थे, जैसा **परिशिष्ट 1.5** में वर्णित है। इसमें से ₹ 0.73 करोड़ की बजटीय सहायता 2016–17 के दौरान अनुदान के रूप में दी गयी थी।

राज्य शासन द्वारा उन उपक्रमों को जिनके लेखे बकाया थे को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य शासन के पास इन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकंलन करने का कोई आधार नहीं था। यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि नौ उपक्रम जिन्हें राज्य शासन द्वारा ऋण दिया था, ने पिछले पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान ही नहीं किया।

अनुशंसाएँ:

- वित्त विभाग व संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के उपक्रम अपने लेखों को अद्यतन बनाने के लिए त्वरित कदम उठाएँ, ताकि इन उपक्रमों के निदेशक कम्पनी अधिनियम व साविधिक निगमों के संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।
- वित्त विभाग व संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता उन उपक्रमों को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं हैं।

अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के अनुसार उपक्रमों का प्रदर्शन

1.12 वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखों को अंतिम रूप देने वाले 46 कार्यशील उपक्रमों²² (**परिशिष्ट 1.6**) के प्रदर्शन का आकंलन करने के लिए प्रयुक्त मुख्य वित्तीय अनुपात तालिका क्र. 1.9 में दिए गए हैं।

²¹ प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को अनुदान दिया गया।

²² वित्तीय अनुपात की गणना अकार्यशील उपक्रमों या उन उपक्रमों के लिए नहीं की जा सकती जिनके लेखे बकाया हैं।

तालिका क्र. 1.9: कार्यशील उपक्रमों के प्रमुख पैमाने					
विवरण	प्रमुख पैमाने (प्रतिशत में)	2014–15	2015–16	2016–17	औसत
लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम	आरओसीई ²³	12.34	29.01	10.58	17.31
	आरओआई ²⁴	12.34	29.01	10.58	17.31
	आरओई ²⁵	7.95	9.44	4.24	7.21
हानि वहन करने वाले उपक्रम	आरओसीई	-5.14	-11.97	-258.74	-91.95
	आरओआई	-5.14	-11.97	-258.74	-91.95
	आरओई	-242.96	-224.26	-68.61	-178.61
सभी उपक्रमों का औसत	आरओसीई	-0.06	2.11	9.31	3.79
	आरओआई	-0.06	2.11	9.31	3.79
	आरओई	-43.46	-41.03	4.18	-26.77
ऋण की लागत	6.88	6.86	6.42	6.72	
(स्रोत: उपक्रमों के अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार जानकारी)					

1.13 लाभ में प्रमुख योगदानकर्ता मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 91.81 करोड़), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (₹ 35.41 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 63.05 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹ 39.12 करोड़), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 53.44 करोड़) थे। 2014–17 के दौरान इन कम्पनियों की आरओआई 11.76 प्रतिशत और 60.08 प्रतिशत के बीच थी। उपक्रम जिन्हे, उनके नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों²⁶ के अनुसार भारी हानि हुई मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,616.91 करोड़) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,207.01 करोड़) थे।

1.14 राज्य सरकार ने उपक्रमों के लिए एक लाभांश नीति तैयार की थी (जुलाई 2005), जिसके तहत सभी उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, उनके नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों²⁶ के अनुसार, 29 उपक्रम जिनमें शासन की अंश पूँजी ₹ 7,853.40 करोड़²⁷ थी, द्वारा कुल ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, किन्तु मात्र चार उपक्रमों ने ही ₹ 43.38 करोड़²⁸ का लाभांश प्रस्तावित किया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए, लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में उनके ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को इन लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को लाभांश नीति लागू होने की दिनांक (जुलाई 2005) से बकाया लाभांश (₹ 474.46 करोड़) को सरकारी खाते में जमा कराने हेतु आदेश देना चाहिए।

1.15 कम्पनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख है कि प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मंडल एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलेगा। यद्यपि, यह देखा गया कि 52 क्रियाशील

²³ नियोजित पूँजी प्रतिफल = (लाभांश, ब्याज और कर से पहले का शुद्ध लाभ/ हानि)/नियोजित पूँजी, जहाँ नियोजित पूँजी = निवेश – डैफर्ड राजस्व व्यय (डीआरई)। चूँकि 2014–17 के दौरान उपक्रमों में कोई डीआरई नहीं थी, आरओसीई व आरओआई समान थी।

²⁴ निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज और कर से पहले का शुद्ध लाभ)/ निवेश।

²⁵ अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) = (कर के बाद का शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश)/ शेयरधारकों की निधि

²⁶ पिछले तीन वर्षों यानी 2014–15 से 2016–17 के दौरान अन्तिमिकृत नवीनतम खाते

²⁷ नवीनतम अन्तिमिकृत खातों के अनुसार शेयरधारकों की निधि।

²⁸ मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹ 7.91 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 12.58 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 18.38 करोड़), मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 4.51 करोड़)

कम्पनियों में से 26 कम्पनियों ने 2014–17 के दौरान चार से कम बैठकों आयोजित की जिसका विवरण तालिका क्र. 1.10 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.10: उपक्रमों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या में कमी			
वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या में कमी	कम्पनियों की संख्या	परिशिष्ट 1.1 में कम्पनी के नाम की क्रम संख्या
2014–15	3	01	ए2
	2	08	ए10, ए14, ए18, ए31, ए47, ए12, ए52, ए17
	1	06	ए3, ए6, ए7, ए28, ए51, ए13
2015–16	3	06	ए14, ए46, ए51, ए25, ए19, ए24
	2	04	ए28, ए12, ए15, ए16
	1	02	ए18, ए49,
2016–17	3	03	ए9, ए25, ए19
	2	02	ए51, ए22
	1	04	ए31, ए46, ए20, ए13

अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.16 31 मार्च 2017 की स्थिति में 18 अकार्यशील उपक्रम (17 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) थे। इन अकार्यशील उपक्रमों की स्थिति इस प्रकार है: (1) पांच उपक्रमों ने विगत एक से 27 वर्ष के दौरान परिसमापन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के मामले में स्वैच्छिक परिसमापन प्रारम्भ हो चुका है और परिसमापक नियुक्त किया गया है (मार्च 2018)। शेष चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों²⁹ के मामले उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिसमापक के पास लंबित हैं। (2) राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सङ्करण परिवहन निगम का परिसमापन करने का प्रस्ताव भेजा था (फरवरी 2005)। यद्यपि, भारत सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया (नवंबर 2009) और निगम के पुनर्गठन/पुनः प्रवर्तन के लिए सलाह दी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई अभी भी लंबित है एवं मध्य प्रदेश सङ्करण परिवहन निगम अभी भी अकार्यशील सांविधिक निगम है। (3) क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड और एसईजे इंदौर लिमिटेड के उनकी नियंत्रक कम्पनी [मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड] के साथ संविलयन के आदेश जारी किए जा चुके हैं (जनवरी 2018)। राज्य सरकार ने अभी तक ₹ 14.69 करोड़ के नेट वर्थ³⁰ वाली शेष 10 कम्पनियों³¹ के समापन/पुनः प्रवर्तन पर निर्णय नहीं लिया है।

अनुशंसा:

चूँकि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सङ्करण परिवहन निगम के पुनर्गठन की सलाह देने के दस वर्ष व्यतीत होने के बावजूद पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार अविलम्ब से समीक्षा करे कि क्या निगम का पुनर्गठन करना संभव है, जैसा कि भारत सरकार की सलाह थी। राज्य सरकार को 10³²

²⁹ मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड 15 दिसम्बर 1994 से, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड 28 जून 1990 से, मध्य प्रदेश विद्युत यन्त्र लिमिटेड अप्रैल 2005 से तथा ऑप्टल टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड जून 2000 से

³⁰ प्रदत्त पूँजी + संचय व आधिक्य – संचयित हानियाँ

³¹ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या सी३, सी५ एवं सी८ से सी१५

³² 18 अकार्यशील उपक्रम (घटायें) परिसमापनाधीन पांच उपक्रम (घटायें) एक उपक्रम जिसके पुनः प्रवर्तन का भारत सरकार ने सुझाव दिया है (घटायें) सम्बिलयनाधीन दो उपक्रम।

अकार्यशील उपक्रमों के परिसमापन पर निर्णय की व्यवहार्यता का आंकलन करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियां

1.17 वर्ष 2016–17³³ के दौरान 37³⁴ क्रियाशील कम्पनियों द्वारा उनके 48 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए गए। इनमें से 31 कम्पनियों के 2014–15 से 2016–17 की अवधि के 41 लेखों का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए हुआ। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकेत मिलता है कि लेखों के संधारण को गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका क्र. 1.11 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.11: कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव (₹ करोड़ में)						
क्र. स.	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या
1.	लाभ में कमी	03	8.39	13	190.33	15
2.	हानि में वृद्धि	02	52.16	05	9,850.28	04
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	02	697.28	08	123.79	04
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ ³⁵	02	2,548.36	14	843.87	08
						172.82

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 क्रियाशील कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। 15³⁶ कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 18 कम्पनियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित टिप्पणियां दी गई हैं।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और कंडिकाएँ

1.18 एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ कम्पनियों के प्रबंधन और संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जारी की गई थी (मई 2017 से अगस्त 2017 तक)। प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हुए। यद्यपि, तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर विभागों से अभी भी अप्राप्त थे (दिसंबर 2017)।

³³ अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान।

³⁴ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए13, ए15, ए16, ए17, ए18, ए23, ए24, ए25, ए27, ए28, ए29, ए30, ए32, ए34, ए35, ए36, ए39, ए44, ए45, ए46, ए47, ए48, ए49, ए50, ए52, बी1 एवं बी2

³⁵ 2014–16 के दौरान मदाँ के वर्गीकरण में बदलाव के साथ साथ तुलन पत्रक और लाभ–हानि खाते के नवीन प्रारूप लाने के कारण वर्गीकरण की त्रुटियों के बहुत मामले सामने आए।

³⁶ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए7, ए10, ए26, ए27, ए32, ए33, ए34, ए39, ए40, ए41, ए42 एवं बी2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.19 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (मई 2016) कि सरकारी उपक्रम संबंधी समिति की प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका क्र. 1.12 में दी गई है।

तालिका क्र. 1.12: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 मार्च 2018 को)					
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सरकारी उपक्रम) का वर्ष	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की दिनांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षा व कंडिका की संख्या जिन पर विभागीय ज्ञापन लंबित हैं	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	24 मार्च 2017	03	15	01	01
योग		03	15	01	01

अनुशंसा:

संबंधित प्रशासनिक विभागों³⁷ को चाहिए कि, वित्त विभाग के निर्देशों (मई 2016) का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा आपत्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया दें।

सरकारी उपक्रम संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.20 31 मार्च 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उपक्रम) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं और उन पर सरकारी उपक्रम संबंधी समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति तालिका क्र. 1.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका क्र. 1.13: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाएँ एवं उन पर चर्चा की स्थिति (31 मार्च 2018 को)				
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिकाएँ जिन पर चर्चा की गयी	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2009–10	02	09	02	08
2012–13	05	11	05	10
2013–14	03	08	03	08
2014–15	03	13	03	13
2015–16	03	15	0	0
योग	16	56	13	39

³⁷ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।

सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.21 सितंबर 1976 और मार्च 2017 के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के 51 प्रतिवेदनों³⁸ में सम्मिलित 287 कंडिकाओं पर कार्यवाई प्रतिवेदन लंबित है (मार्च 2018) जैसा की तालिका क्र. 1.14 में दर्शाया गया है। यह सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदन सीएजी के 1973–74 से 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित है। 2012–13 से बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदन अभी तक (मार्च 2018) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

तालिका क्र. 1.14: सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर अनुपालन			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर कार्यवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए
1973–74 से 2003–04	18	653	129
2004–05	06	91	34
2005–06	07	89	50
2006–07	03	38	17
2007–08	01	23	14
2008–09	01	26	26
2009–10	02	02	02
2010–11	09	12	11
2011–12	04	04	04
योग	51	938	287

(स्रोत: सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी)

अनुशंसा:

राज्य सरकार को सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्यवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करना चाहिये।

राज्य के पुनर्गठन के पश्चात उपक्रमों का पुनर्गठन

1.22 1 नवंबर 2000 से प्रभावी तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 19 उपक्रमों³⁹ (तब मौजूदा 28 उपक्रमों⁴⁰ में से) की संपत्तियाँ और देनदारियाँ, उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थी। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 उपक्रमों⁴¹ के संबंध में ही विभाजन पूरा किया जा सका।

अनुशंसा:

चूंकि राज्य के पुनर्गठन के बाद दो दशकों से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर उन छह उपक्रमों

³⁸ मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा, वित्त, वन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, खनिज संसाधन, परिवहन, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, पिछड़ा वर्ग विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास, शहरी विकास, पर्यटन, गृह (पुलिस), खाद्य प्रसंस्करण विभाग और उद्यानिकी विभागों से संबंधित जो कि 1973 से 2012 के सीएजी के प्रतिवेदनों में दर्शित हुई।

³⁹ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1 एवं सी15 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

⁴⁰ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए8, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1, सी4 एवं सी5 (शेष छह कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

⁴¹ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या ए1, ए2, ए14, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए47 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

की संपत्तियों और देनदारियों के शीघ्र विभाजन के लिए कार्य करना चाहिए, जिनमें 01 नवंबर 2000 को ₹ 36.98 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.23 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना लागू की (नवंबर 2015)।

चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसकी सहायक कम्पनियों की ओर से अर्थात् तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों नामतः, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपश्चिमक्षेविविक), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपूर्वक्षेविविक) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रमध्यक्षेविविक) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (अगस्त 2016)।

एमओयू के अनुसार तय महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में 31 दिसंबर 2017 तक की गई प्रगति **परिशिष्ट 1.7** में दी गयी है।

मप्रपूर्वक्षेविविक और मप्रमध्यक्षेविविक किसी भी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। यद्यपि, मप्रपश्चिमक्षेविविक ने एसीएस—एआरआर अंतर समाप्त करने और बिलिंग दक्षता के वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए, यह कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हास (2017–18) और संग्रह दक्षता के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। जहां तक परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति की बात है, अविद्युतीकृत परिवारों तक बिजली पहुंचाने, ग्रामीण फीडरों का मीटरीकरण और ग्रामीण फीडरों के अंकेक्षण के लक्ष्य लगभग सभी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। यद्यपि, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरीकरण व एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्यों के सन्दर्भ में विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। आगे, मप्रपूर्वक्षेविविक और मप्रमध्यक्षेविविक, फीडर विभक्तिकरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग में विसंगतियाँ

1.24 मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन (फरवरी 1977) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राज्य शासन की कम्पनी के रूप में किया गया। कम्पनी का नाम परिवर्तित कर (दिसम्बर 2004) मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) कर दिया गया। कम्पनी की बहिर्नियमावली के अनुसार, कम्पनी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं (1) राज्य शासन या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट किये गए वस्तुओं एवं सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आयोजन एवं संचालन करना (2) निर्यात को बढ़ावा देना (3) आयात एवं आतंरिक विक्रय करना (4) मध्य प्रदेश में और बाहर, व्यापार और निवेश करने की सुगमता प्रदान करना एवं विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर निवेश से पूर्व व पश्चात् कारगर सेवायें प्रदान करना (5) औद्योगिक सुगमता के लिए राज्य शासन या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा उल्लिखित विशेष व्यवस्थाओं को लागू करना तथा (6) राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन में मदद करना।

कम्पनी के 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

- कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, कम्पनी के अधिकारियों आदि के प्रतिनिधि मंडलों के विभिन्न देशों में 15 विदेशी दौरा कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है। इन दौरों पर ₹ 8.97 करोड़⁴² का व्यय उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा "5531—डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अभियान" मद में प्राप्त सहायता अनुदान कोष से किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों का विदेशी दौरा आयोजित करना कम्पनी की बहिर्नियमावली में निर्दिष्ट कम्पनी के उद्देश्यों में विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं था। इसके आलावा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल के विदेशी दौरों पर व्यय न तो शासन के बजट के माध्यम से किया गया था और न ही राज्य शासन के खातों में दर्शाया गया था। बल्कि, कम्पनी द्वारा यह व्यय उपरोक्त अनुदान से किए जाने के कारण विदेशी दौरों पर किए गए व्यय की बजटीय समीक्षा भी टाल दी गई।

- जुलाई 2015 से अक्टूबर 2017 के दौरान प्रतिनिधि मंडल के जापान एवं कोरिया; चीन; एवं अमेरिका हेतु तीन विदेशी दौरों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना स्वीकृत राशि से ₹ 21 लाख⁴³ अधिक व्यय किये गए।
- मार्च 2016 को डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अभियान मद में प्राप्त सहायता अनुदान में से ₹ 7.08 करोड़ अव्ययित शेष कम्पनी के पास उपलब्ध था। परंतु, राज्य सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार कम्पनी के पास कोई अव्ययित शेष नहीं था। कम्पनी ने इस अंतर के कारणों को चिन्हित नहीं किया।
- सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार लाभ—हानि के विवरण पत्रक में नामें सभी व्यय, प्रमाणिक बिल/ दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), मुंबई को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) आयोजित करने के लिए ₹ 5.34 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, इस व्यय के लिए दस्तावेजी प्रमाण (सहायक बिल, वाउचर इत्यादि) कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, 2016–18 की अवधि के दौरान, कम्पनी को उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश से ₹ 34.21 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध ₹ 31.00 करोड़ का व्यय किया गया। यद्यपि, ₹ 27.54 करोड़⁴⁴ का व्यय सहायक बिल, वाउचर इत्यादि प्राप्त किए बिना किया गया था। नतीजतन, व्यय / लेनदेन की वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

यद्यपि, मई 2018 में उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सरकार को सूचित किया गया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया लंबित है (जून 2018)।

⁴² इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के उन व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित नहीं है, जिनका विवरण व वाउचर कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

⁴³ स्वीकृत ₹ 3.29 करोड़ के विरुद्ध किया गया वास्तविक व्यय ₹ 3.50 करोड़ था।

⁴⁴ ₹ 23.93 करोड़ सीआईआई के जीआईएस 2016 से संबंधित दावों के विरुद्ध; ₹ 2.42 करोड़ जून 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु प्रतिनिधिमंडल के विदेशी दौरों के व्यय पूर्ति के लिए सीआईआई को प्रदत्त; ₹ 59.61 लाख (अगस्त 2016) का भुगतान कॉसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क को प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों के व्यय पूर्ति के लिए किया; प्रतिनिधियों की यात्रा व्यय के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एमपीएलयुएन) को ₹ 55.73 लाख भुगतान किया गया।

अध्याय—२

अध्याय—2

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.1.1 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जबलपुर की स्थापना नवंबर 2001 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) के विघटन फलस्वरूप, ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी को मध्य प्रदेश राज्य में अतिरिक्त उच्च दाब¹ (ईएचटी) सब-स्टेशनों और 132, 220 और 400 किलो वोल्ट² (केव्ही) की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

कम्पनी के मुख्य कार्य हैं (1) एक कुशल, समन्वित और आर्थिक अंतर-राज्य संचारण प्रणाली का विकास और रखरखाव; (2) एक इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से लाइसेंसधारकों, कम्पनियों और उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस³ प्रदान करना; और (3) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू)⁴, जेनरेटिंग कम्पनियों और लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय में अंतर्राजीय संचरण प्रणाली से संबंधित योजना बनाना।

2012–17 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने ट्रांसमिशन सिस्टम में सुधार और विस्तार के लिए ₹ 3,563.45 करोड़ के कार्य अनुबंध जारी किये।

संगठनात्मक संरचना

2.1.2 कम्पनी, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल में निहित है जिसमें आठ निदेशक सम्मिलित हैं। प्रबंध निदेशक (एमडी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो कम्पनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल करते हैं। मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन) लंबी अवधि और वार्षिक योजनाओं, परियोजना प्रस्तावों, परियोजनाओं का सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की तैयारी और उन्हें संबंधित वित्त पोषण एजेंसियों से अनुमोदित कराने का कार्य करते हैं। मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) निविदा प्रक्रिया का कार्य करता है और सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध जारी करते हैं। मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) ईएचटी सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन का कार्य करते हैं। कम्पनी की संगठनात्मक संरचना नीचे चार्ट 2.1.1 में दी गई है।


¹ ईएचटी ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति को प्रेषित करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर केंद्रीय जेनरेटिंग स्टेशन से मुख्य सबस्टेशन तक।

² 1000 वोल्ट के बराबर विजली की इकाई

³ “ओपन एक्सेस” का मतलब ट्रांसमिशन लाइनों या वितरण प्रणाली का किसी भी लाइसेंसधारक या उपभोक्ता या संबंधित सुविधाएं में लगे व्यक्ति द्वारा उचित आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ऐसी लाइनों या सिस्टम के साथ संबंधित सुविधाओं के लिए गैर-भेदभाव पूर्ण प्रावधान है।

⁴ पावर प्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) है और इसे कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक पहुंच और अंतर-राज्य संचरण प्रणाली के लिए मध्यम अवधि की ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

चार्ट 2.1.1 कम्पनी की संगठनात्मक संरचना



तकनीकी और गैर-तकनीकी कैडरों के संबंध में कम्पनी की स्वीकृत संख्या के साथ वास्तविक जनशक्ति की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.1 में दी गई है:

तालिका क्रमांक 2.1.1				
कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति		
		नियमित	अनुबंधित	योग
तकनीकी कर्मचारी	3,800	3,079	—	3,079
गैर तकनीकी कर्मचारी	2,062	1,012	303	1,315
योग	5,862	4,091	303	4,394

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- ट्रांसमिशन सिस्टम की निर्माण परियोजनाओं को अवधारणाबद्ध और आवश्यकता के आधार पर पहचाना गया और कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन की योजना पर्याप्त थी;
- प्रोजेक्ट को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार और समयबद्ध रूप से, पारदर्शी तरीके से जारी और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था;
- परियोजनाओं के लिए धन का आंकलन वास्तविक था, व्यवस्था और उपयोग कुशलतापूर्वक, मित्रयी और प्रभावी रूप से किया गया था;
- परियोजनाओं/कार्यों के कार्यान्वयन और लाभों की समीक्षा के लिए, एक उचित निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी, और क्या कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

लेखापरीक्षा के मानदंड

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंडों को निम्नलिखित स्त्रोतों से लिया गया है:

- दीर्घकालिक योजना, वार्षिक योजना, परियोजना डीपीआर और पूँजी व्यय के लिए दिशानिर्देश;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का ट्रांसमिशन योजना मानदंड का मैनुअल, सीईए (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड कनेक्टिविटी मानक, 2007;
- भारत सरकार द्वारा गठित (फरवरी 2005) संचारण परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की अनुशंसाएँ और कम्पनी/राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र;
- मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी) / सीईए और निधि एजेंसियों द्वारा जारी मानदंड/दिशानिर्देश;
- निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा/मिनट।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.5 कम्पनी के कार्यकाज पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), मध्य प्रदेश सरकार में सम्मिलित थी। सार्वजनिक उपक्रम पर समिति ने जून 2015 में प्रतिवेदन पर चर्चा की जिसकी सिफारिशों अप्राप्त है (मई 2018)।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में ईएचटी सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों (132 केव्ही, 220 केव्ही और 400 केव्ही) के निर्माण से सर्बधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान सब-स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बन्धित परियोजनाओं की योजना, क्रय, निर्माण और स्थापना सम्मिलित है। कम्पनी के मुख्यालय और चार⁵ (पांच में से) वृत्त कार्यालयों के साथ उनके आठ⁶ (11 में से) ईएचटी निर्माण संभागों को अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा ने 12 ईएचटी सब-स्टेशनों पर कम्पनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि (2012–17) के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदान किए गए कुल 25 टर्नकी कार्य अनुबंध (कुल 46 टर्नकी कार्य अनुबंधों में से 54 प्रतिशत) जिनकी कुल कीमत ₹ 2,443.89 करोड़ थी (46 टर्नकी कार्य अनुबंधों के ₹ 3,544.94 करोड़ के कुल मूल्य का 69 प्रतिशत) और 13 अन्य कार्य अनुबंध (26 अन्य कार्य अनुबंधों में से 50 प्रतिशत) जिनकी कुल कीमत ₹ 14.62 करोड़ थी (26 अन्य कार्य अनुबंधों के ₹ 18.51 करोड़ के कुल मूल्य का 79 प्रतिशत) की नमूना जांच की।

नमूना जांच किए गए कार्य अनुबंधों पर 13 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हैं और उनमें से अधिकतर इस प्रकृति की हैं जो कम्पनी द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिंबित कर सकती हैं, लेकिन नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिए, कम्पनी उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी अन्य कार्यों की आंतरिक रूप से जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि ये आवश्यकता और नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं।

⁵ जबलपुर, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर

⁶ जबलपुर 1, जबलपुर 2, भोपाल 1, भोपाल 2, इंदौर, ग्वालियर 1, ग्वालियर 2 और इटारसी

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यविधि इत्यादि, प्रवेश सम्मेलन (मार्च 2017) के दौरान ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और कम्पनी को बताई गई थी। मसौदा प्रतिवेदन कम्पनी को 30 अगस्त 2017 को जारी की गई थी और 13 दिसंबर 2017 को आयोजित निकास सम्मेलन में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।


ट्रांसमिशन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

2.1.6 बिजली के संचारण को उच्च वोल्टेज पर, आमतौर पर 132 केव्ही और उससे ऊपर, लंबी दूरी पर बिजली के विस्तृत हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईएचटी सब-स्टेशन, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने और सिस्टम के अंदर और बाहर स्विचिंग उपकरण की सुविधा है। बिजली संयंत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पन्न विद्युत शक्ति को, संचरण हानि को कम करने और ग्रिड की दक्षता में वृद्धि के लिए, संचारण से पहले उच्च वोल्टेज तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं को वितरण के लिए वोल्टेज फिर से कम वोल्टेज तक नीचे लाया जाता है। वितरण प्रणाली में विशिष्ट वोल्टेज पर बिजली देने के लिए आवश्यक लाइन, खम्बे, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण सम्मिलित हैं। ट्रांसमिशन प्रक्रिया का एक चित्रमय निरूपण नीचे दिया गया है:

जनरेशन

ट्रांसमिशन

डिस्ट्रीब्यूशन



ट्रांसमिशन सिस्टम और क्षमता

2.1.7 ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रमुख तत्व ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन हैं, जो वितरण लाइसेंसियों के डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की ऊर्जा मांग को पूर्ण करते हैं। बिजली की बढ़ी मांग, नए सब-स्टेशनों का निर्माण करके, मौजूदा सब-स्टेशनों पर क्षमता जोड़ के और लोड केंद्रों में नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाकर, ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत कर पूर्ण करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित लोड वृद्धि

परिदृश्यों के अनुसार, सिस्टम विस्तार की धीरे-धीरे योजना बनाते हैं। संचारण क्षमता⁷ में वृद्धि, सब-स्टेशनों की संख्या में वृद्धि, और संचारण नेटवर्क का विस्तार सहसंबंधित है। 31 मार्च 2017 को कम्पनी के ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.2 में दी गयी है।

क्र. स.	वोल्टेज	सब-स्टेशनों की संख्या और उनकी क्षमता		अति उच्च दाब लाइन्स (सर्किट किलोमीटर में)
		संख्या	मेगा वोल्ट एम्पियर में क्षमता	
1	400 केव्ही	9	7,350	3,075
2	220 केव्ही	71	21,990	12,324
3	132 केव्ही	250	24,056	16,910
4	66 केव्ही ⁸	1	20	61
योग		331	53,416	32,370

लेखापरीक्षा की समीक्षा अवधि (2012–13 से 2016–17) के दौरान, कम्पनी ने अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइनों के 5,251 सर्किट किलोमीटर⁹, 83 नए सब-स्टेशन और 17,852 एम्ब्वीए की संचारण क्षमता को जोड़ा।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी और उसके अधिकारियों द्वारा विस्तारित सहयोग और सहायता की अभिस्वीकृति करता है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

2.1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये निष्कर्षों का निम्नलिखित कंडिक्यूओं में उल्लेख किया गया है।

निर्माण कार्यों के निष्पादन में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

2.1.9 प्रबंधन गतिविधि के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी आवश्यक है। एक कुशल और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली, उद्देश्यों को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन की सहायता करती है और प्रक्रियाओं और वित्तीय अनुशासन के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

कम्पनी के अति उच्च दाब सब-स्टेशनों और संचारण लाइनों के निर्माण से संबंधित लेनदेन और अभिलेखों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र निम्नलिखित सीमा तक अपर्याप्त थे।

- कम्पनी में कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने की कोई प्रणाली नहीं है जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में कमी है। इसके अलावा, कार्यों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदार को सामग्री आपूर्ति, राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन आदि को भी निदेशक मंडल को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, निदेशक मंडल परियोजनाओं की निगरानी में अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा।

⁷ ट्रांसमिशन क्षमता उस विद्युत शक्ति की मात्रा को संदर्भित करती है जिसे एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित किया जा सकता है।

⁸ 61 किमी लम्बाई की एक 66 केव्ही की पुरानी लाइन।

⁹ ट्रांसमिशन लाइनों की लम्बाई सर्किट किलोमीटर में मापी जाती है।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि प्रमुख मुद्दों को निदेशक मंडल के नोटिस में लाया गया है और निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ ही अनुबंधों को समाप्त किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त टिप्पणी में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को निदेशक मंडल को सूचित नहीं किया गया है। उच्च प्रबंधन द्वारा परियोजनाओं की निगरानी के लिए केवल समापन मामलों को प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं था।

- कम्पनी ने सब-स्टेशन के अनुसार ट्रांसमिशन हानियों की गणना नहीं की है। इस कारण, ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे डीपीआर में प्रस्तावित नए सब-स्टेशनों की स्थापना करने से ट्रांसमिशन हानि में हुई कमी का आँकलन किया जा सके।
- अनुबंधों की प्रक्रियाओं और नियमों और शर्तों से विचलन के लिए अनुमोदन और/या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के दौरान, सक्षम प्राधिकारी, विशिष्ट कारणों या औचित्य को दर्ज करने की प्रणाली का पालन नहीं कर रहे थे, जैसा कि कंडिकाओं 2.1.11, 2.1.13, 2.1.22, 2.1.25, 2.1.26 और 2.1.28 में चर्चा की गई है।
- कम्पनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी और इस गतिविधि को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आउटसोर्स किया गया था। लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान देखा कि आउटसोर्स किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपा गया कार्य का दायरा व्यापक नहीं था और कम्पनी ने इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का गंभीर विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेंट के निष्कर्ष मुख्य रूप से वाउचिंग, सांविधिक कटोत्रा जैसे कि प्रोविडेंट फंड, स्थापना से संबंधित मुद्दों आदि का न काटा जाना से संबंधित थे और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे निर्माण कार्यों के लिए निगरानी तंत्र में निम्नलिखित कमियों को देखा:

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में देरी

2.1.10 कम्पनी के निदेशक मंडल ने परियोजना की योजना और निगरानी सहित सभी परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से कम्पनी में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, निर्णय लिया (नवंबर 2012), ताकि उसकी व्यावसायिक सूचना रिपोर्टिंग को मजबूत किया जा सके और वर्कफ्लो में सुधार और दक्षता में वृद्धि की जा सके। तदनुसार, मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूर्सर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त (अगस्त 2013) किया गया था। परामर्शदाता को दिसंबर 2017 तक ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया गया था।

ईआरपी की पूर्ति, कमिशनिंग, प्रवर्तन में लाने, कार्यान्वयन और समर्थन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के चयन के लिए, दिसंबर 2014 में खोलने की देय तिथि के साथ नवंबर 2014 में निविदा आमत्रित की गई थी। हालांकि भावी बोलीदाताओं द्वारा किए गए अनुरोध और भागीदारी में वृद्धि के संदर्भ में, देय तिथि तीन बार बढ़ा दी गई थी। प्रतिक्रिया में, केवल दो फर्मों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जुलाई 2015 में खोली गई थी।

बोलियों के मूल्यांकन में पूर्व-योग्यता मानदंड/अनिवार्य आवश्यकताओं का मूल्यांकन और आगे सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन सम्मिलित हैं। हालांकि, बोलियों के मूल्यांकन के लिए कोई समय सीमा तय

ईआरपी परियोजना
के कार्यान्वयन में
देरी हुई जिसके
कारण सभी
परिचालन कार्यों को
एकीकृत करने और
कम्पनी में निगरानी
प्रणाली को सुदृढ़
करने के उद्देश्यों
की पूर्ति नहीं हुई।

नहीं की गई थी। बोली मूल्यांकन समिति¹⁰ ने मूल्यांकन के लिए 12 माह का समय लिया और प्रस्ताव की वैधता (जून 2016) बीत गई। हालांकि कम्पनी ने बोलीदाताओं से अक्टूबर 2016 तक अपने प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने का अनुरोध (अगस्त 2016) किया, लेकिन एक बोलीदाता ने इनकार कर दिया, इसलिए कम्पनी ने एकल बोलीदाता की मूल्य-बोली नहीं खोलने के लिए निर्णय किया (अक्टूबर 2016)। इसलिए, कार्य की निविदा पुनः बुलाई गयी (नवंबर 2016), और तकनीकी और मूल्य बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद 24 माह की निर्धारित समापन तिथि के साथ ₹ 55.95 करोड़ की लागत से कार्यादेश जारी किया गया (मई 2017) और परियोजना का निष्पादन प्रगति पर है (दिसंबर 2017)।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि निविदा को अंतिम रूप देने में जटिलता के कारण, ईआरपी परियोजना में देरी हुई है। हालांकि, इसने परिचालन कार्यों की निगरानी को प्रभावित नहीं किया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी निविदा को अंतिम रूप देने में समिलित प्रक्रियाओं से अवगत थी। हालांकि, कम्पनी निविदा को अपनी स्वयं की निर्धारित वैधता अवधि के अंदर अंतिम रूप देने में विफल रही। इसके अलावा, ईआरपी के कार्यान्वयन में देरी के कारण, सभी परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के अपने उल्लिखित उद्देश्य और इस प्रकार रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशंसा: बेहतर कार्य प्रवाह और संचालन की प्रभावी निगरानी के लाभ प्राप्त करने के लिए कम्पनी को आगे बिना किसी देरी के ईआरपी परियोजना को पूर्ण करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

योजना और परियोजना अवधारणा

योजना प्रक्रिया में देखी गई कमियां निम्नानुसार हैं:

योजनाओं को बनाने और अनुमोदन में कमियां

2.1.11 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा जारी (जुलाई 2005) पूंजी व्यय के दिशानिर्देशों (केपेक्स) के अनुसार, कम्पनी को दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करने और निष्पादित होने वाली सभी परियोजनाओं का विवरण समिलित करते हुए पांच वर्षीय योजना और वार्षिक केपेक्स योजनाएं एमपीईआरसी को जमा करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में, निम्नलिखित पाया गया था:

- कम्पनी ने राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की थी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। इस प्रकार, मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन) की अध्यक्षता वाली योजना शाखा, केपेक्स दिशानिर्देशों में निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
- कम्पनी की योजना शाखा ने निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त किए बिना, 12वीं योजना अवधि (2012–17) के लिए ₹ 7,370.22 करोड़ की पांच वर्षीय केपेक्स योजना के लिए एमपीईआरसी की मंजूरी (जुलाई 2012) प्राप्त कर ली।
- योजना शाखा ने 2012–13 से 2016–17 के लिए वार्षिक पूंजी व्यय योजनाएँ (नियोजित व्यय:- ₹ 4,750.17 करोड़¹¹) तैयार की, लेकिन वे केपेक्स दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृति के लिए निदेशक मंडल और एमपीईआरसी को जमा करने में नाकाम

¹⁰ मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन), मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) और मुख्य वित्तीय अधिकारी को समिलित करते हुए।

¹¹ 2012–13 के लिये ₹ 342.20 करोड़, 2013–14 के लिये ₹ 387.84 करोड़, 2014–15 के लिये ₹ 629.85 करोड़, 2015–16 के लिये ₹ 1,496.83 करोड़ और 2016–17 के लिये ₹ 1,893.45 करोड़।

रहे, जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। इसके अलावा, केपेक्स दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि वार्षिक पूँजी व्यय योजना में बताए गए पूँजीगत निवेश, पांच वर्षीय योजना के अनुसार होंगे। जहां परिस्थितियों के कारण पांच वर्षीय योजना में संशोधन होता है ऐसी परिस्थितियों के साथ—साथ निवेश योजनाओं पर उनके प्रभाव को भी अवश्य बताया जाना चाहिए। हालांकि, योजना शाखा ने इसका पालन नहीं किया। एमपीईआरसी भी निगरानी करने में असफल रहा और उसने कम्पनी को जोर नहीं दिया कि केपेक्स दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक पूँजी व्यय योजना जमा करे।

लेखापरीक्षा के उत्तर में विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2017) कि अगले दस वर्षों के लिए आवश्यक संचारण कार्यों की पहचान की गई। हालांकि इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आगे पूछे जाने पर कम्पनी ने पुष्टि की कि दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की कोई ऐसी प्रथा कम्पनी में नहीं थी। यह भी कहा गया था कि 12वीं योजना अवधि के लिए आवश्यक पूँजी व्यय एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की है। इसके अलावा, एमपीईआरसी को जमा करने से पहले पांच वर्ष की केपेक्स योजना को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। निदेशक मंडल और एमपीईआरसी को वार्षिक पूँजी व्यय योजना प्रस्तुत करने में विफलता के बारे में उत्तर मौन है।

अनुशंसा: कम्पनी को दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, पांच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं को बनाने के लिए एमपीईआरसी के केपेक्स दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

2.1.12 जैसा कि कांडिका 2.1.11 में उल्लेख किया गया है, कम्पनी की योजना शाखा द्वारा तैयार की गई वार्षिक पूँजी व्यय योजना, पांच वर्षीय योजना के अनुरूप नहीं थी। नतीजतन, कई कार्य जिनकी पांच वर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी को बाहर रखा गया था और अन्य कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.1 (अ)** और **परिशिष्ट-2.1.1 (ब)** में विस्तृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में बड़े परिवर्तन और गैर-उपलब्धि रही, जैसा की तालिका क्रमांक 2.1.3 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका क्रमांक 2.1.3				
विवरण	द्रांसमिशन लाइन	सब-स्टेशनों की संख्या	सब-स्टेशनों की क्षमता	योग
भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियाँ (2012–17)				
पांच वर्षीय योजना के अनुसार भौतिक लक्ष्य	10,667.30 सर्किट किलोमीटर	94	19,698 एमघीए	
वार्षिक योजना में प्रोग्राम किये गए भौतिक लक्ष्य ¹²	5,842 सर्किट किलोमीटर	82	17,470 एमघीए	
पांच वर्षीय योजना से वार्षिक योजनाओं में कमी (प्रतिशत में)	45.23	12.77	11.31	
वास्तविक उपलब्धि	5,250.11 सर्किट किलोमीटर	83 ¹³	17,852 ¹⁴ एमघीए	
पांच वर्षीय योजना से वास्तविक उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	50.78	11.70	9.37	

¹² वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये।

¹³ 83 सब-स्टेशनों में से 24 सब-स्टेशनों की योजना 2012–13 से पहले की गई थी, लेकिन वह योजना अवधि (2012–17) में पूर्ण हुए।

¹⁴ 17,852 एमघीए में से 2854 एमघीए क्षमता, 17 सब-स्टेशनों के संबंध में थी, जिन्हें 2012–13 से पहले योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन इनको कार्य योजना अवधि (2012–17) में पूर्ण किया गया था।

तालिका क्रमांक 2.1.3				
विवरण	ट्रांसमिशन लाइन	सब-स्टेशनों की संख्या	सब-स्टेशनों की क्षमता	योग
वित्तीय लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां (2012-17)				(₹ करोड़ में)
पांच वर्षीय योजना के अनुसार वित्तीय लक्ष्य	4,032.99	3,337.23		7,370.22
वार्षिक योजना के अनुसार वित्तीय लक्ष्य		4,750.17		4,750.17
वास्तविक वित्तीय उपलब्धि	2,231.33	2,941.08		5,172.41
पांच वर्षीय योजना से वास्तविक उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	44.67	11.87		29.82

अनुमोदित डीपीआर¹⁵ में लक्षित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना तथा कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब (कंडिका 2.1.17 में वर्णित) के कारण पांच वर्षीय योजना के लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के खराब निष्पादन (कंडिका 2.1.21 में वर्णित) इत्यादि के कारण वार्षिक योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही। लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के परिणामस्वरूप लाइनों पर भार अधिक रहा (कंडिका 2.1.13 में वर्णित)।

पांच वर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में लक्षित कार्यों को समिलित न किये जाने तथा अन्य कार्यों के निष्पादन के सबंध में विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2017) कि किये गये कार्य अत्यावश्यक होने के कारण तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने तथा विभिन्न क्षेत्रों में भार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य पुनर्निर्धारित किए गए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पांच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कमी थी, जैसा कि तालिका क्रमांक 2.1.3 में कहा गया है। जबकि विभाग द्वारा बताये गये उपरोक्त कारणों का भी लक्ष्य प्राप्ति की कमी में योगदान रहा, प्रारंभिक कारण योजना शाखा द्वारा खराब नियोजन रहा, चूंकि कम्पनी द्वारा बनायी गयी वार्षिक योजनाएँ, अनुमोदित पांच वर्षीय योजना के अनुसार नहीं थी।

लाइनों पर अधिक भार

2.1.13 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ट्रांसमिशन परफॉरमेंस स्टैण्डर्ड्स) रेगुलेशन, 2004 के अनुसार, 132 केव्ही तथा 220 केव्ही की सभी एकल लाईनों पर सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग¹⁶ (सिल) क्रमशः 50 मेगावाट तथा 132 मेगावाट निर्धारित की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2012-17 के दौरान नौ ट्रांसमिशन लाइनों¹⁷ की सिल निर्धारित सीमा से 32 से 90 प्रतिशत तक की सीमा में लगातार अधिक रही। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अधिक भार की समस्या के निपटान के लिए, योजना शाखा द्वारा नौ कार्य पांच वर्षीय योजना में समिलित किये गए, किन्तु इन में से तीन कार्य¹⁸ ही वार्षिक योजना में समिलित किए गये। शेष छह कार्यों को वार्षिक योजना में समिलित न करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। आगे, वार्षिक योजना में समिलित तीन कार्यों में भी 220 केव्ही गोराबाजार सब-स्टेशन के लिए भूमि के निर्धारण में देरी होने के कारण, जैसा कि कंडिका 2.1.19 में उल्लेखित है तथा कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण लाइनों के कार्य पूर्ण न होने के कारण विलम्ब हुआ।

¹⁵ दो डीपीआर (कुल योजना लागत ₹ 3,300 करोड़) जो वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदित (जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी तथा केएफडब्लू विकास बैंक) मार्च 2016 और जून 2016 में किए गए थे जो कि पांच वर्षीय योजना में समिलित किये गए, किन्तु योजना अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं हो सके।

¹⁶ सर्ज इम्पैडेंस लोडिंग (सिल) ट्रांसमिशन लाइन (मेगावाट में) की लोडिंग है जिस पर एक प्राकृतिक रिएक्टिव पावर संतुलन होता है। यदि एसआईएल अनुमेय सीमा पार करता है, तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो सकती है और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

¹⁷ 132 केव्ही साउथ जोन-सत्य साई लाईन, 220 केव्ही इंदौर-जैतपुरा-1 लाइन, 220 केव्ही इंदौर-जैतपुरा-2 लाइन, 132 केव्ही इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स-साउथ जोन लाईन, 132 केव्ही भोपाल-अमरावत खुर्द लाईन, 132 केव्ही रीवा-मनगवां लाईन, 132 केव्ही नागदा-खाचरौद लाईन, 132 केव्ही जबलपुर-हीएफजे-1 लाइन तथा 132 केव्ही गुना-भौंरा लाईन।

¹⁸ 220 केव्ही सब-स्टेशन गोराबाजार, 132 केव्ही नागदा-खाचरौद-जावरा लाइन तथा 132 केव्ही रीवा-मनगवां लाईन की दूसरी सर्किंग।

इस प्रकार, पांच वर्षीय योजना (2012–17) में समिलित छह कार्य सम्पन्न न होने के कारण तथा पांच वर्षीय योजना के साथ वार्षिक योजना में समिलित तीन कार्यों में विलम्ब होने के कारण लाइनों पर अधिक भार रहा। परिणामस्वरूप, ट्रांसमिशन सिस्टम की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता¹⁹ जोखिम में रही। इस प्रकार अधिक भार की समस्या से निजात पाने के लिए योजना शाखा, वार्षिक पूँजी व्यय योजना बनाने के दौरान ठोस कदम उठाने में तथा प्रोक्योरमेंट शाखा योजना अनुसार कार्य पूर्ण करने में असफल रही।

विभाग ने माना (दिसम्बर 2017) कि योजना के अनुसार समय पर कार्य सम्पन्न नहीं होने के कारण ट्रांसमिशन लाइनों पर अधिक भार रहा।

उत्तर अधिक भार के समस्या से निजात पाने के लिए पांच वर्षीय योजना में लक्षित छह कार्यों को वार्षिक योजना में समिलित करने में असफल होने के विषय में मौन है।

एपेक्स तथा राज्य स्तर की समितियों का गठन न होना

2.1.14 अति उच्च दाब सब–स्टेशनों, ट्रांसमिशन लाइनों तथा फीडर बे का निर्माण करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, वन, रक्षा, रेलवे आदि से वैधानिक अनुमति तथा कार्य करने की अनुमति लेनी होती है। तथापि, कम्पनी द्वारा सम्बंधित विभागों, जो कि विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बंधित थे, से पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी एपेक्स तथा राज्य स्तर पर समितियों का गठन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन विभागों से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण होने में भी विलंब हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.19 में उल्लेखित है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि वैधानिक अनुमति तथा कार्य करने की अनुमति कम्पनी की क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्राप्त की जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न विभागों से वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जो कि एपेक्स तथा राज्य स्तर की समिति के अनुसरण से टाला जा सकता था।

प्रोक्योरमेंट/कार्य मैन्युअल नहीं बनाया जाना

2.1.15 कम्पनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) तथा पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण लेकर वृहद स्तर पर विस्तार कार्य, लाइनों तथा सब–स्टेशन का आधुनिकीकरण तथा संधारण कार्य कराये जाते हैं। तथापि, कम्पनी के निगमन के 16 वर्ष बीतने के बाद भी आसान एवं त्वरित निर्णय हेतु व्यवस्थित एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश, सामग्री क्रय/कार्यों को सम्पादित करने सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए प्रथक संहिताबद्ध प्रोक्योरमेंट/कार्य मैन्युअल नहीं बनाया गया है।

कम्पनी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि प्रोक्योरमेंट/कार्य सम्बन्धी गतिविधियां पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की प्रक्रिया के आधार पर किए जाते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लिखित में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी।

प्रोक्योरमेंट/कार्य मैन्युअल के अभाव में कार्यों के संपादन में कमियाँ रही जिसका विवरण कंडिका 2.1.18 तथा 2.1.19 में दिया गया है। आगे, कम्पनी ठेकेदारों को कार्यों के संपादन के लिए मोबिलाईजेशन अग्रिम²⁰ का भुगतान अलग–अलग नियम एवं शर्तों के साथ अलग–अलग ब्याज दरों पर करती है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि मैन्युअल बनाया जा रहा है तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा। इसकी प्रगति को लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

¹⁹ यदि सिल, सीमा को पार करती है तो यह लाइनों की ट्रिपिंग तथा लाईन में क्षमता से अधिक लोड के कारण वोल्टेज में उतार–चढ़ाव का कारण होती है।

²⁰ जेआईसीए के लोन क्रमांक 1 के सन्दर्भ में कार्यादेश के मूल्य का 15 प्रतिशत, एडीबी के लोन क्रमांक 3 के सन्दर्भ में 10 प्रतिशत तथा पीएफसी ऋण के अंतर्गत कार्यों के सन्दर्भ में 10/15 प्रतिशत।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा निष्पादन

2.1.16 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नए संरचना निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, वर्तमान ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमता वृद्धि तथा वर्तमान संरचना का आधुनिकीकरण सम्मिलित हैं।

निर्माण गतिविधियों में (1) टर्नकी तथा सेमी-टर्नकी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए योजना बनाना तथा चयन करना, (2) अनुमोदित डीपीआर के अनुसार कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं का चयन, (3) लागत तथा समय सम्बन्धी सीमाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की निगरानी। ट्रांसमिशन कार्यों तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी), पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन एवं केएफडब्लू डेवलपमेंट बैंक से उधार लेती है।

कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

2.1.17 वर्ष 2012-17 के दौरान, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता में प्रोक्योरमेंट शाखा ने ₹ 3,563.45 करोड़ मूल्य के 46 टर्नकी अनुबंध आदेश (जिसमें ट्रांसमिशन लाइनों, फीडर बे²¹ तथा सब-स्टेशन के 465 निर्माण कार्य थे) जारी किए। मार्च 2017 को इन 465 कार्यों की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.4 में दी गई है:

तालिका क्रमांक 2.1.4						
विवरण / कार्य	कुल कार्य	समय पर पूर्ण हुए कार्य	विलम्ब से पूर्ण हुए कार्य	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारंभ हुए किन्तु रुक गए	कार्य जो प्रारंभ नहीं हुये
लाइन						
400 केव्ही लाइन	3	0	0	1	0	2
220 केव्ही लाइन	31	0	13	10	6	2
132 केव्ही लाइन	139	15	56	37	21	10
योग	173	15	69	48	27	14
सब-स्टेशन						
400 केव्ही सब-स्टेशन	2	0	0	2	0	0
220 केव्ही सब-स्टेशन	22	0	13	4	4	1
132 केव्ही सब-स्टेशन	82	7	39	15	18	3
योग	106	7	52	21	22	4
फीडर बे						
400 केव्ही फीडर बे	1	0	0	0	0	0
220 केव्ही फीडर बे	24	0	7	12	4	0
132 केव्ही फीडर बे	161	16	87	35	16	7
योग	186²²	16	94	47	20	7
कुल योग	465	38	215	116	69	25

सब-स्टेशन तथा लाइनों के कार्य विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, कम्पनी लेखापरीक्षा अवधि में ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की वांछित कमी करने में असफल रहीं। खराब निष्पादन के मुख्य कारण विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना (कंडिका 2.1.18), भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश देना (कंडिका 2.1.19), लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ (कंडिका 2.1.20), एक ठेकेदार को एक साथ अनेक ठेके जारी करना (कंडिका 2.1.21), ठेकेदार द्वारा टर्नकी

सब-स्टेशन तथा लाइनों के कार्य विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, कम्पनी लेखापरीक्षा अवधि में ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की वांछित कमी करने में असफल रहीं। खराब निष्पादन के मुख्य कारण विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना (कंडिका 2.1.18), भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश देना (कंडिका 2.1.19), लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ (कंडिका 2.1.20), एक ठेकेदार को एक साथ अनेक ठेके जारी करना (कंडिका 2.1.21), ठेकेदार द्वारा टर्नकी

²¹ फीडर बे सब-स्टेशन से ट्रांसमिशन तथा वितरण लाइनों को विद्युत का प्रवाह करता है।

²² कार्यादेश जारी होने के बाद दो फीडर बे के कार्य परित्यक्त किये गये।

ठेके के निष्पादन में खराब प्रदर्शन (कंडिका 2.1.22) आदि। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पायी गयी विशेष कमियों का उल्लेख आगे किया गया है।

विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना

2.1.18 भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर गठित टास्क फोर्स²³ की अनुशंसा (अगस्त 2005) के अनुसार विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां जैसे मार्ग संरेखण, निविदा सूचना के पूर्व विस्तृत सर्वे तथा मृदा परिक्षण, वैधानिक अनुमतियां, भूमि की पहचान, भूमि के आधिपत्य हेतु औपचारिकतायें आदि समय पर किए जाने चाहिये ताकि परियोजनाओं के निष्पादन में समय बचाया जा सके। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मैन्युअल²⁴ (डब्ल्यूडीएम) में भी यह प्रावधान है कि डीपीआर, सर्वे तथा अन्वेषण के बाद ही बनाना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) द्वारा विस्तृत सर्वे किए बिना परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया तथा तदोपरांत, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए निविदा सूचना जारी की गई। विस्तृत सर्वे, कार्यादेश जारी करने के बाद किए गए। 116 लाइनों के निर्माण कार्यों²⁵ में से 57 लाइनों (49.14 प्रतिशत) में पाया गया कि विस्तृत सर्वे के दौरान लाइनों की मार्ग लंबाई प्रारंभिक अनुमानों से 97.10 प्रतिशत तक कम हुई (49 कार्य) तथा 20 प्रतिशत तक बढ़ गयी (आठ कार्य)। चैंकि अनुबंध राशि निर्धारित करते हुए टर्नकी ठेके इन्हीं प्रारंभिक सर्वे तथा अनुमानों के आधार पर जारी किए थे, अनुबंध निष्पादन के दौरान मात्रा में कमी हुई, जिसके फलस्वरूप, अनुबंधों का वास्तविक मूल्य भी ₹ 161.80 करोड़ से कम हुआ। तथापि, कम्पनी ने मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान अनुबंधों के कार्यादेश राशि पर किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 20.07 करोड़ का अधिक मोबिलाईजेशन अग्रिम ठेकेदारों को जारी किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि समय की बचत तथा ट्रांसमिशन कार्यों में व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए कार्यों के कार्यादेश तथा विस्तृत सर्वे की गतिविधियाँ एक साथ प्रारंभ की गयी। निकास सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि कम्पनी के अधिकारियों को कार्यादेश जारी करने के पूर्व सभी प्रारंभिक गतिविधियां सुनिश्चित करना चाहिये।

इसलिए यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स की अनुशंसा के साथ-साथ डब्ल्यूडीएम के प्रावधानों का पालन न करते हुए कार्यादेश जारी करने से पहले विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों अर्थात् सर्वेक्षण, मार्ग संरेखण और विस्तृत अनुमानों की तैयारी नहीं की। इसके अलावा, विस्तृत सर्वेक्षण से पहले कार्यादेशों को जारी करके कोई समय और लागत बचत नहीं की गई क्योंकि अधिकांश कार्यों में देरी हुई थी।

अनुशंसा: कम्पनी द्वारा विस्तृत सर्वे, मार्ग संरेखण, विस्तृत अनुमान बनाने के बाद ही कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करना चाहिये जैसा कि लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल में दिया गया है।

²³ टास्कफोर्स में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य ट्रांसमिशन कम्पनियों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निष्पादन में समय में कमी लाने के लिए तरीकों की अनुशंसा प्रदान करना था।

²⁴ कम्पनी के स्वयं के प्रोक्योरमेंट/कार्य मैन्युअल के अभाव में, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल को बैंचमार्क/सर्वोत्तम प्रथाओं हेतु अपनाया गया।

²⁵ लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा समीक्षा अवधि 2012–17 के दौरान जारी किए गए 46 कार्यादेशों में से 25 कार्यादेशों की जाँच की गई। नमूनों का चयन इंटरेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडीईए) सॅप्टवेयर के माध्यम से स्तरीकृत/प्रतिचयन विधि के आधार पर किया गया। चयनित नमूने में 116 लाइनों के कार्य लिए गए हैं।

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यादेश जारी करना

2.1.19 भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक गतिविधियां जैसे सब-स्टेशन के लिए भूमि की पहचान तथा भूमि के आधिपत्य हेतु प्रक्रिया की शुरुआत आदि परियोजनाओं के जल्दी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार भी, कार्य हेतु भूमि के अधिग्रहण की औपचारिकता, कार्य प्रारंभ करने के पहले ही पूर्ण करना चाहिये। मानक कार्यादेश के परिशिष्ट छह के अनुसार, कम्पनी (योजना शाखा) को भूमि/स्थल का आधिपत्य ठेकेदार को प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

➤ कम्पनी द्वारा सब-स्टेशन के लिए भूमि का आधिपत्य लेने के लिए कोई भी दिशानिर्देश तथा प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने 11 सब-स्टेशनों²⁶ के कार्यादेश, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जारी कर दिए। इसी बीच कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों को ₹ 15.80 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम जारी किया गया। चूंकि ठेकेदारों को भूमि का आधिपत्य कार्यादेश की तिथि से सात से 20 माह के विलम्ब से दिया गया था, संभावित कार्यान्वयन से काफी पहले मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ। साथ ही, विलम्ब से भूमि उपलब्ध कराने के कारण ठेकेदारों को समय वृद्धि दी गयी, परिणामस्वरूप, सब-स्टेशनों तथा सम्बंधित ट्रांसमिशन लाइनों तथा फीडर बे के निर्माण में विलम्ब हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि समय की बचत तथा ट्रांसमिशन कार्यों के व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए कार्यों के कार्यादेश तथा भूमि अधिग्रहण की गतिविधियां एक साथ की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने टास्क फोर्स की अनुशंसाओं तथा लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया। आगे यह भी कि भूमि के अधिग्रहण से पूर्व कर्यादेशों को जारी करने से किसी भी प्रकार से समय और धन की बचत नहीं हुई चूंकि अधिकतर कार्यों में विलम्ब हुआ। निकास सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि कम्पनी के अधिकारियों को कार्यादेश जारी करने के पूर्व सभी प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।

➤ 220 केव्ही सब-स्टेशन, गोराबाजार हेतु प्रस्तावित भूमि डिफेन्स कैटोनमेंट क्षेत्र में थी। लोक निर्माण विभाग मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार डिफेन्स क्षेत्र की भूमि का उपयोग रक्षा मंत्रालय कि अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कार्यादेश, रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना जारी (सितम्बर 2012) कर दिया। इसके बाद रक्षा अधिकारियों ने (जुलाई 2014) केवल ट्रांसमिशन लाइनों के टावरों के निर्माण के लिए रक्षा भूमि के उपयोग के लिए कम्पनी को अनुमति दी। हालांकि, कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण, डिवीजन-1), जबलपुर ने इसे सब-स्टेशन के निर्माण की अनुमति मान कर, सब-स्टेशन के निर्माण के कार्य को आरम्भ करने के लिए ठेकेदार को निर्देश (नवंबर 2014) दिया। नतीजतन, ठेकेदार के कार्य आरम्भ करने के बाद और स्थल पर विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद रक्षा अधिकारियों द्वारा कार्य रोक दिया गया।

इसके बाद, रक्षा अधिकारियों ने (अगस्त 2016) सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए कम्पनी से प्रति माह ₹ 23.90 लाख किराये की मांग की। हालांकि,

²⁶ 132 केव्ही सब-स्टेशन-कैलारस, घिनौर, नरसिंहगढ़, ईटखेड़ी, मोरवान, कटंगी, बड़ा मल्हरा, 220 केव्ही सब-स्टेशन आदमपुर, गोराबाजार, मुगलियाछाप और मांगलिया एडीबी लोन क्रमांक 3 तथा जेआईसीए लोन क्रमांक 1 के तहत किए गए।

कम्पनी ने (सितंबर 2016) इसका विरोध किया, इस मामले को हल नहीं किया गया है और सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है (दिसंबर 2017)। इस प्रकार, जबलपुर शहर के बिजली भार में वृद्धि के अनुरूप ट्रांसमिशन प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इसके अलावा, ठेकेदार को ₹ 2.06 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान (नवंबर 2012) के साथ-साथ साइट पर लाई गयी सामग्रियों के लिए किए गए ₹ 2.35 करोड़ का व्यय भी अवरोधित रहा। चूंकि सब-स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ, संबंधित लाइनें²⁷ (जबलपुर-अमरकंटक और जबलपुर-मनेरी लाइन) भी नहीं बनाई जा सकीं, और इस प्रकार, लाइन कार्य के ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान (जनवरी 2013) भी अवरुद्ध रहा। योजना शाखा ने अब तक सब-स्टेशन के लिए वैकल्पिक साइट की पहचान नहीं की है (दिसंबर 2017)।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है और रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने के बाद कार्य पूर्ण किया जाएगा। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि बिना भूमि के अधिपत्य के कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था और रक्षा भूमि के उपयोग के मुद्दे को सुलझाये बिना ठेकेदार को ब्याज रहित अग्रिम जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

अनुशंसा: कम्पनी को परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, भूमि की पहचान, अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ

2.1.20 कम्पनी के अनुबंधों की मानक शर्तों के अनुसार योजना शाखा कार्यादेश के साथ लेआउट तथा ड्राइंग प्रदान करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

➤ श्यामगढ़²⁸ में 132 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य मेसर्स बीएस लिमिटेड को (मार्च 2014) दिया गया था। आवंटित भूमि के उचित सीमांकन के बिना, सब-स्टेशन के लेआउट और ड्राइंग तैयार (मई 2014) किये गये थे। कम्पनी के अधिकारियों²⁹ द्वारा, संशोधित भूमि सर्वेक्षण और भूमि की सीमा तय करने में देरी के कारण 17 माह बाद लेआउट और ड्राइंग संशोधित किये गये (अक्टूबर 2015)। इसके बाद, ठेकेदार (बीएस लिमिटेड) भी कार्य आरम्भ करने में नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने साइट पर मानव शक्ति, मशीनरी और आपूर्ति सामग्री का प्रदाय नहीं किया था। फलस्वरूप, ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिया गया, जिसका विवरण कड़िका 2.1.21 में दिया गया है। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 तक पूर्ण होने वाला कार्य अब तक आरम्भ भी नहीं किया जा सका (दिसंबर 2017) और श्यामगढ़ क्षेत्र में बिजली भार की आवश्यकता पूरी करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका।

➤ कार्यादेश जारी करने से पहले, योजना शाखा द्वारा फिनिशड ग्राउंड लेवल (एफजीएल)³⁰ को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी और जिसे कार्यादेश के साथ ठेकेदार को प्रदान किया जाना था। हालांकि, बदनावर³¹ में 400 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कम्पनी अधिकारियों³² द्वारा प्रस्तावित भूमि के लेआउट ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण कार्यादेश जारी करने के 12 माह बाद एफजीएल तय किया

²⁷ जेआईसीए लोन क्रमांक 1 के अंतर्गत किये गए।

²⁸ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया

²⁹ मूख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), उज्जैन तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), उज्जैन

³⁰ फिनिशड ग्राउंड लेवल, सब-स्टेशन के निर्माण में भूमि के समतलीकरण तथा स्पष्ट सीमांकन को दर्शाता है।

³¹ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया।

³² मूख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर।

गया। नतीजतन, कार्य मार्च 2015 तक आरम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यह कार्य मैसर्स बीएचईएल के टर्नकी अनुबंध के तहत था, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था और वे सामग्रियों की समय पर आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन में विफल रहे। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2016 तक निर्धारित कार्य पूर्णता के मुकाबले, केवल सिविल फाउंडेशन और संरचना का 25 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया (दिसंबर 2017)।

➤ कार्यादेश के साथ लेआउट ड्राइंग को सौंपना आवश्यक था। हालांकि, चापड़ा सब-स्टेशन³³ के 132 केव्ही से 220 केव्ही पर उन्नयन हेतु, कार्यादेश जारी करने (मार्च 2014) के 16 माह की देरी के बाद, जुलाई 2015 में लेआउट ड्राइंग तैयार की गई और सौंपी गई थी। कम्पनी के अधिकारियों³⁴ द्वारा प्रस्तावित भूमि के लेआउट को अंतिम रूप देने में देरी की वजह से लेआउट ड्राइंग विलम्ब से तैयार की गई थी। नतीजतन, कार्य जुलाई 2015 तक आरम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण, लेआउट ड्राइंग को सौंपने के बाद भी कार्य की प्रगति धीमी थी, और कार्य पूर्णता की निर्धारित तारीख (मार्च 2016) प्राप्त नहीं हुई थी। ठेकेदार (मेसर्स बीएस लिमिटेड) के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिया गया, जिसकी व्याख्या कंडिका 2.1.21 में की गई है। अनुबंध समाप्ति की दिनांक तक, केवल सिविल फाउंडेशन कार्य का 12 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया था, और अब तक शेष कार्य को पुनः प्रदाय नहीं किया गया है (दिसंबर 2017)।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि ठेकेदार के खराब प्रदर्शन की वजह से कार्य पूर्ण होने में देरी हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि देरी का प्राथमिक कारण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देने में विफलता थी जिससे कार्य आरम्भ होने में भी देरी हुई। इसके बाद, ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन ने भी देरी में योगदान दिया। निकास सम्मेलन (दिसंबर 2017) में कम्पनी ने स्वीकार किया कि कम्पनी द्वारा लेआउट और ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी और भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा: कम्पनी को लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देना और ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी को सुनिश्चित करना चाहिये ताकि कार्यों का समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

एकल ठेकेदार को एक साथ कई अनुबंध देना

2.1.21 ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की प्रतिवेदन में यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारित समय में कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्यों हेतु चयनित ठेकेदारों के पास पर्याप्त संसाधन और अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग³⁵ (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश शासन ने टर्नकी अनुबंधों के लिए मानक बोली—प्रक्रिया दस्तावेज (एसबीडी) में निर्धारित किया है कि परियोजनाओं हेतु बोलीदाता को वार्षिक औसत टर्नओवर और पिछले अनुभव के न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करना चाहिए।

कम्पनी ने एडीबी के ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु छह टर्नकी कार्य अनुबंधों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के चयन के लिए एक साथ निविदाएं (अगस्त 2013) आमंत्रित की। हालांकि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा ने प्रत्येक टर्नकी अनुबंध के लिए योग्यता मानदंड (औसत वार्षिक टर्नओवर, कार्यशील पूंजी इत्यादि) निर्धारित किये, परन्तु एक बोलीदाता द्वारा एक से

³³ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया।

³⁴ मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर।

³⁵ कम्पनी की अपनी प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनेजर की अनुपस्थिति में, डब्ल्यूआरडी के एसबीडी को बैंच मार्क/सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में लिया गया है।

अधिक टर्नकी अनुबंध हेतु बोलियाँ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, निविदाओं के संचयी मूल्यांकन के लिए कोई मानदंड तय नहीं किये गये थे। अतः, राज्य के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर एक साथ कई टर्नकी अनुबंध के कार्यों को करने हेतु ठेकेदार की क्षमता का आंकलन नहीं किया गया।

निविदाकार मेसर्स बीएस लिमिटेड ने सभी छह टर्नकी अनुबंधों के लिए बोलियाँ प्रस्तुत की और कम्पनी द्वारा ₹ 1,058.51 करोड़ के कुल छह अनुबंधों में से ₹ 710.27 करोड़ के चार अनुबंध उन्हें जारी (मार्च 2014) किये गये। निविदा दस्तावेजों में संचयी मूल्यांकन के मानदंडों की अनुपस्थिति में जारी किये गये चार अनुबंधों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा औसत वार्षिक टर्नओवर और न्यूनतम कार्यशील पूँजी की संचयी योग्यता मानदंड³⁶ क्रमशः ₹ 1,324.00 करोड़ और ₹ 265 करोड़ आंकलित की गई थी। इसके विरुद्ध, मेसर्स बीएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, उनका औसत वार्षिक टर्नओवर और कार्यशील पूँजी क्रमशः ₹ 1,180.63 करोड़ और ₹ 208.70 करोड़ थी। यदि निविदाकार की पात्रता का संचयी मूल्यांकन किया जाता, तो निविदाकार चार टर्नकी अनुबंध पाने के पात्र नहीं होते। यद्यपि, कम्पनी ने निविदाओं का संचयी मूल्यांकन किये बिना अनुबंध जारी कर दिए।

उल्लेखनीय है कि, निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान वित्तीय संस्था (एडीबी) ने भी मेसर्स बीएस लिमिटेड के औसत वार्षिक टर्नओवर के चार टर्नकी अनुबंधों हेतु संचयी औसत वार्षिक टर्नओवर आवश्यकता से कम होने पर चिंता व्यक्त (फरवरी 2014) की थी, जो कि ठेकेदार के खराब निष्पादन का कारण हो सकता था। उत्तर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने एडीबी को बताया कि निविदा दस्तावेजों में औसत वार्षिक टर्नओवर की आवश्यकता अनुबंधों की अनुमानित मूल्य से डेढ़ गुना रखी गई थी। यह मेसर्स बीएस लिमिटेड को जारी किये गये चार टर्नकी अनुबंधों के सम्बन्ध में ₹ 1,065 करोड़ निर्धारित किया गया। यद्यपि, निविदा दस्तावेजों के अनुसार चार टर्नकी अनुबंधों के सम्बन्ध में औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता ₹ 1,324 करोड़ थी जैसा की लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित किया गया। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने एडीबी को औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता के आंकड़ों के सम्बन्ध में गलत जानकारी दी।

ठेकेदार की कार्यस्थल पर सामग्री की आपूर्ति तथा मानवशक्ति प्रदाय करने की असफलता के कारण, सभी कार्यों की प्रगति प्रारंभ से ही धीमी तथा असंतोषजनक थी। परिणामस्वरूप, ₹ 15.32 करोड़ की लागत के छह फीडर बे तथा दो ट्रांसमिशन लाइनों के कार्य ही कार्य पूर्णता अवधि (अक्टूबर 2016) तक पूर्ण किये जा सके। यद्यपि, कम्पनी ने सभी चार अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिए, परन्तु सभी बचे हुए कार्यों को अब तक पुनः जारी नहीं किया गया था (दिसम्बर 2017)। परिणामस्वरूप ₹ 129.44 करोड़ के निवेश के पश्चात भी भोपाल, जबलपुर तथा इंदौर क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली भार की आपूर्ति करने तथा ट्रांसमिशन प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने के निर्धारित उद्देश्य अपूर्ण रहे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि प्रत्येक निविदा का प्रथक से वित्तीय मूल्यांकन के साथ ठेकेदार का संचयी मूल्यांकन भी किया गया था तथा एडीबी को उनके प्रश्न के उत्तर में बताया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगर संचयी मूल्यांकन किया गया होता तो मेसर्स बीएस लिमिटेड चार टर्नकी अनुबंध पाने का पात्र नहीं होता। साथ ही, कम्पनी ने एडीबी को औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता के आंकड़ों के सम्बन्ध में गलत जानकारी दी।

³⁶ निविदाकार की संचयी पात्रता, प्रत्येक टर्नकी अनुबंध के लिए औसत वार्षिक टर्नओवर और न्यूनतम कार्यशील पूँजी की पात्रता मानदंड आवश्यकता को जोड़कर तैयार की गई है।

टर्नकी कार्य अनुबंध के निष्पादन में खराब प्रगति

2.1.22 मेसर्स आइसोलक्स इंजीनीरिंग लिमिटेड को ₹ 192.20 करोड़ की लागत पर जारी (मई 2013) किया गया टर्नकी कार्य अनुबंध अप्रैल 2015 तक पूर्ण होना था। अनुबंध के वाक्य 25.1(5) के अनुसार अगर ठेकेदार सहमत मात्रा की तुलना में किसी भी तिमाही के अंत में कम से कम 50 प्रतिशत संचयी प्रगति प्राप्त करने में असमर्थ है तो कम्पनी अनुबंध को समाप्त कर सकती है। ठेकेदार का प्रदर्शन लगातार खराब था, जैसा कि **पारिशिष्ट 2.1.2** में दर्शाया गया है। टर्नकी अनुबंध में 23 कार्यों³⁷ में से, ठेकेदार ने केवल छह कार्य 11 से 14 माह की देरी के साथ पूरे किए, और शेष कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए थे (नवंबर 2017)। देरी के मुख्य कारण, ठेकेदार की कार्यों के लिए सामग्रियों और जनशक्ति प्रदान करने में विफलता और उप-ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाना थे। यद्यपि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ठेकेदार ने कार्य की गति में तेजी लाने का आश्वासन दिया था। कार्यों की प्रगति लगातार धीमी रही और अनुबंध अंततः नवंबर 2017 में समाप्त किया गया।

आगे, वाक्य 15.2 के अनुसार, यदि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का नगदीकरण किया जाना था। यद्यपि, निर्धारित पूर्णता अवधि (अप्रैल 2015) की समाप्ति से 19 माह की देरी के बाद मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने ठेकेदार की ₹ 19.22 करोड़ की पीबीजी का नगदीकरण किया (नवंबर 2016)। पीबीजी के नगदीकरण किये जाने में देरी के लिए कोई कारण लेखों में नहीं पाया गया। आगे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) भी मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरुद्ध ₹ 25.27 करोड़ की बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में असफल रहे, जैसा की **कांडिका 2.1.31** में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, इन कार्यों पर ₹ 40.26 करोड़ का निवेश अनुपयोगी रहा तथा कम्पनी इन कार्यों से ग्वालियर तथा जबलपुर क्षेत्रों में अतिरिक्त भार की आवश्यकता को पूर्ण करने के निर्धारित लाभ प्राप्त करने से वंचित रही।

अनुशंसा: कम्पनी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कार्यों को समयानुसार पूर्ण करवाने हेतु खराब निष्पादन वाले ठेकेदारों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामग्री की वसूली न किया जाना

2.1.23 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की प्रमुखता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा ने 23 कार्यों में से चार कार्यों³⁸ के संबंध में जैसा की **कांडिका 2.1.22** में उल्लेख किया गया है, कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाने हेतु कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार को ₹ 7.19 करोड़ की कीमत की विभिन्न सामग्रियां³⁹ उधारी पर प्रदाय (अगस्त 2014 से सितंबर 2016 के दौरान) की। उपरोक्त में से ₹ 64.47 लाख की राशि वसूल की गई तथा ₹ 6.55 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री अब तक वापस नहीं लौटाई गई/समायोजित नहीं की गई (दिसम्बर 2017)। हालांकि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) सामग्री के मूल्य की वसूली/समायोजन के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामग्री प्रदाय की गई थी, तथा बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

³⁷ 10 ट्रांसमिशन लाइन, सात सब-स्टेशन और छह फीडर बैंक के निर्माण के लिए।

³⁸ 132 केव्ही सब-स्टेशन बडागांव-दिमनी तथा लटेरी, 220 केव्ही सब-स्टेशन सिरमौर एवं सिरोंज-मकसूदनगढ़ लाइन का लीलो

³⁹ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सी और आर पैनल, कोअक्सिअल केबल, बस बार, अर्थिंग सामग्रियां इत्यादि।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), उधार दी गयी सामग्रियों की वापसी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने में असफल रहे। इसके अलावा, अनुबंध समाप्त होने के बाद भी सामग्री के मूल्य की वसूली अभी भी लंबित है।

नव निर्मित 132 केव्ही सब-स्टेशनों का अनुपयोगी रहना

2.1.24 उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक बिजली, ट्रांसमिशन सिस्टम के 132 केव्ही सब-स्टेशन से लेकर, वितरण कम्पनियों (उपयोगकर्ता एजेंसी) के 33 केव्ही फीडर को प्रदाय की जाती है। कम्पनी ने 2012–17 की अवधि के दौरान 132 केव्ही के 65 सब-स्टेशनों का निर्माण किया। इनमें से, जुलाई 2015 से सितंबर 2016 के दौरान स्थापित नौ सब-स्टेशनों को वितरण कम्पनियों द्वारा दिसम्बर 2017 तक 33 केव्ही फीडर से जोड़ा नहीं गया था। इसके अलावा, मार्च 2015 से जून 2016 के दौरान स्थापित किए गए छह सब-स्टेशनों को वितरण कम्पनियों द्वारा कनेक्टिंग लाइनों के निर्माण में विलम्ब के कारण चार से 18 माह के विलम्ब से 33 केव्ही फीडर से जोड़ा गया। वितरण कम्पनियों के संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंताओं द्वारा राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े मुद्दों को हल करने में उनकी पहल की कमी के कारण ट्रांसमिशन कम्पनी के सब-स्टेशनों को 33 केव्ही फीडरों के साथ जोड़ने में असफल रहे। नतीजतन, अतिरिक्त भार की मांग को पूर्ण करने और क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि 33 केव्ही फीडरों को 132 केव्ही सब-स्टेशनों से नहीं जोड़ने का मामला वितरण कम्पनियों (उपयोगकर्ता एजेंसी) से संबंधित है। प्रमुख सचिव ने निकास सम्मेलन (दिसंबर 2017) में आश्वासन दिया कि मामले की चर्चा वितरण कम्पनियों के साथ की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक ही राज्य सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाली बिजली क्षेत्र की कम्पनियाँ (कम्पनी और वितरण कम्पनियाँ) एक दूसरे के साथ समन्वय करने में विफल रही हैं।

अनुशंसा: राज्य सरकार को ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, कम्पनी और वितरण कम्पनियों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जैसी प्रणाली विकसित करना चाहिए।

नव निर्मित 220 केव्ही सब-स्टेशनों का कम उपयोगित रहना

2.1.25 सब-स्टेशन और इसकी संबंधित लाइन की निर्धारित पूर्णता अवधि उनके सिंक्रोनाइजेशन और इष्टतम उपयोग के लिए समान होनी चाहिए। योजना शाखा ने बिजली आपूर्ति प्रदान करने, मौजूदा सब-स्टेशनों पर ओवरलोडिंग को कम करने तथा वोल्टेज प्रोफाइल और बिजली वितरण क्षमता में सुधार के लिए मुगलियाछाप, ग्वालियर-2 और सिरमौर में 220 केव्ही सब-स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना की। सब-स्टेशनों से आगे बिजली प्रदाय के लिए मुगलियाछाप सब-स्टेशन से 132 केव्ही की चार ट्रांसमिशन लाइनें, ग्वालियर-2 सब-स्टेशन से 132 केव्ही की तीन ट्रांसमिशन लाइनें तथा सिरमौर सब-स्टेशन से 132 केव्ही की एक ट्रांसमिशन लाइन प्रस्तावित की गई (नवम्बर 2011 से मार्च 2013)। हालांकि, **परिशिष्ट 2.1.3** में दिए गए कारणों के कारण स्थापित किए गए सब-स्टेशनों से बिजली आगे प्रदाय करने के लिए आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण न करने के कारण कम्पनी के अधिकारी⁴⁰ इन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को संबंधित सब-स्टेशनों के निर्माण के साथ सिंक्रोनाइज करने में असफल रहे। नतीजतन, सब-स्टेशनों पर भार कम था और सबस्टेशन कम उपयोगित बने रहे।

⁴⁰ मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण)

इस प्रकार, तीन सब-स्टेशनों पर 18 से 32 माह तक, ₹ 58.34 करोड़ का निवेश व्यर्थ रहा (दिसंबर 2017) और अतिरिक्त भार की मांग प्रदान करने और क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया गया था।

अनुशंसा: कम्पनी को सब-स्टेशनों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के सिंक्रोनाइजेशन को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि स्थापित सब-स्टेशनों के अल्प उपयोग का परिवर्जन किया जा सके।

फीडर लाइन के परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यर्थ निवेश

2.1.26 वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार और ईशागढ़ क्षेत्र के भार की वृद्धि को पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने गुना और ईशागढ़ सब-स्टेशनों के बीच 132 केव्ही डीसीएसएस लाइन⁴¹ (मार्ग लंबाई 72 किलोमीटर) के निर्माण को प्रस्तावित (जून 2010) किया। तदनुसार, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने ₹ 26.77 करोड़ की अनुबंध राशि का कार्यादेश (जून 2013) जारी किया।

तदोपरांत, मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) ने पाया (जुलाई 2013) कि गुना-ईशागढ़ लाइन की जगह अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन का निर्माण अधिक व्यवहार्य होगा क्योंकि मार्ग की लंबाई 43 किमी से कम हो जाएगी। हालांकि, मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) से अनुस्मारक (फरवरी 2015) प्राप्त होने तक प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तदनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी (फरवरी 2015) दी गई और मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) द्वारा कार्यादेश (जुलाई 2015) जारी किया गया और यह कार्य सितंबर 2016 में ₹ 10.28 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। साथ ही, कम्पनी ने गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के कार्य को भी जारी रखा, जिसकी वजह अभिलेखों में दर्ज नहीं थी। यह कार्य अब तक ₹ 6.16 करोड़ के व्यय के बाद पूर्ण नहीं हुआ था (दिसंबर 2017)। अतः अधिक व्यवहार्य अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन की प्रथम चरण में पहचान करने में मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) की विफलता तथा मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) के प्रस्ताव (जुलाई 2013) के बाद भी गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण को जारी रखने के परिणामस्वरूप अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन पर ₹ 6.16 करोड़ (जून 2013 से अक्टूबर 2017) का निरर्थक व्यय किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि अशोकनगर क्षेत्र की तत्काल भार की मांग को देखते हुए और गुना-ईशागढ़ लाइन के पूर्ण होने में देरी की वजह से कम्पनी ने अशोकनगर से ईशागढ़ तक एक अलग छोटी लंबाई की लाइन बनाई। विभाग ने यह भी कहा कि गुना-ईशागढ़ लाइन पर व्यय निरर्थक नहीं है क्योंकि यह सिस्टम मजबूती के लिए 132 केव्ही ईशागढ़ सब-स्टेशन को वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईशागढ़ एक छोटी तहसील है, जिसके लिए दो तरफ से वैकल्पिक बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के लिए यह औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत फाइलों में दर्ज नहीं था और स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है। परिणामस्वरूप, अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के बाद गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण का उद्देश्य व्यर्थ हो गया है और उस पर किया गया व्यय निरर्थक है।

ट्रांसमिशन लाइन पर परिहार्य व्यय

2.1.27 132 केव्ही पनागर-कटंगी लाइन का निर्माण (मार्ग की लंबाई: 29.47 किमी) आरम्भ में डीसीएसएस लाइन के रूप में प्रस्तावित था तथा कार्यादेश ₹ 10.73 करोड़ की लागत पर जारी किया गया था (मार्च 2014)। यद्यपि, भावी आवश्यकता और आरओडब्ल्यू


⁴¹ डीसीएसएस लाइन डबल सर्किट टावरों को संदर्भित करती है, जिसमें सिंगल ट्रांसमिशन सर्किट बनाने के लिए कुल तीन कंडक्टर प्रदान किए जाते हैं।

मुद्दों का हवाला देते हुए मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने दोनों लाइनों के छोर पर सभी सर्किटों की स्ट्रिंग के साथ यानि कटंगी सब-स्टेशन की तरफ 19 टावरों पर (5.34 किमी) और पनागर सब-स्टेशन की तरफ सात टावरों पर (1.21 किमी), मल्टी सर्किट टावरों⁴² के निर्माण के निष्पादन का प्रस्ताव दिया जिसके लिए प्रबंध निदेशक ने कार्योत्तर अनुमोदन (अप्रैल 2017) प्रदान किया। चूंकि कटंगी सब-स्टेशन, जिसकी 40 एमवीए की ट्रांसफॉर्मर क्षमता थी, से केवल चार 33 केव्ही आउटगोइंग फीडर जुड़े हुये थे, और मल्टी सर्किट टावरों से केवल एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, अतः सभी सर्किटों की स्ट्रिंग की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार मल्टी सर्किट टावरों को स्ट्रिंग करने में किए गए ₹ 1.25 करोड़ की अतिरिक्त लागत, सब-स्टेशन की स्थापना की तिथि (जुलाई 2016) से निष्फल रही। डीसीएसएस टॉवर और मल्टी सर्किट टॉवर के बीच अंतर नीचे दिए गए आरेख में चित्रित किया गया है।

डीसीएसएस टॉवर और मल्टी सर्किट टॉवर के बीच अंतर



छबल सर्किट सिंगल स्ट्रिंग टॉवर



मल्टी सर्किट टावर

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)⁴³ तथा अन्य भावी संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए, लाइन के उस हिस्से के लिए मल्टी सर्किट टावरों का निर्माण व सभी सर्किट की स्ट्रिंगिंग जरूरी थी और यह भविष्य की योजना का हिस्सा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भविष्य में आरओडब्ल्यू की समस्याएं उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं हैं क्योंकि लाइन के टावरों का निर्माण पहले ही हो चुका है। इसके अलावा, इसी तरह के मामलों में कम्पनी ने आरओडब्ल्यू समस्याओं का सामना किए बिना दूसरे स्ट्रिंग कार्यों⁴⁴ को पूर्ण किया था। इसके अलावा इस चरण में पनागर-कटंगी लाइन के मार्ग में भविष्य में आरओडब्ल्यू समस्या उत्पन्न करने वाले कारक रेलवे क्रॉसिंग, वायु पट्टी, खनन और वन भूमि नहीं थे।

⁴² मल्टी सर्किट टावर्स उस व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें चार अलग-अलग ट्रांसमिशन सर्किट बनाने के लिए कुल 12 कंडक्टर लगाये जाते हैं।

⁴³ लाइन के मार्ग में रेलवे क्रॉसिंग, कृषि भूमि, वायुपट्टी, खनन और वन भूमि का पाया जाना।

⁴⁴ 132 केव्ही गैरतगंज-विदिशा लाइन, 132 केव्ही बैतुल-गुडगाँव लाइन, 132 केव्ही नीमच-रत्नगढ़ लाइन, 132 केव्ही सागर-गूजरमहर लाइन की सेकंड स्ट्रिंगिंग, 132 केव्ही बीना-मुंगावली लाइन की थर्ड स्ट्रिंगिंग।

सब-स्टेशनों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना

2.1.28 ट्रांसमिशन सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और भार प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने स्काडा प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी (मार्च 2013) दी, जो सभी ईएचटी सब-स्टेशनों की उचित और प्रभावी निगरानी और नियंत्रण को सक्षम बनाता है। तदनुसार, 330 ईएचटी सब-स्टेशनों पर स्काडा प्रणाली की स्थापना का कार्य सितंबर 2015 तक पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के साथ ₹ 48.31 करोड़ की लागत पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स डॉगफांग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लिमिटेड, चीन को प्रदान (सितंबर 2013) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के लिए योजनाबद्ध 330 सब-स्टेशनों में से, छह सब-स्टेशनों के कार्य अभी भी लंबित थे (दिसंबर 2017), और इस प्रकार निर्धारित पूर्णता तिथि की समाप्ति के दो वर्ष के बाद भी छह अपूर्ण सब-स्टेशन स्काडा से जुड़े नहीं थे। इसके अलावा, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने सूचित किया कि 25 सब-स्टेशनों में, जहां स्काडा सिस्टम स्थापित किए गए थे, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स⁴⁵ (आरटीयू) के उन्नयन की आवश्यकता थी (दिसंबर 2017), क्योंकि वे गलत टेलीमेट्री⁴⁶ प्रदान कर रहे थे। कम्पनी के अधिकारी⁴⁷ एसएलडीसी द्वारा बार-बार इंगित किए जाने के बाद भी इस मुद्दे को हल करने में असफल रहे, जिसके कारणों को अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजना शाखा स्काडा प्रणाली को पूर्ण करने और सभी सब-स्टेशनों के साथ एकीकृत करने में विफल रहा और स्काडा की स्थापना का उद्देश्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि स्काडा प्रणाली को अधिकांश सब-स्टेशनों पर संबंधित स्काडा नियंत्रण केंद्र के साथ एकीकृत किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छह अपूर्ण सब-स्टेशनों को अभी भी स्काडा के साथ एकीकृत किया जाना है (दिसंबर 2017)। इसके अलावा, 25 सब-स्टेशनों पर स्थापित आरटीयू गलत टेलीमेट्री प्रदान कर रहे थे। अतः उपरोक्त सब-स्टेशनों में स्काडा प्रणाली का उद्देश्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था।

अनुशंसा: कम्पनी को स्काडा प्रणाली के साथ सभी सब-स्टेशनों को परस्पर जोड़ने और सब-स्टेशनों की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए इसका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन

2.1.29 ट्रांसमिशन कार्यों तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, कम्पनी अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं नामतः जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी), रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) तथा कोएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक (कोएफडब्ल्यू) से ऋण लेती है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लिए गए ऋण का विवरण तालिका क्रमांक 2.1.5 में दिया गया है।

⁴⁵ रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) एक माइक्रोप्रोसेसर-नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टेलीमेट्री डेटा को मास्टर सिस्टम में प्रेषित करके स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली के साथ इंटरफेस करता है।

⁴⁶ एक उपकरण की रीडिंग की रिकॉर्डिंग और उसके प्रेषण की प्रक्रिया।

⁴⁷ कार्यपालन अभियंता (संचार), सहायक अभियंता (संचार), अधीक्षण अभियंता (स्काडा), कार्यपालन अभियंता (स्काडा)

क्रमांक संख्या	वित्तीय संस्था	स्वीकृत राशि	वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत करने की तिथि	तालिका क्रमांक 2.1.5						(राशि ₹ करोड़ में)
				2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	
1	जेआईसीए का ऋण क्रमांक 1	1,038.00	जून 2011	123.35	146.19	158.16	132.42	73.70	633.82	
2	एडीबी का ऋण क्रमांक 3	1,250.00	फरवरी 2014	53.40	24.29	104.35	73.21	115.91	371.16	
3	पीएफसी	492.00	सितम्बर 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	आरईसी	410.70	मई 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	केएफडब्ल्यू	840.00	जून 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	जेआईसीए का ऋण क्रमांक 2	840.00	मार्च 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग	4,870.70		176.75	170.48	262.51	205.63	189.61	1,004.98	

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन में पाई गई कमियां नीचे उल्लेखित की गई हैं।

कमिटमेंट प्रभारों और ब्याज का परिहार्य भुगतान

2.1.30 जेआईसीए, एडीबी और केएफडब्ल्यू से लिए गए ऋणों की अनाहरित राशि पर कमिटमेंट प्रभार देय है। कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कारणों से देरी के कारण (जैसा की कंडिका 2.1.19, 2.1.20 तथा 2.1.21 में वर्णित किया गया है) जेआईसीए का ऋण क्रमांक 1 तथा एडीबी का ऋण क्रमांक 3 की राशि के आहरण में विलम्ब हुआ। देरी से ऋण राशियों के आहरण के कारण, कम्पनी पर ₹ 8.29 करोड़ (एडीबी—₹ 4.37 करोड़ और जेआईसीए—₹ 3.92 करोड़) के कमिटमेंट प्रभारों के भुगतान हेतु देयता है, जिनका परिहार्य किया जा सकता था, यदि कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण होते।

जेआईसीए का ऋण क्रमांक 2 एवं केएफडब्ल्यू के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु अनुबंध निष्पादित (मार्च 2016 से जून 2016) किये गये, परन्तु ऋण की राशि अभी तक आहरित नहीं की गई (दिसम्बर 2017) क्योंकि प्रस्तावित परियोजनायें प्रारंभिक चरण में हैं। इन ऋणों पर भी कमिटमेंट प्रभार देय होंगे।

साथ ही, 12 टर्नकी अनुबंधों के 33 कार्यों के सम्बन्ध में जिनमें कोई भी प्रगति दर्ज नहीं की गई थी, कम्पनी पर वित्तीय संस्थाओं⁴⁸ से ठेकेदारों को मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान हेतु आहरित ऋणों पर ₹ 1.90 करोड़ का ब्याज भुगतान की देयता है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि लेखों में कमिटमेंट प्रभारों की देयता मात्र स्थापित की गई है तथा उनका भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा कमिटमेंट प्रभार समाप्त नहीं किये गए हैं तथा स्थापित की गई देयताओं का अंततः भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अग्रिम के विरुद्ध बैंक गारंटी के नगदीकरण में असफलता

2.1.31 मेसर्स आइसोलक्स इन्जीनिरिंग को प्रदान किये गये (मई 2013) टर्नकी अनुबंध के सम्बन्ध में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक गारंटी के विरुद्ध समतुल्य राशि ₹ 25.27 करोड़ का मोबिलाईजेशन अग्रिम ठेकेदार को प्रदाय किया गया (मई 2013)। बैंक गारंटी की शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा मोबिलाईजेशन अग्रिम आवश्यक रूप से उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्राप्त किया जाना था।

ठेकेदार के खराब निष्पादन (जैसा की कंडिका 2.1.22 में वर्णित किया गया है) के फलस्वरूप, प्रोक्योरमेंट शाखा ने बैंक गारंटी के नगदीकरण का दावा बैंक को प्रस्तुत

⁴⁸ जेआईसीए का ऋण क्रमांक-1 तथा एडीबी का ऋण क्रमांक-3

(अक्टूबर 2016) किया। यद्यपि, बैंक ने दावे को अस्वीकार (अक्टूबर 2016) कर दिया क्योंकि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), बैंक गारंटी की शर्त के अनुसार अग्रिम की राशि को ठेकेदार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्रदाय करने में असफल रहे। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की लापरवाही के कारण कम्पनी बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में असफल रही।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि बैंक गारंटी के नगदीकरण का मामला, उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्ष (सीईपीसी), नई दिल्ली के पास लंबित है।

तथ्य शेष है कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की लापरवाही के कारण कम्पनी बैंक गारंटी का नगदीकरण नहीं कर सकी।

ठेकेदार से जोखिम और लागत राशि की वसूली न होना

2.1.32 जुलानिया में 400 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण के लिए मैसर्स ईसीआई—कॉम, हैदराबाद के साथ ₹ 36.07 करोड़ की लागत का अनुबंध (मार्च 2011) किया गया था, जो कि संसाधनों की गैर-तैनाती और ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रगति की कमी के कारण से समाप्त (मई 2012) किया गया। कार्य को मूल ठेकेदार की जोखिम और लागत पर ₹ 42.05 करोड़ के साथ मैसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता को पुनः प्रदाय किया गया (फरवरी 2013)। पीबीजी राशि के समायोजन के बाद कम्पनी ने ठेकेदार से शेष कार्य हेतु किए गए अतिरिक्त व्यय की राशि ₹ 4.54 करोड़ की मांग की। हालांकि, मैसर्स ईसीआई—कॉम ने दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि पुनः जारी अनुबंध, मूल अनुबंध की समान नियमों और शर्तों पर नहीं था। इस प्रकार, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा, पाँच वर्ष से अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यरथ नियुक्त करने में और शेष राशि वसूलने में कोई कार्रवाई करने में विफल रही (दिसंबर 2017)।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि, कुछ मामूली संशोधन को छोड़कर, दोनों अनुबंधों के नियम और शर्तें समान थीं। हालांकि, ठेकेदार ने जोखिम और लागत के दावे को खारिज कर दिया है। यद्यपि, कम्पनी ठेकेदार के अन्य अनुबंधों की पीबीजी (₹ 5.68 करोड़) से वसूली आरम्भ करेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने असमान शर्तें⁴⁹ पर अनुबंध को पुनः प्रदाय किया, जिसके परिणामस्वरूप, अनुबंध की समाप्ति से पांच वर्ष के बाद भी ₹ 4.54 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, अन्य अनुबंधों की पीबीजी से बकाया राशि की वसूली के लिए अनुबंध में कोई वाक्य नहीं था।

निष्कर्ष

- ईआरपी परियोजना का कार्यान्वयन लंबित था और इस प्रकार कार्य प्रवाह में सुधार करने के और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।
- कम्पनी ने ट्रांसमिशन प्रणाली के लिये परिपेक्ष्य योजना विकसित नहीं की थी तथा वार्षिक पूंजी व्यय योजनायें, निदेशक मंडल तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

⁴⁹ पुनः प्रदाय अनुबंध में ₹ 7.95 करोड़ की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे 48 व्ही 300 एएच बैटरी, 48 व्ही 30 एएच बैटरी चार्जर, स्पेयर की आपूर्ति और अतिरिक्त सिविल कार्य को सम्मिलित करने के कारण कार्य का दायरा अलग था।

- कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित न करने, अनुमोदित डीपीआर में नियोजित कार्यों को निष्पादित न करने तथा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण, कम्पनी पांच वर्षीय योजना (2012–17) में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।
- कार्यों को पूर्ण करने में देरी/कार्यों की अपूर्णता के कारण ट्रांसमिशन हानियों को कम करने के लक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुए। कार्यों की खराब प्रगति के मुख्य कारण विस्तृत सर्वेक्षण के बिना कार्यों को प्रारंभ करना, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश जारी करने, लेआउट तथा ड्राइंग के अन्तिमिकरण में कमियां तथा टर्नकी कार्य अनुबंधों के निष्पादन में ठेकेदारों की खराब प्रगति थे।
- कनेक्टिंग ट्रांसमिशन लाइनों की अपूर्णता के कारण पूर्ण हो चुके सब—स्टेशन अप्रयुक्त रहे। वितरण कम्पनियों की अपने फीडरों को ट्रांसमिशन कम्पनी के स्थापित सब—स्टेशनों से जोड़ने में देरी तथा असफलता रही, जिस कारण सब—स्टेशनों के निर्माण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे।
- सब—स्टेशन स्काडा से नहीं जोड़े गये और/अथवा गलत टेलीमेट्री प्रदान कर रहे थे, जिस कारण सब—स्टेशनों के प्रभावकारी निगरानी तथा नियंत्रण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे।
- वित्तीय संस्थाओं से ऋण राशियों के आहरण में देरी के कारण कम्पनी पर ₹ 8.29 करोड़ के कमिटमेंट प्रभारों के भुगतान की देयता रही।

2.2 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शासन) द्वारा प्रारम्भ किए गए बिजली क्षेत्र के सुधार के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (कम्पनी) की स्थापना 22 नवंबर 2001 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में की गयी। कम्पनी ने मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की बिजली उत्पादन गतिविधियों को संभाला और 01 जून 2005 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया। 31 मार्च 2017 को, कम्पनी चार ताप विद्युत केन्द्रों¹ (टीपीएस) का संचालन कर रही थी, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 4,080 मेगावाट थी।

टीपीएस में उपयोग होने वाले ईंधन के दो घटक कोयला और तेल² हैं। 2014–17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ईंधन के क्रय पर ₹ 13,263.17 करोड़³ का व्यय किया, जो कि कुल उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत था।

संगठनात्मक संरचना

2.2.2 कम्पनी ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव है। कम्पनी की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) करता है। प्रबंध निदेशक (एमडी) कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वाणिज्यिक), मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों (ईडी), मुख्य अभियंताओं (सीई) और कम्पनी सचिव द्वारा सहायता दी जाती है। मुख्य अभियंता— ईंधन प्रबंधन (एफएम) दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति अनुबंध (अनुबंध) के माध्यम से टीपीएस को सतत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। टीपीएस का प्रमुख सीई होता है, जिसे अतिरिक्त सीई और अधीक्षण अभियंता द्वारा सहायता दी जाती है, जो नियमित संचालन और रखरखाव, सिविल कार्य, अनुबंध और सामग्री प्रबंधन, पर्यावरण और सुरक्षा मुद्दों तथा टीपीएस में कोयला हैंडलिंग गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। संबंधित टीपीएस का अतिरिक्त सीई (एफएम), टीपीएस में ईंधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

तालिका क्रमांक 2.2.1 कम्पनी में जनशक्ति की स्थिति			
कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति	प्रतिशत में कमी
तकनीकी कर्मचारी	4,873	3,833	21.34
गैर तकनीकी कर्मचारी	1,490	1,200	19.46
कुल	6,363	5,033	20.90

¹ संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंगपुर (स्थापित क्षमता 1,340 मेगावॉट), सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारणी (स्थापित क्षमता 1,330 मेगावॉट), अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चचाई (स्थापित क्षमता 210 मेगावॉट) और श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खण्डवा (स्थापित क्षमता 1,200 मेगावॉट)।

² फर्नेस तेल, लाइट डीजल तेल और हाई स्पीड डीजल तेल सम्मिलित हैं।

³ कोयला: ₹ 13,015.21 करोड़ और तेल: ₹ 247.96 करोड़।

तालिका क्रमांक 2.2.2 टीपीएस में जनशक्ति की स्थिति				
टीपीएस का नाम	कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति	कमी प्रतिशत में
श्री सिंगाजी टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	769	577	24.97
	गैर तकनीकी कर्मचारी	252	110	56.35
उप-योग		1,021	687	32.71
सतपुड़ा टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	1,611	1,276	20.79
	गैर तकनीकी कर्मचारी	294	262	10.88
उप-योग		1,905	1,538	19.27
अमरकंटक टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	712	430	39.61
	गैर तकनीकी कर्मचारी	204	123	39.71
उप-योग		916	553	39.63
संजय गाँधी टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	1,018	852	16.31
	गैर तकनीकी कर्मचारी	282	175	37.94
उप-योग		1,300	1,027	21.00
टीपीएस सकल योग	तकनीकी कर्मचारी	4,110	3,135	23.72
	गैर तकनीकी कर्मचारी	1,032	670	35.08
	योग	5,142	3,805	26.00

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- ईधन की योजना, परिवहन, क्रय और खपत प्रभावी रूप से, मितव्ययता और कुशलतापूर्वक की गयी;
- प्रभावी ईधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था;
- राख प्रबंधन प्रणाली पर्यावरण अधिनियम के अनुरूप थी।

लेखापरीक्षा के मानदंड

2.2.4 लेखापरीक्षा के लिए अपनाये गए मापदण्डों को निम्नलिखित स्त्रोतों से लिया गया है:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा जारी ईधन से संबंधित मानदंड और दिशानिर्देश;
- ईधन प्रबंधन पर कम्पनी की नीतियां और निर्देश;
- कोयला कम्पनियों, रेलवे और ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध में निहित नियम और शर्तें; तथा
- राख प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियम।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि


2.2.5 लेखापरीक्षा मार्च से जून 2017 के दौरान की गयी थी, जिसमें 2014–17 की अवधि के दौरान सभी चार टीपीएस में ईधन प्रबंधन से संबंधित कम्पनी की गतिविधियां सम्मिलित थीं। लेखापरीक्षा पद्धति में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और उसके चार टीपीएस के लेखों की जाँच, लेखापरीक्षित इकाई के साथ बातचीत, लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में डेटा का विश्लेषण, लेखापरीक्षा मेमो जारी करना और ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन (विभाग) और कम्पनी को उनकी प्रतिक्रिया/उत्तर के लिए प्रारूप प्रतिवेदन जारी करना सम्मिलित हैं।

16 मार्च 2017 को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कम्पनी के एमडी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और क्षेत्र पर चर्चा की गई। 28 अक्टूबर 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव और एमडी के साथ निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। 12 मार्च 2018 को प्रारूप प्रतिवेदन, म.प्र. शासन और कम्पनी को जारी किया गया और 12 अप्रैल 2018 को उत्तर प्राप्त हुए। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और निकास सम्मेलन में विभाग और कम्पनी के विचारों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कोयला हैंडलिंग और विद्युत उत्पादन प्रक्रिया

2.2.6 खदानों से रेलवे वैगन के माध्यम से प्राप्त कोयला टीपीएस में ट्रैक हॉपर⁴ पर उतार दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से कोयला स्टैकिंग यार्ड में रखा जाता है। इसके बाद, कोयले को पीसा जाता है, और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला बंकर⁵ को आपूर्ति की जाती है, जिसके बाद कोयला कोल मिलों को दिया जाता है। कोल मिलों में, कोयले को बारीक पीसा जाता है और पानी को गरम करने के लिए बॉयलर में भेजा जाता है। उच्च तापमान पर उत्पन्न भाप को टरबाइन पर उच्च दबाव में स्थानांतरित किया जाता है। टरबाइन के घूर्णन को जनरेटर में स्थानांतरित किया जाता है, जो बिजली उत्पन्न करता है। स्टार्ट-अप और लौ के संतुलन के लिए बॉयलर में ईंधन तेल का प्रयोग किया जाता है।

चार्ट क्रमांक 2.1: कोयला हैंडलिंग और विद्युत उत्पादन का प्रक्रिया चार्ट



⁴ ट्रैक हॉपर का उपयोग टीपीएस में रेलवे वैगन से कोयले को उतारने के लिए किया जाता है।

⁵ कोयला बंकर को कोयले का संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए निष्कर्षों की आगामी कंडिकाओं में व्याख्या की गयी है।

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र

2.2.7 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र वह सुरक्षा प्रणाली हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं ताकि उनकी गतिविधियों को योजनाबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा सके और उनके घोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसे आंतरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदान किया जाने वाला उचित आश्वासन सार्वजनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व को मजबूत करता है और सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ईंधन से जुड़े लेनदेन और अभिलेखों की समीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र निम्नलिखित सीमा तक अपर्याप्त थे।

- योजना, क्रय, कोयला कम्पनियों के साथ अनुबंधित मात्रा में संशोधन, ग्रेड स्लिपेज और बड़े आकार के पत्थरों से संबंधित दावों की गैर-प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों, कोल मिल द्वारा अस्वीकृत कोयले के परिचालन मानकों में विचलन और राख में अधिजले कोयले के सम्बन्ध में बीओडी को अवगत नहीं कराया गया, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.9, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.24 और 2.2.27 में व्याख्या की गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप बीओडी द्वारा इन महत्वपूर्ण कार्यात्मक मामलों की निगरानी में कमी हुई।
- सक्षम प्राधिकारी महत्वपूर्ण निर्णय लेने और/या सरकारी निर्देशों और अनुबंधों के नियमों और शर्तों से विचलन के लिए अनुमोदन के दौरान विशिष्ट कारणों या औचित्य दर्ज करने की प्रणाली का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.9, 2.2.20, 2.2.22 और 2.2.29 में व्याख्या की गयी हैं।
- कोल मिल अस्विकारों, एसएचआर, अधिजले कोयले और ईंधन तेल के संबंध में अपने परिचालन मानदंडों को प्राप्त करने में कमी के लिए विस्तृत कारण विश्लेषण के बिना कम्पनी द्वारा कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.24, 2.2.26, 2.2.27 और 2.2.30 में व्याख्या की गई हैं। इसके अलावा, परिचालन मानदंडों को प्राप्त न कर पाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।
- कम्पनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण शाखा नहीं थी। कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखापरीक्षा आउटसोर्स की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को बीओडी और लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कोयले की योजना और क्रय

2.2.8 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (अक्टूबर 2007) नई कोयला वितरण नीति के संदर्भ में, कोयले को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

की स्थायी लिंकेज समिति⁶ द्वारा आवंटित किया जाता है। तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कम्पनियों को टीपीएस के साथ अनुबंध करने थे। कम्पनी ने चार टीपीएस में कोयले की आपूर्ति हेतु सीआईएल की दो सहायक कम्पनियों⁷ के साथ सीआईएल द्वारा समय—समय पर अधिसूचित मूल्य पर बीस वर्ष की अवधि के लिए छह अनुबंध किए (अगस्त 2009 और जनवरी 2016 के बीच)। कोयले की योजना और क्रय में पाई गई कमियों की आगामी कंडिकाओं में व्याख्या की गई है।

अनुबंधित मात्रा में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देयता

2.2.9 कम्पनी के साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ अनुबंध (अगस्त 2009) में अमरकंटक टीपीएस की तीन⁸ इकाईयों के लिए सालाना 20 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कोयले की आपूर्ति निर्धारित की। कम्पनी अपने किसी बिजली संयंत्र के कोयले को अन्य बिजली संयंत्र में स्वयं की लागत पर स्थानांतरित कर सकती थी (वाक्य 3.2)। कम्पनी द्वारा रेलवे को प्रस्तुत मासिक रेल कार्यक्रम (एमआरपी⁹) के आधार पर, आपूर्तिकर्ता कोयला मंजूर करता था (वाक्य 6.1.1)। यदि आपूर्तिकर्ता वर्ष के दौरान, वार्षिक अनुबंधित मात्रा (अनुबंधित मात्रा) के 90 प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा के बराबर मात्रा के लिए जमा एमआरपी के अनुसार कोयले की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो कम्पनी कोयले की कम आपूर्ति के सन्दर्भ में निर्धारित दरों पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र है।

इसी तरह, यदि कम्पनी एक वर्ष में अनुबंधित मात्रा के न्यूनतम 90 प्रतिशत के लिए एमआरपी जमा करने में विफल रही है, तो यह आपूर्तिकर्ता को कम कोयला उठाने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी (वाक्य 3.6.1)। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता और कम्पनी के बीच अनुबंध (वाक्य 2.2) के साथ—साथ पारस्परिक सहमति (अगस्त 2009) के अनुसार, टीपीएस की इकाईयों के वास्तविक जीवन के आधार पर अनुबंधित मात्रा संशोधित की जाएगी।

अमरकंटक टीपीएस की तीन इकाईयों में से, जिसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, दो इकाईयां¹⁰ बंद हुईं (1 मई 2014 और 13 जनवरी 2015) और इसे 4 मार्च 2016 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, टीपीएस ने परिचालित इकाई-3 के लिए कोयले की अनुबंधित मात्रा को मौजूदा 20 एलएमटी से 13 एलएमटी प्रति वर्ष तक कम करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय को अनुरोध किया (अगस्त 2016), सीई (एफएम) द्वारा उपरोक्त विषय पर कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। सीई (एफएम) इस मामले को बीओडी में रखने में भी विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–16 की अवधि के लिए, कम्पनी ने मूल अनुबंधित मात्रा के आधार पर आपूर्तिकर्ता से कोयले की मांग की थी। आवश्यकता से अधिक प्राप्त कोयला अन्य टीपीएस में भेज दिया गया था। कम्पनी ने 2014–16 की अवधि के लिए कोयले की कम आपूर्ति के लिए ₹ 19.51 करोड़ का दावा किया (जनवरी–फरवरी 2017), जो आपूर्तिकर्ता के पास लंबित था (अक्टूबर 2017)। दूसरी तरफ, 2016–17 के दौरान अन्य टीपीएस द्वारा कोयले की कम मांग के कारण, अमरकंटक टीपीएस ने अपनी परिचालन इकाई-3 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एमआरपी मात्रा

⁶ स्थायी लिंकेज समिति की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करते हैं और पंद्रह सदस्यों में कोयला, ऊर्जा, जहाजरानी, इस्पात तथा रेल मंत्रालयों, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियां, सीईए, नेशनल थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट इत्यादि सम्मिलित हैं।

⁷ साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर (एसईसीएल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (डब्ल्यूसीएल)

⁸ इकाई-1 (120 मेगावॉट), इकाई-2 (120 मेगावॉट) और इकाई-3 (210 मेगावॉट)।

⁹ एमआरपी एक माह के दौरान प्रत्येक टीपीएस द्वारा आवश्यक कोयले की मात्रा निर्धारित करता है, जिसे संबंधित माह के प्रारम्भ होने से कम से कम सात कार्य दिवस पहले रेलवे के साथ दर्ज किया जाता है। इसके बाद, एमआरपी मात्रा कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकृत की जाती है।

¹⁰ इकाई-2 और इकाई-1

दर्ज की। चूंकि एमआरपी मात्रा, अमरकंटक टीपीएस की अनुबंधित मात्रा¹¹ के 90 प्रतिशत से कम थी, कम्पनी 6.27 एलएमटी कोयले की कम एमआरपी दर्ज करने के लिए ₹ 17.21 करोड़ के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि बंद इकाईयों की जगह नई इकाई की प्रस्तावित स्थापना के संदर्भ में, अनुबंधित मात्रा कम नहीं की गई। यह भी आगे कहा गया कि कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है और एसईसीएल ने वर्ष 2016–17 के लिए कोयले को कम उठाने के लिए दावा दर्ज नहीं किया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी ने नई इकाई के 2024–25 में चालू होने का अनुमान लगाया था। इस प्रकार, कम्पनी को नई इकाई के चालू होने तक कोयला कम उठाने के लिए मुआवजा देना होगा। यह उत्तर कि, एसईसीएल द्वारा आज तक दावा नहीं किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए कम्पनी उत्तरदायी है।

अनुशंसा: कम्पनी को अपने टीपीएस में संचालित इकाईयों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कोयले का आंकलन और क्रय करना चाहिए।

निकट स्थान के आवंटित कोयले का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिवहन लागत

2.2.10 सतपुड़ा टीपीएस की मौजूदा नौ¹² इकाईयों के लिए प्रति वर्ष 66 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए वेर्स्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और कम्पनी के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ (दिसंबर 2009)। उसके बाद, सतपुड़ा टीपीएस की दो¹³ अतिरिक्त इकाईयों के संबंध में प्रति वर्ष 18.51 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूसीएल के साथ एक और अनुबंध (जनवरी 2013) निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार, कम्पनी ने श्री सिंगाजी टीपीएस की दो¹⁴ इकाईयों के लिए प्रति वर्ष 49.94 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए एसईसीएल के साथ अनुबंध किया (जनवरी 2013)।

चूंकि, अक्टूबर 2012 और जनवरी 2014 के मध्य सतपुड़ा टीपीएस (पॉवर हाउस-1) की पांच इकाईयों को बंद कर दिया गया, डब्ल्यूसीएल ने अनुबंधित मात्रा को 66 एलएमटी से 47.95 एलएमटी तक इन इकाईयों के बंद होने की तिथियों¹⁵ से एकतरफा संशोधित कर दिया (मई 2016)। डब्ल्यूसीएल की खदाने (402–616 किमी), एसईसीएल की खदानों (624–968 किमी) की तुलना में श्री सिंगाजी टीपीएस के अधिक पास थी। इसलिए, कम्पनी ने डब्ल्यूसीएल के 18.51 एलएमटी कोयला, जो कि सतपुड़ा टीपीएस की अतिरिक्त इकाईयों के लिए था, का विनिमय श्री सिंगाजी टीपीएस के लिए एसईसीएल के 21.67 एलएमटी समकक्ष¹⁶ कोयले से कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसी तरह सीई (एफएम), सतपुड़ा टीपीएस की बंद इकाईयों के लिए डब्ल्यूसीएल के 18.05¹⁷ एलएमटी कोयले की अनुबंधित मात्रा को श्री सिंगाजी टीपीएस के साथ विनिमय करने के लिए व्यवस्था कर सकते थे। इस प्रकार, जनवरी 2016 से मार्च 2017

¹¹ बंद इकाई संख्या 1 और 2 सहित तीन इकाईयों के लिए अनुबंधित मात्रा।

¹² पावर हाउस 1 – 62.5 मेगावॉट की पांच इकाईयां, पावर हाउस 2 – 200 मेगावाट की एक इकाई और 210 मेगावॉट की एक इकाई, पावर हाउस 3 – 210 मेगावॉट की दो इकाईयां।

¹³ पावर हाउस 4 – 250 मेगावॉट की दो इकाईयां।

¹⁴ 600 मेगावॉट की दो इकाईयां।

¹⁵ इकाईयों की वास्तविक बंद होने की तिथि के बाद के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ अनुबंधित मात्रा 66.00 एलएमटी से अप्रैल 2012 से 63.61 एलएमटी, अप्रैल 2013 से 55.66 एलएमटी, अप्रैल 2014 से 47.95 एलएमटी तक कम की गयी थी (मई 2016)

¹⁶ सतपुड़ा टीपीएस से सम्बंधित डब्ल्यूसीएल का 18.513 एलएमटी कोयला, जिसकी सकल कैलोरिफिक वेल्यु 4,600–5,200 किलोकलोरी/किलोग्राम थी, को श्री सिंगाजी टीपीएस से सम्बंधित एसईसीएल के 21.67 एलएमटी कोयला, जिसकी सकल कैलोरिफिक वेल्यु 4,300–4,600 किलोकलोरी/किलोग्राम थी के साथ विनिमय किया गया था।

¹⁷ 66.00 एलएमटी – 47.95 एलएमटी

के दौरान एसईसीएल से वास्तव में उठाये गए 13.37 एलएमटी कोयले पर ₹ 80.10 करोड़ की परिवहन लागत बचाई जा सकती थी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि पांच इकाईयों के बंद होने के कारण, डब्ल्यूसीएल ने एकतरफा अनुबंधित मात्रा कम कर दी और श्री सिंगाजी टीपीएस में डब्ल्यूसीएल के 18.05 एलएमटी कोयले का उपयोग करना संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा के एकतरफा कमी (मई 2016) से पहले, कोयले को विनिमय करने के लिए समय पर प्रयास नहीं किए थे। इसके अलावा, सतपुड़ा टीपीएस की अनुबंधित मात्रा को श्री सिंगाजी टीपीएस के साथ विनिमय करना संभव था क्योंकि कम्पनी जनवरी 2016 में यह कार्य कर चुकी थी।

अनुशंसा: कम्पनी को भविष्य में बंद इकाईयों के कोयले का विनिमय खदानों के नजदीक स्थित बिजली संयंत्रों के साथ सुनिश्चित करना चाहिए।

कोयले की प्राप्ति में योजना की कमी से मुआवजे का भुगतान

2.2.11 सतपुड़ा टीपीएस में कोयले की आपूर्ति के लिए दो अनुबंध (दिसंबर 2009 और जनवरी 2013) हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध के अनुसार, एक वर्ष में कोयले की वास्तविक आपूर्ति अनुबंधित मात्रा का 90 प्रतिशत से अधिक होने पर, कम्पनी डब्ल्यूसीएल को प्रोत्साहन¹⁸ देने के लिए उत्तरदायी थी (वाक्य 3.12.1)।

2015–16 के दौरान, प्रथम अनुबंध के तहत, डब्ल्यूसीएल ने अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत से 8.47 एलएमटी कोयले की अधिक आपूर्ति लिए ₹ 36.53 करोड़ प्रोत्साहन का दावा किया तथा दूसरे अनुबंध के तहत, डब्ल्यूसीएल ने 7.83 एलएमटी कम कोयला उठाने के लिए ₹ 15.53 करोड़ के मुआवजे का दावा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीई (एफएम) दोनों अनुबंधों के लिए एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से जमा करके (वाक्य 6.1.1) और साथ ही कोयले कम्पनी के साथ मामला उठाकर आपूर्ति को अनुबंध के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कर सकते थे। इस प्रकार, एक ओर कम कोयला उठाने के लिए ₹ 15.53 करोड़ के मुआवजे और दूसरी ओर अधिक आपूर्ति लिए ₹ 35.43 करोड़ के प्रोत्साहन की देयता को बचाया जा सकता था। कोयले की आपूर्ति को पुनः व्यवस्थित न करने के कारण दर्ज नहीं थे।

विभाग ने कहा कि (अप्रैल 2018) डब्ल्यूसीएल द्वारा ₹ 36.53 करोड़ का दावा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा को पूर्वप्रभाव से 66 एलएमटी से 47.95 एलएमटी तक घटा दी थी। यह भी आगे कहा गया था कि डब्ल्यूसीएल का ₹ 15.53 करोड़ का दावा मान्य नहीं होने के कारण वापस कर दिया क्योंकि मांग की गई कोयले की मात्रा की आपूर्ति करने में डब्ल्यूसीएल विफल रहा।

उत्तर मान्य नहीं है। डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा को इकाईयों की वास्तविक बंद होने की तिथियों से कम किया गया था और कम्पनी द्वारा बंद हुई इकाईयों की संबंधित मात्रा के लिए भी एमआरपी दर्ज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, दावा वापस करने से कम्पनी को अपनी देयता से राहत नहीं मिल जाती। इसके अतिरिक्त, निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2017) में एमडी और सीई (एफएम) ने स्वीकार किया था कि टीपीएस के एक अनुबंध के कोयले की अनुबंधित मात्रा को दूसरे अनुबंध से पुनः व्यवस्थित करना संभव था।

अनुशंसा: कम्पनी को टीपीएस के विभिन्न अनुबंधों के तहत एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज करना चाहिए और कोयला कम्पनियों के साथ

¹⁸ कोयले की अधिक आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, कोयला कम्पनियों को वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा प्रोत्साहन देय है।

कम्पनी ने
1.76 एलएमटी
महंगा आयातित
कोयले का क्रय
किया और उसी
समय 12.68
एलएमटी स्वदेशी
कोयले का कम
उठाव किया,
जिसके
परिणामस्वरूप
₹ 51.24 करोड़
का अतिरिक्त व्यय
हुआ।

समन्वय करना चाहिए ताकि कोयले के कम उठाव/अतिरिक्त आपूर्ति को कम किया जा सके।

महंगे आयातित कोयले का अनावश्यक क्रय

2.2.12 स्वदेशी कोयले की कम आपूर्ति की प्रत्याशा में, कम्पनी ने अपने चार टीपीएस के लिए ₹ 534.45 करोड़ की लागत पर 7.0 एलएमटी आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए मैसर्स अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को आदेश जारी (मार्च 2015) किया। अनुबंध की शर्तानुसार (वाक्य 6.16) कम्पनी अपने विवेकानुसार 30 दिनों की लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकती थी। उसके बाद, स्वदेशी कोयला के पर्याप्त स्टॉक और स्वदेशी कम्पनियों के कोयले की आपूर्ति के लिए तैयार होने पर विचार करते हुए, कम्पनी ने मई 2015 से जून 2016 के दौरान 4.36 एलएमटी कोयले के आयात के बाद अनुबंध को समाप्त कर दिया (नवंबर 2016)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने कोयले के आयात की अवधि के दौरान स्वदेशी कोयले के वास्तविक उठाव का विश्लेषण किया और पाया कि 1.76 एलएमटी कोयला उन महीनों के दौरान आयात किया गया था, जिनमें सस्ते स्वदेशी कोयले को 12.68 एलएमटी से कम उठाया गया था। सीई (एफएम), जो टीपीएस को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, पूर्ण स्वदेशी कोयले को उठाने और आयातित कोयले के आदेश को समाप्त करने में सावधानी बरतते तो, महंगे कोयले के क्रय से बचा जा सकता था। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, कम्पनी ने ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि शिपमेंट शेड्यूल पहले से ही अन्तिमिकृत कर दिए थे और कोयला आपूर्तिकर्ता को सूचित कर दिए थे, अतः आदेश को समाप्त नहीं किया जा सकता था। आगे यह कहा गया कि मई 2015 से जून 2016 के दौरान कोयला कम्पनियों द्वारा स्वदेशी कोयले की कम आपूर्ति की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेश (वाक्य 3.0 और अनुसूची पांच) ने कम्पनी को अधिकार दिया था कि वह टीपीएस की आवश्यकता के अनुसार वितरण शेड्यूल को विनियमित/पुनर्निर्धारित/निलंबित कर सकती थी और उपर्युक्त वाक्य लागू करके कम्पनी ने अप्रैल 2015 से जून 2016 के दौरान वितरण शेड्यूल में 26 संशोधन किए थे। इसके अलावा, कोयला कम्पनियों द्वारा कम आपूर्ति के संबंध में उत्तर गलत है क्योंकि कम्पनी ने पूर्ण आवंटित मात्रा की मांग नहीं की थी।

अनुशंसा: कम्पनी को उपलब्ध स्वदेशी कोयला को उठाना चाहिए तथा महंगे आयातित कोयले के क्रय से बचना चाहिए।

आयातित कोयले के आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

2.2.13 कम्पनी ने 8.0 एलएमटी आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए एक आपूर्ति आदेश (सितंबर 2011) मैसर्स भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड, इंदौर (बीआईएल) को ₹ 478.43 करोड़ की कुल लागत पर जारी किया, जिसकी आपूर्ति छह से आठ माह के अन्दर की जानी थी। कम्पनी ने अक्टूबर 2013 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान अतिरिक्त 2.0 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए एक पुनरावर्ती आदेश जारी किया (सितंबर 2013)। मैसर्स बीआईएल ने जुलाई 2014 तक 9.71 एलएमटी कोयले की आपूर्ति की और 0.29 एलएमटी की शेष मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई।

आपूर्ति आदेश के जोखिम खरीद वाक्य (6.12) को लागू करके कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से ₹ 2.78 करोड़ वसूल किए थे। इसके अलावा, वाक्य 9.01 के अनुसार, कम्पनी को अनुबंध के अनिष्टादित हिस्से के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाना था। हालांकि, चूंकि अनुबंध लंबे समय तक संचालित हुआ था, कम्पनी ने प्रबंध निदेशक की मंजूरी के

साथ, ₹ 1.71 करोड़ जुर्माना लगाए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया और इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता केवल सितंबर 2011 से जुलाई 2014 तक संलग्न रहा था, और इसलिए किसी भी एकतरफा लाभ/रियायत की पात्रता नहीं रखता था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि चूंकि कम्पनी द्वारा जोखिम खरीद वाक्य का पहले ही प्रयोग किया गया, जुर्माने का वाक्य लागू नहीं किया गया। यह भी आगे कहा गया कि कम्पनी द्वारा जुर्माना वसूल किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुर्माने का वाक्य (6.12) और जोखिम खरीद वाक्य (9.01) अलग और पृथक¹⁹ हैं। इसके अलावा, विभाग ने जुर्माना वसूलने का कोई सबूत नहीं दिया।

अनुशंसा: अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी को आपूर्तिकर्ता से जुर्माना वसूल करना चाहिए।

कोयला की गुणवत्ता आश्वासन

2.2.14 कोयला कम्पनियां सीआईएल द्वारा निर्धारित कोयले की ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी²⁰) के घोषित ग्रेड की दर के आधार पर बिलों को जारी करती हैं। अनुबंध की अनुसूची-4 के अनुसार, कोयला लोडिंग की जगह पर विक्रेता और क्रेता की उपस्थिति में कोयले के नमूनों को संयुक्त रूप से एकत्रित किया जाएगा और इसकी गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए नामित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाएगा। गुणवत्ता के विश्लेषण के परिणामों के मासिक विवरण संयुक्त रूप से प्रमाणित किए जाते हैं और कोयले के घोषित ग्रेड के आधार पर मूल रूप से जारी किये गए बिलों को उपर्युक्त विश्लेषण में निर्धारित वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर समायोजित किया जाता है। लोडिंग की जगह पर नमूना परीक्षण में विश्लेषित जीसीवी और वास्तविक जारी किये गए बिलों में घोषित ग्रेड के अंतर को कोयले का ‘ग्रेड स्लिपेज’ कहा जाता है। हालांकि, कोयले आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन नहीं करने के कारण, कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण में कई विवाद हुये, जिनकी व्याख्या नीचे की गई है।

कोयला के ग्रेड स्लिपेज के मुआवजे की वसूली करने में विफलता

2.2.15 अनुबंध के अनुसार, कोयला आपूर्तिकर्ता ग्रेड स्लिपेज के कारण, कोयले का विश्लेषण उपरांत प्राप्त ग्रेड और जारी किये गए बिलों में घोषित ग्रेड के बीच मूल्य के अंतर का नियमित क्रेडिट नोट, दोनों पक्षों द्वारा परिणामों की स्थीकृति के सात दिनों के अन्दर देने के लिए बाध्य था (वाक्य 11.2.2)। अनुबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जिसके तहत कम्पनी ग्रेड स्लिपेज के लिए दावा दर्ज कर सके।

हालांकि, चूंकि कोयला कम्पनियां क्रेडिट नोट जारी नहीं कर रही थी, टीपीएस अपने वित्तीय हित में स्वतः ग्रेड स्लिपेज दावों को कोयला कम्पनियों पर दर्ज कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने 2014–17 की अवधि से संबंधित ग्रेड स्लिपेज दावों का विश्लेषण किया और देखा कि कोयला कम्पनियों ने कम्पनी द्वारा दर्ज किये गए दावों का निराकरण नहीं किया था और प्रत्येक टीपीएस ने इस मुद्दे को नीचे बताए अनुसार विभिन्न तरीकों से निपटा।

¹⁹ वाक्य 6.12 के अनुसार विक्रेता, कोयले की अनिष्पादित आपूर्ति की खरीद पर, खरीददार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, वाक्य 9.01 के अनुसार विक्रेता अनिष्पादित अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

²⁰ एक किलोग्राम कोयले का पूरा दहन करके उत्पादित किलो कैलोरी हीट

➤ सतपुड़ा टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने 2014–17 की पूरी अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 65.13 करोड़) को दर्ज किया था और कोयले आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट नोट की प्राप्ति न होने के कारण, बिलों के निराकरण के दौरान दावा राशि को रोक दिया गया। हालांकि, अमरकंटक टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने 2015–17 की अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 23.72 करोड़) को दर्ज कराया था, लेकिन ₹ 14.68 करोड़ की बकाया दावे की राशि को रोका नहीं था और इसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। संजय गांधी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने न तो औपचारिक रूप से ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 349.83 करोड़) को दर्ज किया और न ही 2014–16 की अवधि के लिए कोयला आपूर्तिकर्ता (एसईसीएल) को ग्रेड स्लिपेज परिणाम संचारित करने के बाद भी दावे की राशि को नहीं रोका और इसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किये गए। हालांकि, बाद के वर्ष (2016–17) के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 56.20 करोड़) को कोयले आपूर्तिकर्ता की देनदारियों में से रोक दिया गया था।

➤ श्री सिंगाजी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अप्रैल 2014 से जुलाई 2015 की अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज से संबंधित अभिलेख नहीं बनाये जिसका कारण दर्ज नहीं किया गया। इसलिए, टीपीएस इस अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों का अंकलन करने में विफल रहा। इसके अलावा, अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अगस्त 2015 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 59.14 करोड़ के ग्रेड स्लिपेज दावों को दर्ज किया था, लेकिन कोयला कम्पनियों द्वारा जमा की गई राशि/टीपीएस द्वारा रोकी गई राशि ₹ 24.33 करोड़ ही थी तथा ₹ 34.81 करोड़ की शेष राशि नहीं वसूली गई, जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

➤ लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ग्रेड स्लिपेज से संबंधित मामलों को कभी भी बीओडी में नहीं रखा गया था। नतीजतन, ग्रेड स्लिपेज दावों के संबंध में टीपीएस द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि, अनुबंध के अनुसार, ग्रेड स्लिपेज की गणना और क्रेडिट नोट जारी करना कोयला आपूर्तिकर्ता के दायरे में हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड प्यूलर रिसर्च²¹ (सीआईएमएफआर) की एकमात्र तृतीय पक्ष नमूना एजेंसी के रूप में नियुक्ति (जुलाई 2016) के बाद, या तो क्रेडिट नोट प्राप्त किए जा रहे हैं या राशि नियमित रूप से रोकी जा रही है। यह भी आगे कहा गया कि दावों की वसूली के लिए किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, ग्रेड स्लिपेज की राशि को रोकना उचित नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रेड स्लिपेज दावों को विभिन्न टीपीएस द्वारा विभिन्न तरीकों से निपटा गया। जैसा कि पहले व्याख्या की गयी है, सतपुड़ा टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस ने 2016–17 के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों को रोका था। इसके अलावा, एक तरफ, कम्पनी ग्रेड स्लिपेज के विरुद्ध दावों को रोकती है और दूसरी ओर यह बताती है कि इस तरह दावों को रोकना अनुचित हैं, जो विरोधाभासी है। इसके अलावा, सीआईएमएफआर को केवल कोयले के नमूने और ग्रेड स्लिपेज को सूचित करने का काम सौंपा गया है। क्रेडिट नोट जारी करने या लंबित दावों को रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विभाग का उत्तर अप्रासंगिक है।

अनुशंसा: ग्रेड स्लिपेज के संबंध में कोयला आपूर्ति अनुबंध के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को कोयला कम्पनियों के उच्च प्रबंधन के साथ सक्रिय रूप से अनुगमन करना चाहिए।

²¹ दोनों पक्षों की ओर से कोयले के संग्रह, तैयारी और गुणवत्ता विश्लेषण के लिए कम्पनी और कोयला कम्पनियों द्वारा सीआईएमएफआर को संयुक्त रूप से नियुक्त (जुलाई 2016) किया गया था।

बड़े आकार के पत्थरों के दावों की वसूली न होना

2.2.16 अनुबंध के अनुसार, कोयले में बड़े आकार के²² पत्थरों का मूल्यांकन टीपीएस के प्रतिनिधि और कोयला कम्पनी द्वारा टीपीएस में संयुक्त रूप से किया जाएगा (वाक्य 4.6.2)। यदि कोयला कम्पनी का प्रतिनिधि संयुक्त मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो टीपीएस द्वारा मूल्यांकन किए गए बड़े आकार के पत्थरों की मात्रा को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा (वाक्य 4.6.3)। कोयला कम्पनियां नियमित रूप से क्रेडिट नोट जारी करके बड़े आकार के पत्थरों की मात्रा का औसत आधार मूल्य और अन्य शुल्क²³ समायोजित करेंगे (वाक्य 8.2 और 9.1)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए टीपीएस के बड़े आकार के पत्थरों के ₹ 5.85 करोड़ के दावों को कोयले कम्पनियों द्वारा स्वीकृत किया गया था। हालांकि, कोयला कम्पनियों द्वारा बिलों में केवल ₹ 4.82 करोड़ की राशि समायोजित की गई थी और टीपीएस के अंतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा प्रभावी अनुपालन की कमी के कारण ₹ 1.03 करोड़ की वसूली लंबित थी। इसके अलावा, जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए, टीपीएस में ₹ 1.27 करोड़ की कीमत वाले 7,724.27 मीट्रिक टन बड़े आकार के पत्थर प्राप्त हुये। यह कहकर कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जनवरी 2016 से टीपीएस को केवल 100 मिमी कोयले की आपूर्ति की गई थी, कोयला कम्पनियों ने संयुक्त निरीक्षण के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कोयला कम्पनियों द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के उपरोक्त अनुपालन न होने के बावजूद, बीओडी द्वारा मामलों पर चर्चा नहीं की गई और कोयला कम्पनियों के साथ मुद्दे को नहीं उठाया। इससे बीओडी द्वारा निगरानी की कमी दिखती है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि कम्पनी द्वारा दावों का अनुगमन नियमित रूप से किया गया था। इसके अलावा, जनवरी 2016 से कोयला कम्पनियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रतिनिधियों की गैर-तैनाती के संदर्भ में, टीपीएस ने स्वयं बड़े आकार के पत्थरों का एकतरफा मूल्यांकन कर दावों को दर्ज किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा अप्रभावी अनुपालन के कारण कोयले कम्पनियों से ₹ 2.30 करोड़ के दावे वसूली के लिए लंबित²⁴ थे और बीओडी भी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इस मामले को संज्ञान लेने में असफल रहा। इसके अलावा, कोयले कम्पनियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रतिनिधियों की गैर-तैनाती के कारण एकतरफा मूल्यांकन के आधार पर दावों को दर्ज करने के संबंध में उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऊपर व्याख्या की गयी है कि अनुबंध के वाक्य 4.6.3 के अनुसार कम्पनी द्वारा यह किया जाना चाहिए था।

अनुशंसा: कोयला कम्पनियों द्वारा समझौते की शर्तों का अनुपालन न करना और क्रेडिट नोटों के जारी न करने के मामले को कम्पनी द्वारा उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनके उच्च प्रबंधन के साथ उठाना चाहिए।

²² 250 मिमी से अधिक आकार

²³ रॉयल्टी, सेस, शुल्क इत्यादि जैसे सांविधिक शुल्क और रेलवे ढुलाई को छोड़कर साईंजिंग शुल्क, तेज लदान शुल्क इत्यादि।

²⁴ अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए ₹ 1.03 करोड़ और जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.27 करोड़।

कोयले का परिवहन

2.2.17 क्रय किया गया कोयला, कोयले की खदानों से रेलवे वैगन, ट्रक और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कम्पनी के टीपीएस में ले जाया जाता है। भाड़ा, कोयले की लागत का एक प्रमुख घटक है और यह रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

रेलवे भाड़े का अतिरिक्त भुगतान

2.2.18 कोयले रेक के डायवर्जन और माल भाड़ा के संग्रहण के लिए ई—भुगतान सुविधा के संबंध में रेलवे ने नियम और प्रक्रिया निर्धारित की थी (जुलाई 2014)। इन नियमों के अनुसार, ई—भुगतान का लाभ उठाने वाले ग्राहकों द्वारा रेक के डायवर्जन के मामले में, मूल स्टेशन पर सिस्टम माल भाड़े के अंतर²⁵ की गणना और ई—भुगतान खाते के माध्यम से एकत्रित करेगा। इस उद्देश्य के लिए, कम्पनी को बैंकों के साथ एक केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता बनाए रखना आवश्यक है। केंद्रीकृत ई—भुगतान खाते की अनुपस्थिति में, रेक के डायवर्जन के मामले में, रेलवे दो पूर्ण माल भाड़ा एकत्रित करता है, अर्थात मूल गंतव्य के लिए एक और बदले गए गंतव्य के लिए दूसरा। कम्पनी द्वारा मूल गंतव्य के माल भाड़े की वापसी के लिए रेलवे पर दावा बाद में दर्ज किया जाता है (रेलवे अधिनियम, 1989 के नियम 106)।

रेलवे माल भाड़े के भुगतान के लिए केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता खोलने में कम्पनी विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.30 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीकृत ई—भुगतान प्रणाली जुलाई 2014 में उपलब्ध थी। इसके बाद, कम्पनी द्वारा मूल गंतव्य के लिए भुगतान किए गए माल भाड़े को परिवर्तित गंतव्य के लिये देय भाड़े में समायोजित करने के अनुरोध पर रेलवे ने भी सूचित किया था (जनवरी 2016) कि कम्पनी को केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता खोलने चाहिए। हालांकि, सीई (एफएम) ने केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता खोलने के लिए अप्रैल 2017 तक प्रयास नहीं किये। कम्पनी द्वारा पूछताछ (मई 2017) के उत्तर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने केंद्रीकृत ई—भुगतान खाते खोलने की औपचारिकताओं को सूचित (जुलाई 2017) किया था। इसके बाद, कम्पनी ने सितंबर 2017 में एसईसीआर के साथ खाता खोला। हालांकि, मध्य रेलवे²⁶ के साथ खाता अभी तक खोला नहीं गया।

नतीजतन, माल भाड़े के अंतर के बजाय रेलवे ने रेक के डायवर्जन के लिए पूर्ण अतिरिक्त माल भाड़ा वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। हालांकि, मूल गंतव्य के माल भाड़े की वापसी के लिए कम्पनी द्वारा प्राथमिकता के साथ रेलवे के साथ नियमित दावे दर्ज किये, लेकिन कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी (अक्टूबर 2017)। नतीजतन, रेलवे के पास ₹ 45.15 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही जिस पर कम्पनी को ₹ 6.30 करोड़²⁷ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। केंद्रीकृत ई—भुगतान खाते खोलने में देरी के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं किए गए थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता सितंबर 2017 में एसईसीआर के लिए खोला गया था। इसके अनुभव के आधार पर, डब्ल्यूसीएल से कोयले की आपूर्ति के लिए मध्य रेलवे के साथ ई—भुगतान खाता खोला जाएगा।

²⁵ मूल रेलवे रसीद (ओआरआर) के अनुसार पहले से भुगतान किया गया माल भाड़ा और सुपर सेशनल रेलवे रसीद (एसआरआर) के अनुसार देय माल भाड़े की राशि का अंतर

²⁶ कम्पनी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) और मध्य रेलवे के साथ अलग—अलग केंद्रीकृत ई—भुगतान खाता खोलने की आवश्यकता थी क्योंकि कम्पनी को दोनों रेलवे के माध्यम से कोयला प्राप्त होता है।

²⁷ लेखापरीक्षा ने ब्याज की हानि की गणना मूल गंतव्य के भाड़े के वास्तविक भुगतान की तारीख से 10.65 प्रतिशत वार्षिक की दर से की है, जो कि न्यूनतम ब्याज दर थी जिस पर कम्पनी ने 2014–17 के दौरान कार्यशील पूँजी के लिए ऋण लिया।

उत्तर मान्य नहीं है और स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है। केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने की सुविधा और इसके लाभ रेलवे द्वारा जुलाई 2014 में बताये गए थे, लेकिन कम्पनी सितंबर 2017 तक खाता खोलने में विफल रही। एसईसीआर के साथ ई-भुगतान खाता के अनुभव के आधार पर मध्य रेलवे के साथ खाता खोला जाएगा भी मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी पहले ही केंद्रीकृत ई-भुगतान खाते के लाभों से अवगत है।

अनुशंसा: भविष्य में निधि के अवरोध और ब्याज की हानि से बचने के लिए कम्पनी को मध्य रेलवे के साथ केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

निष्क्रिय भाड़ा प्रभार की वसूली न होना

2.2.19 कोयला कम्पनियों के साथ कम्पनी के अनुबंध के अनुसार कोयला कम्पनियों द्वारा वैग्नो में कम लदान किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा रेलवे को देय निष्क्रिय भाड़े की क्षतिपूर्ति की राशि, उनके कोयला बिलों से समायोजित की जायेगी (वाक्य 10.3)। तथापि कोयला कम्पनियों द्वारा रेलवे को भुगतान किए गए निष्क्रिय भाड़े को पूर्णरूप से समायोजित नहीं किया गया। अतः कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों के लिए उक्त असमायोजित राशि का निर्धारण एवं कोयला कम्पनियों से दावा दर्ज किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संजय गांधी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने वर्ष 2014–15 के लिए निष्क्रिय भाड़ा का न तो निर्धारण किया और न ही किसी प्रकार का दावा दर्ज किया। यद्यपि वर्ष 2015–17 के लिए अतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा एसईसीएल पर ₹ 0.92 करोड़ का दावा दर्ज किया गया। उक्त राशि को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। आगे, अमरकंटक टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम), वर्ष 2014–17 के लिए एसईसीएल पर ₹ 0.51 करोड़ का दावा दर्ज करने में असफल रहे। श्री सिंगाजी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए एसईसीएल पर ₹ 0.65 करोड़ का दावा दर्ज किया लेकिन उक्त राशि को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। संबंधित टीपीएस द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण न करने एवं दावा दर्ज नहीं किए जाने के कारणों को अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि वर्ष 2016–17 के लिए श्री सिंगाजी टीपीएस एवं वर्ष 2014–17 के लिए अमरकंटक टीपीएस का दावा दर्ज किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि कोयला कम्पनियों के साथ दावों का अनुगमन किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2016–17 के लिये श्री सिंगाजी टीपीएस एवं अमरकंटक टीपीएस के निष्क्रिय भाड़े के दावों को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। साथ ही वर्ष 2014–15 के लिए संजय गांधी टीपीएस द्वारा उक्त निष्क्रिय भाड़े के दावों का निर्धारण नहीं किए जाने एवं दावा राशि दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है।

अनुशंसा: कम्पनी को लंबित निष्क्रिय भाड़े के दावों को यथाशीघ्र दर्ज कराया जाना चाहिए एवं इन बकायों के तुरन्त वसूली/समायोजन के लिए प्रभावी अनुगमन करना चाहिए।

लाइजनिंग ठेकेदारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

2.2.20 कम्पनी ने रेलवे द्वारा खदानों से टीपीएस तक कोयले के परिवहन के लिए रेलवे विभाग एवं कोयला कम्पनीयों से लाइजनिंग करने के लिए मासिक सेवा शुल्क के भुगतान पर लाइजनिंग ठेकेदारों को नियुक्त किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन (नवंबर 2010) के निर्देशानुसार, कम्पनी को वार्षिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयला प्राप्ति के लिए लाइजनिंग ठेकेदार को प्रोत्साहित करना चाहिये था। हालांकि, एमडी की मंजूरी के साथ कम्पनी ने (जुलाई 2011) लाइजनिंग अनुबंध में एक प्रोत्साहन वाक्य सम्मिलित किया जिसके अनुसार ठेकेदार को सालाना अनुबंधित मात्रा की बजाय एमआरपी मात्रा से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिए श्रेणीवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त होना चाहिये थी। प्रोत्साहन राशि को एमआरपी से जोड़ने का कारण एमआरपी से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिए ठेकेदार द्वारा अधिक प्रयास था। हालांकि, कोयले की प्राप्ति में कमी के मामले में जुर्माना लगाने के लिए कोई वाक्य सम्मिलित नहीं किया गया था। सीई (एफएम) द्वारा पिछले अनुभव का हवाला देते हुए और एमआरपी मासिक अनुबंधित मात्रा से कम होने पर प्रोत्साहन के भुगतान से बचने के लिए, प्रोत्साहन वाक्य को एमआरपी या वार्षिक अनुबंधित मात्रा की मासिक मात्रा जो भी अधिक हो से सयोजित करते हुए संशोधित किया गया (जून 2014)। हालांकि, प्रोत्साहन अभी भी म.प्र.शासन द्वारा निर्देशित वार्षिक अनुबंधित मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–16 के दौरान, कम्पनी ने एमआरपी मात्रा/ मासिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिये ठेकेदार को ₹ 0.69 करोड़ का प्रोत्साहन दिया, जबकि वर्ष के दौरान कोयले की कुल प्राप्ति वार्षिक अनुबंधित मात्रा से कम थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि 2011 में प्रोत्साहन वाक्य को सम्मिलित किया गया, जब कोयले की आपूर्ति में कमी थी। वर्तमान स्थिति में, भविष्य के अनुबंधों से प्रोत्साहन को हटाने का प्रस्ताव है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार का निर्देश प्रोत्साहन को वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति से जोड़ने के बारे में स्पष्ट था, जिससे विचलन के कारण ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

- सतपुड़ा टीपीएस ने अपनी मौजूदा इकाईयों की 66 एलएमटी अनुबंधित मात्रा और विस्तार इकाईयों की 18.51 एलएमटी अनुबंधित मात्रा के लिए एक लाइजनिंग अनुबंध किया (जून 2014)। अनुबंध के वाक्य 2.6 के अनुसार, यदि किसी विशेष माह में कोयले की प्राप्ति, एमआरपी मात्रा या मासिक अनुबंधित मात्रा (जैसा कि अनुबंध की वाक्य 2.4 में दिया गया है), जो भी अधिक हो, से अधिक होने पर ठेकेदार मासिक प्रोत्साहन भुगतान के लिए पात्र था।

दिसंबर 2015 के दौरान, कोयले की प्राप्ति मासिक अनुबंधित मात्रा से 0.59 एलएमटी अधिक थी, जिसके लिए टीपीएस द्वारा ठेकेदार को राशि ₹ 0.26 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने पीएच-4 (विस्तार इकाई) की एमआरपी मात्रा (1.54 एलएमटी) और वास्तविक मात्रा (0.67 एलएमटी) को छोड़कर प्रोत्साहन की गणना के लिए केवल पीएच-2 और 3 (मौजूदा इकाईयों) की एमआरपी और वास्तविक प्राप्ति की मात्रा को विचार में लिया था। अनुबंध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि प्रोत्साहन की गणना के लिए मौजूदा और विस्तार इकाईयों दोनों की मात्रा ली जाएगी। दिसंबर 2015 के माह के लिए मौजूदा और विस्तार इकाईयों की वास्तविक एमआरपी

मात्रा 3.81 एलएमटी थी, जिसके विरुद्ध कोयले की वास्तविक प्राप्ति केवल 3.53 एलएमटी था, अतः ठेकेदार को गई प्रोत्साहन देय नहीं था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि प्रोत्साहन की गणना दोनों अनुबन्धों के लिए अलग से की गई थी और अनुबंध के वाक्य की गलत व्याख्या नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइजनिंग अनुबंध (वाक्य 2.6) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वाक्य 2.4 में उल्लेखित मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन की गणना की जाएगी जिसमें दोनों इकाईयों की मासिक अनुबंधित मात्रा सम्मिलित है। कम्पनी की उपरोक्त गलत व्याख्या से भविष्य में भी अनावश्यक प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त भुगतान हो सकता है।

अनुशंसा: कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा विभाग के निर्देशों और लाइजनिंग अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों का पालन करना चाहिए।

कोयला हैंडलिंग

इन-मोशन वेब्रिज के कार्य न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.2.21 श्री सिंगाजी टीपीएस ने जून 2014 से जनवरी 2016 के दौरान दो आपूर्ति आदेशों²⁸ के तहत 4.34 एलएमटी आयातित कोयले की खरीद की। आपूर्ति आदेश के अनुसार, कोयले के लिए भुगतान को इन-मोशन वेब्रिज²⁹ में दर्ज अंतिम वजन के आधार पर विनियमित किया जाना था (वाक्य 7)। यदि टीपीएस में वेब्रिज कार्यशील न हो, तो लोडिंग की जगह पर रेलवे रसीद (आरआर) में दर्ज वजन के आधार पर भुगतान किया जाना था (वाक्य 11)। लेकिन ऐसी स्थिति में, कम्पनी को पारगमन के दौरान हुई कोयले की क्षति के लिए भी भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि श्री सिंगाजी टीपीएस में इन-मोशन वेब्रिज इसकी स्थापना की तिथि से (जुलाई 2014) ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसे तकनीकी रूप से अनुपयुक्त स्थान पर स्थापित किया गया था और तीन वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बावजूद इसमें अब तक कम्पनी द्वारा सुधार नहीं किया गया (अक्टूबर 2017)। परिणामस्वरूप, कम्पनी को पारगमन के दौरान हुई 2,891.10 मेट्रिक टन³⁰ कोयले की क्षति के लिए ₹ 1.96 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। इस भुगतान से बचा जा सकता था यदि इन-मोशन वेब्रिज ठीक से कार्यशील होता।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि पारगमन हानि के लिए अनुबंध में शास्ति वाक्य नहीं था। इन-मोशन वेब्रिज को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जो इसके कामकाज में सुधार करेगा। इसके अलावा, श्री सिंगाजी टीपीएस में आयातित कोयले में पारगमन हानि अन्य टीपीएस के साथ तुलनीय नहीं थी क्योंकि अन्य संयन्त्र लंबी दूरी पर स्थित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोयले के वजन की अनुपस्थिति में कम्पनी पारगमन हानि सहित आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल की गई पूरी मात्रा के लिए भुगतान कर रही थी। इसके अलावा, चूंकि श्री सिंगाजी टीपीएस में इन-मोशन वेब्रिज के सही काम न किए जाने

²⁸ मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (नवंबर 2012 और मार्च 2015) को दिया गया।

²⁹ टीपीएस पर इन-मोशन वेब्रिज का उपयोग उस पर वैगन गुजार कर कोयले के वजन को मापने के लिए किया जाता है।

³⁰ अन्य टीपीएस में आयातित कोयले में पारगमन हानि, सतपुडा टीपीएस में आपूर्ति की गई कुल मात्रा 1.70 एलएमटी की 0.66 प्रतिशत और संजय गांधी टीपीएस में आपूर्ति की गई कुल मात्रा 5.27 एलएमटी की 1.29 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा ने सतपुडा टीपीएस में दर्ज 0.66 प्रतिशत की न्यूनतम पारगमन हानि को माना है।

के कारण वास्तविक पारगमन हानि की गणना नहीं की जा सकी, लेखापरीक्षा ने अन्य टीपीएस में आयातित कोयले पर न्यूनतम पारगमन हानि लिया है।

अनुशंसा: आयातित कोयले पर पारगमन हानि के आगे के भुगतान से बचने के लिए कम्पनी को इन-मोशन वेब्रिज में कमी को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

रेलवे को डेमरेज शुल्क का भुगतान और अनलोडिंग ठेकेदार से शंटिंग शुल्क की गैर-वसूली

2.2.22 कम्पनी ने कोयले को समय पर उतारने के लिए अमरकंटक टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस (पीएच-1 और 2) में अनलोडिंग ठेकेदार नियुक्त किया था। इसी प्रकार, कोयले को समय पर उतारने सहित अनलोडिंग उपकरणों के रख-रखाव के लिए संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3), श्री सिंगाजी और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) में ओ एंड एम ठेकेदार³¹ नियुक्त किए गए थे। अनुबंध के अनुसार, रेलवे द्वारा लगाए गए डेमरेज और अन्य शुल्कों को ठेकेदार से उस हद तक वसूल किया जाना था, जहां तक वह उत्तरदायी था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(अ) रेलवे ने कोयला रेक के मैकेनिकल अनलोडिंग के लिए पांच घंटे और मैन्युअल अनलोडिंग के लिए नौ घंटे का निःशुल्क समय दिया था, इसके बाद के अतिरिक्त प्रति घंटे की देरी के लिये ₹ 150 प्रति वैगन की दर से डेमरेज लगाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–17 की अवधि के दौरान सभी चार टीपीएस द्वारा 7,495 कोयला रेकों में से 4,627 कोयला रेकों (61.73 प्रतिशत) को अनलोडिंग करने में देरी हुई थी जिसके लिए कम्पनी को ₹ 21.35³² करोड़ का डेमरेज शुल्क देना पड़ा था। आगे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

- संजय गांधी टीपीएस ने 2014–17 के दौरान मुख्य रूप से कन्वेयर बेल्ट की सीमित कोयला वहन क्षमता (1,200 टन प्रति घंटा) के कारण 84.55 प्रतिशत रेकों के अनलोडिंग में देरी पर ₹ 13.05 करोड़ का भुगतान डेमरेज पर किया। हालांकि, टीपीएस ने अक्टूबर 2010 में वैकल्पिक कोयला वहन मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव किया था, कॉर्पोरेट कार्यालय में सीई (ओ एंड एम जनरेशन) और सीई (नवीनीकरण और आधुनिकीकरण) तथा संजय गांधी टीपीएस के सीई द्वारा वित्तीय स्रोत की व्यवस्था करने और लागत लाभ विश्लेषण को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारण तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रस्ताव लंबित रखा। अंततः, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन की पहल पर (अक्टूबर 2014) बीओडी की मंजूरी से (जनवरी 2016 को आयोजित 83वीं बैठक), कम्पनी ने मैरसर्स एनरगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, गुडगांव (प्रतिस्पर्धी बोली में सबसे कम बोलीदाता) को ₹ 48.90 करोड़ की लागत पर वैकल्पिक कोयला मार्ग के निर्माण के लिए आदेश (फरवरी 2016) दिए, जिसे अक्टूबर 2017 तक पूरा होना था। यह कार्य अक्टूबर 2017 तक पूरा नहीं हुआ³³ था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि मौजूदा सीएचपी की समानांतर प्रणाली के साथ वैकल्पिक कोयला मार्ग का निर्माण बेहद कठिन काम है, और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किए गए वैकल्पिक कोयला मार्ग के प्रस्ताव को सीई (ओ एंड एम

³¹ संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3) में ओ एंड एम अनुबंध के दायरे में अनलोडिंग उपकरणों के ओ एंड एम और कोयले को समय पर उतारना समिलित थे, जबकि श्री सिंगाजी और सतपुड़ा टीपीएस-4 के मामले में, ओ एंड एम अनुबंध के दायरे में अनलोडिंग उपकरणों के ओ एंड एम और कोयले को समय पर उतारने के अलावा कोयला हैंडलिंग प्लांट का ओ एंड एम का कार्य भी समिलित था।

³² संजय गांधी टीपीएस (₹ 13.05 करोड़) + श्री सिंगाजी टीपीएस (₹ 7.51 करोड़) + सतपुड़ा टीपीएस (₹ 0.43 करोड़) + अमरकंटक टीपीएस (₹ 0.36 करोड़)।

³³ आरसीसी कार्य, खुदाई कार्य और फैब्रिकेशन कार्य प्रगति पर थे।

जेनरेशन), सीई (नवीकरण और आधुनिकीकरण) और संजय गांधी टीपीएस के सीई द्वारा लंबित रखा गया था और कम्पनी ने पांच वर्ष बाद निर्माण प्रारम्भ किया (फरवरी 2016)।

- श्री सिंगाजी टीपीएस ने 2014–17 के दौरान मुख्य रूप से बड़े आकार के कोयला की प्राप्ति के कारण, जिन्हें छोटे टुकड़ों³⁴ में तोड़ने की आवश्यकता थी, रेक को अनलोडिंग के लिए लगाने में देरी और अनलोडिंग उपकरणों के आउटेज के कारण 54.57 प्रतिशत रेकों की अनलोडिंग में देरी से डेमरेज पर ₹ 7.51 करोड़ व्यय किए थे। कोयले को समय पर उतारने, कोयले के बड़े आकार को तोड़ने और अनलोडिंग सुविधाओं के ओ एंड एम को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) ठेकेदार (मेसर्स एनरगो इंजीनियरिंग) को नियुक्त किया (जनवरी 2015)। ओ एंड एम अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार, देरी के कारण डेमरेज देनदारी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था। अप्रैल 2015 में श्री सिंगाजी टीपीएस में देरी के कारणवार विश्लेषण करने के लिए एक समिति³⁵ का गठन किया गया था और समिति की सिफारिशों के अनुसार जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान ठेकेदार के उत्तरदायी कारणों के लिए ठेकेदार से ₹ 0.28 करोड़ वसूल किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति ने बड़े आकार के कोयला पत्थर/शैल, गीले और चिपचिपे कोयले के कारण कोयले की अनलोडिंग में देरी के लिए उत्तरदायी ओ एंड एम ठेकेदार से ₹ 2.28 करोड़ की वसूली की अनुशंसा नहीं की थी (वाक्य 10)। आगे, ठेकेदार सिस्टम के समग्र रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार था और प्रणाली के आउटेज/विफलता के कारण वैगनों की अनलोडिंग में देरी के मामले में ठेकेदार से डेमरेज वसूल करना चाहिए था। हालांकि, ओ एंड एम अनुबंध में सिस्टम आउटेज³⁶ होने के कारण देनदारियों की वसूली के लिए कोई स्पष्ट वाक्य सम्मिलित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप सिस्टम आउटेज के लिए ठेकेदार से ₹ 2.96 करोड़ की देनदारी की वसूली नहीं हो सकी। समिति ने अक्टूबर 2015 के बाद कोई प्रतिवेदन जमा नहीं किया, जिसके कारणों को दर्ज नहीं किया गया था।

उपर्युक्त के विपरीत, 2014–17 के दौरान संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3) और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) ने ओ एंड एम ठेकेदार को इन कारणों के लिए (बड़े आकार के कोयले, पत्थर और सिस्टम आउटेज) जिम्मेदार ठहराया था और इसके लिए ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार डेमरेज शुल्क वसूल किया था। इस प्रकार, संबंधित टीपीएस के सीई, ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों को लागू करने एवं समय पर कोयले की अनलोडिंग की निगरानी करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को डेमरेज का परिहार्य भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार ठेकेदार से देनदारी वसूल की गई थी। डेमरेज शुल्क कर रहित अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक लगाया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तरदायी ठेकेदार से देरी के लिए डेमरेज वसूल नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित श्री सिंगाजी टीपीएस में ₹ 2.28 करोड़ की डेमरेज की गैर-वसूली, ₹ 37.03 करोड़ के अनुबंध मूल्य की 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर थी।

³⁴ चूंकि इस्पात ग्रिड, जिसके द्वारा ट्रैक हॉपर पर कोयला गिराया जाता है, का मानक आकार 250 मिमी है, स्टील ग्रिड से गुजरने से पहले बड़े आकार के कोयले को टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता होती है। बड़े आकार के कोयले और पत्थरों को तोड़ने में देरी रेक के अनलोडिंग का समय बढ़ाती है। ओ एंड एम अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को समय-समय पर बड़े आकार के कोयले और पत्थरों को तोड़ने की आवश्यकता थी, ताकि तय समय में वैगन से कोयले को उतारा जा सके।

³⁵ अतिरिक्त सीई (ओ एंड एम), अधीक्षक अभियंता (सेवा-1) और अधीक्षक अभियंता (सेवा-2)।

³⁶ हॉपर जाम, कन्वेयर सिस्टम सम्म्या, अनलोडिंग उपकरण आउटेज और क्रश प्रणाली के आउटेज इत्यादि के कारण वैगनों की अनलोडिंग में देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था।

(ब) पांच घंटे से अधिक समय के लिए टीपीएस साइडिंग में रेलवे लोको को रोककर रखने के मामले में, टीपीएस इंजन घंटों की लागत के आधार पर शंटिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। संजय गांधी टीपीएस और अमरकंटक टीपीएस के पास अपना स्वयं का रेलवे इंजन नहीं था। तदनुसार, संजय गांधी टीपीएस और अमरकंटक टीपीएस द्वारा रेलवे इंजन को टीपीएस साइडिंग में पांच घंटे से अधिक रोककर रखने की स्थिति में शंटिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

हालांकि, अमरकंटक टीपीएस ने 2014–17 की अवधि के लिए रेलवे को ₹ 0.85 करोड़ शंटिंग शुल्क के रूप में भुगतान किया, अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अनलोडिंग अनुबंध में वाक्य होने के बावजूद ठेकेदार से शंटिंग शुल्क की वसूली की व्यवस्था नहीं की थी (वाक्य 2.2 सी³⁷)।

इसके अलावा, संजय गांधी टीपीएस ने 2014–17 की अवधि के लिए रेलवे को ₹ 20.43 करोड़ का शंटिंग शुल्क का भुगतान किया। हालांकि, अनुबंध में प्रावधान की कमी के कारण, इसे अनलोडिंग करने वाले ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि शंटिंग शुल्क दंड नहीं थे, बल्कि इंजन किराया शुल्क थे। चूंकि ये नियमित शुल्क हैं, वसूली के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के वाक्य 2.2 (सी) के अनुसार रेलवे द्वारा लगाए गए किसी अन्य शुल्क की वसूली ठेकेदार से की जानी थी।

अनुशंसा: कम्पनी को ओ एंड एम/अनलोडिंग अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए और देरी के लिए भविष्य में डेमरेज के भुगतान से बचने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक कोयला मार्ग कार्य को पूरा करना चाहिए।

कोयला हैंडलिंग प्लांट के परिचालन और रखरखाव शुल्क पर परिहार्य व्यय

2.2.23 श्री सिंगाजी टीपीएस ने मेसर्स एनर्गे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ 13 जनवरी 2015 से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और उसे कार्यशील स्थिति में रखने के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया (फरवरी 2015)।

सतपुड़ा टीपीएस द्वारा मेसर्स मैक नैली भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के साथ इसी तरह के एक अनुबंध (अक्टूबर 2014) में, एक विशिष्ट शर्त समिलित की गयी थी, कि पांच दिनों से अधिक के दिनों के आउटेज के लिये अनुपातिक आधार पर मासिक शुल्क का 70 से 80³⁸ प्रतिशत ही भुगतान किया जाएगा। हालांकि, श्री सिंगाजी टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध में इस तरह के वाक्य को समिलित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप संयंत्र बंद होने की अवधि के लिए ओ एंड एम ठेकेदार को अनुपातिक कमी किये बिना पूरा भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ है। कम्पनी के पास सीएचपी (ओ एंड एम) कार्यों को निष्पादित करने के लिए समान नियम और शर्तों वाले अनुबंध का कोई मानक रूप नहीं था, हालांकि इन दोनों³⁹ अनुबंधों को एमडी/बीओडी⁴⁰ की पूर्व स्वीकृति के साथ टीपीएस के सम्बंधित सीई द्वारा निष्पादित किया गया था।

³⁷ ठेकेदार को मुक्त समय (पांच घंटे) में बोगियों की अनलोडिंग को सुनिश्चित करना चाहिए एवं वैगन की अनलोडिंग में देरी के कारण जुर्माना, डेमरेज शुल्क और रेलवे द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क को ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए।

³⁸ यदि पीएच की एक इकाई पांच दिनों से अधिक बंद हो जाती है, तो 80 प्रतिशत मासिक शुल्क की अनुमति है और यदि पीएच की दोनों इकाईयां पांच दिनों से अधिक बंद हो जाती हैं, तो मासिक शुल्क के 70 प्रतिशत की अनुमति है।

³⁹ चार टीपीएस में से, सीएचपी (ओ एंड एम) अनुबंध श्री सिंगाजी टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) की एक इकाई में ही निष्पादित किया गया था।

⁴⁰ कम्पनी में अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) और श्री सिंगाजी टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध क्रमशः एमडी और बीओडी की मंजूरी से निष्पादित किया गया था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि श्री सिंगाजी में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध को जुलाई 2014 में निष्पादित किया गया था। इसके बाद अनुपातिक भुगतान की शर्तों के साथ सतपुड़ा टीपीएस में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध (अक्टूबर 2014) को निष्पादित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्री सिंगाजी टीपीएस में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध को फरवरी 2015 में निष्पादित किया गया था, जबकि सतपुड़ा टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध अक्टूबर 2014 में निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंध में सतपुड़ा टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंध की अनुकूल शर्तों को सम्मिलित नहीं करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। ।

अनुशंसा: कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सभी चार टीपीएस के लिए समान नियम और शर्तों वाले मानक समझौते को अपना सकती है। साथ ही, सतपुड़ा टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध के अनुकूल वाक्य को अन्य टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंधों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कोल मिलों के अतिरिक्त अस्विकारों पर परिहार्य नुकसान

2.2.24 टीपीएस में कोल मिलों को कोयला पीसने की प्रक्रिया के दौरान ट्रम्प आयरन⁴¹, पाइराइट्स⁴² और अन्य घनत्व सामग्री को अस्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोल मिल अस्वीकारों को, संयन्त्र के पास नजदीकी यार्ड में रखा जाता है और संग्रहित होने पर बेचा जाता है। कम्पनी ने कोल मिलों के अस्विकारों के लिये प्रबंधित कोयले के एक प्रतिशत की ऊपरी सीमा तय की थी।

सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 और 4 को छोड़कर सभी टीपीएस में कोल मिल अस्वीकारों की मात्रा मानदंडों के अन्दर थी। सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 में 2014-17 के दौरान 0.13 एलएमटी के अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार थे, जिसका मूल्य ₹ 3.36 करोड़ था। इसी तरह, 2014-15 के दौरान सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 में 0.40 एलएमटी के अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार थे, जिसका मूल्य ₹ 10.38 करोड़ था। अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार के कारण⁴³ अधिक बारीकी और उच्च नमी, कम वायु प्रवाह और कम मिल आउटलेट तापमान के कारण अनुचित संचालन, रखरखाव में देरी और कोल मिल के खराब पुर्जों का गैर-प्रतिस्थापन थे, जो टीपीएस के सीई द्वारा उचित संचालन और कोल मिलों के रखरखाव के द्वारा नियंत्रित किये जा सकते थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीओडी ने कोयले मिल अस्वीकार की स्थिति की निगरानी नहीं की और टीपीएस स्तर पर संबंधित सीई द्वारा इसकी निगरानी की गयी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017 / अप्रैल 2018) कि पुरानी इकाईयों में कोल मिल अस्विकारों में निरंतर कमी आई है और मिलों के उचित रखरखाव, पीसने वाले पुर्जों के समय पर प्रतिस्थापन और बाह्य सामग्री को बाहर निकालने एवं अशुद्धता इत्यादि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सतपुड़ा टीपीएस-4 की स्थापना 2013-14 के दौरान की गयी थी और संचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रारंभिक समस्याएं थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी इन इकाईयों में कोयले मिल अस्वीकारों को निर्धारित सीमाओं में रखने में विफल रही है। अन्य इकाईयों की श्रेष्ठ प्रथाओं का पालन करके सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 और पीएच-4 के कोल मिल अस्विकारों को मानदंडों के अन्दर रखने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

⁴¹ स्ट्रैंधातु कणों या वस्तुओं जैसे स्टेपल्स, बालिंग वायर और नेल्स इत्यादि।

⁴² एक चमकीला पीला खनिज जिसमें लौह डाइसल्फाइड होता है।

⁴³ कोल मिल के परिचालन मैनुअल के अनुसार, कम्पनी द्वारा किए गए कारण विश्लेषण और लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की परीक्षा के आधार पर किये गये विश्लेषण के अनुसार।

अनुशंसा: कम्पनी को परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

कोयले की खपत

2.2.25 चूंकि कोयला लागत बिजली उत्पादन की लागत का एक प्रमुख घटक है, किसी भी टीपीएस के लिए कुशल और मितव्ययी कोयले की खपत आवश्यक है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने सकल स्टेशन ताप दर (एसएचआर)⁴⁴ के लिए संयंत्र विशिष्ट मानदंड तय किए थे। उच्च एसएचआर के कारण बिजली उत्पादन में अधिक ताप आवश्यकता के कारण कोयले की अधिक खपत होती है। कोयले की खपत के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

उच्च स्टेशन ताप दर के कारण अतिरिक्त कोयले की खपत

2.2.26 एमपीईआरसी (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2012 और 2015 के अनुसार, उच्च एसएचआर के कारण अतिरिक्त कोयले की खपत का मूल्य कम्पनी द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए और बिजली उपभोक्ताओं से नहीं वसूलना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015–17 के दौरान अमरकंटक टीपीएस को छोड़कर सभी टीपीएस में वास्तविक एसएचआर निर्धारित मानदंडों से अधिक था। उच्च एसएचआर के परिणामस्वरूप 2014–17 के दौरान ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

कम्पनी द्वारा विश्लेषण किए गए उच्च एसएचआर और परिणामस्वरूप अतिरिक्त कोयले की खपत के कारण थे: निधि की कमी⁴⁵ के कारण टीपीएस का अपर्याप्त रखरखाव और समय पर ओवरहालिंग सुनिश्चित करने में विफलता, बिजली संयंत्र की आंशिक लोडिंग, बार बार फोर्स शट डाउन, कोल मिलों का खराब प्रदर्शन, अनुशंसित तकनीकी मानकों⁴⁶ जैसे दबाव, तापमान, कंडेनसर वैक्यूम, ईंधन और वायु अनुपात से विचलन। उपर्युक्त कारकों को टीपीएस के पर्याप्त और समय पर रखरखाव और ओवरहालिंग, संयंत्र की इष्टतम लोडिंग और अनुशंसित तकनीकी मानकों को बनाए रखकर नियन्त्रित किया जा सकता था। बीओडी नियमित रूप से सीई (एफएम) द्वारा प्रस्तुत स्थिति प्रतिवेदन के माध्यम से एसएचआर की स्थिति की निगरानी करते हैं लेकिन उच्च एसएचआर के कारण और सुधारात्मक कार्यों के लिए बीओडी बैठकों में चर्चा नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017 / अप्रैल 2018) कि एमपीईआरसी मानदंड वर्ष दर वर्ष कड़े हो रहे थे और एमपीईआरसी द्वारा इकाईयों की बढ़ती उम्र पर विचार नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, कोयले की खराब गुणवत्ता और लगातार रिजर्व शट डाउन (आरएसडी)⁴⁷ उच्च एसएचआर के मुख्य कारण थे, जो कम्पनी के नियंत्रण से बाहर हैं।

⁴⁴ सकल स्टेशन ताप दर का अर्थ है ताप विद्युत जनरेटिंग स्टेशन के जनरेटर टर्मिनल पर विद्युत ऊर्जा की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक किलो कैलोरी में ताप उर्जा इनपुट।

⁴⁵ परिचालन मानदंडों अर्थात् एसएचआर, ईंधन तेल इत्यादि की अप्राप्ति के कारण जनरेशन टैरिफ के माध्यम से व्यय की कम वसूली एवं मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा बिजली खरीद बिलों के भुगतान में देरी के चलते धन की कमी थी। 2014–17 के दौरान, टीपीएस को मरम्मत और रखरखाव के लिए ₹ 549 करोड़ के औसत वार्षिक धन की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध बीओडी ने ₹ 293 करोड़ आवंटित किया था।

⁴⁶ कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा सभी टीपीएस के लिए एसएचआर में कमी हेतु विभिन्न तकनीकी मानकों को सम्मिलित करते हुये दिशानिर्देश जारी किये (अप्रैल 2014)।

⁴⁷ मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) प्रणाली के अनुसार, कम उत्पादन लागत वाले स्टेशनों को उत्पादन के लिए शेड्यूलिंग दी जाएगी और अधिक उत्पादन लागत वाली इकाईयां रिजर्व शट डाउन (आरएसडी) हो जाएंगी, यानि बिजली उत्पादन बंद हो जायेगा। एमओडी प्रणाली कम्पनी के सभी टीपीएस और म. प्र. के निजी बिजली उत्पादकों पर लागू थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीईआरसी ने इसी तरह की इकाईयों के प्रदर्शन, उपकरणों की उम्र, संचालन की प्रकृति और पिछले प्रदर्शन पर विचार करने के बाद मानदंड तय किए थे। इसके अलावा, धन की कमी के कारण पुरानी इकाईयों की पर्याप्त मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। आगे, कोयले के अनुचित भण्डारण और रिक्लेमिंग के कारण उत्पादन केंद्रों पर कोयला प्राप्त होने के बाद कोयले की गुणवत्ता कम होती है, इसलिये कोयले की प्राप्ति के बाद की जीसीवी और उत्पादन केंद्र में प्रयोग कोयले की जीसीवी के बीच अधिक अंतर था। एमओडी सिस्टम के प्रारम्भ से पहले भी एसएचआर अधिक था और कम्पनी ने रिजर्व शट डाउन के कारण उच्च एसएचआर पर प्रभाव का अलग से मूल्यांकन नहीं किया।

अनुशंसाएः (1) कम्पनी को एसएचआर के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। (2) कम्पनी की आवश्यक गतिविधियों के लिए धन की कमी से बचने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) द्वारा ऊर्जा के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को कम्पनी और एमपीपीएमसीएल के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा

2.2.27 फर्नेस में आवश्यक कोयले की बारीकी और वायु-ईंधन अनुपात नहीं होने के परिणामस्वरूप कोयले का अनुचित दहन होता है, जिसके कारण राख में अधजला कोयला कण निकलता है। बॉयलर का डिजाइन पैरामीटर राख में अधजले कोयले के कणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–17 की अवधि के दौरान, राख में अधजले कोयले की मात्रा सभी टीपीएस (अमरकंटक टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-2 और 3 को छोड़कर) में मानदंडों से अधिक थी, जिसमें तीन नए स्थापित पीएच⁴⁸ भी सम्मिलित थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.54 करोड़ मूल्य के 0.93 एलएमटी कोयले की बर्बादी हुई। सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 में अधजले कोयले का प्रतिशत अधिकतम था, जो कि 2014–17 की अवधि के दौरान उत्पन्न कुल राख का 1.13 प्रतिशत से 2.35 प्रतिशत के बीच था।

राख में अधिक अधजले कोयले के कारण⁴⁹ थे, बारीक कोयले के वितरण में कोयले का अनियमित आकार तथा कोयले के कण की आवश्यक बारीकी और आवश्यक वायु ईंधन अनुपात नहीं रखने के कारण फर्नेस में खराब दहन। अधजले कोयले की हानि को कोल मिलों के नियमित ओ एंड एम और पर्याप्त वायु ईंधन अनुपात और कोयला कण की बारीकी को बनाए रख कर कम किया जा सकता है।

इसके अलावा, टीपीएस के रसायनज्ञ द्वारा तैयार की गई रासायनिक रिपोर्टों के माध्यम से टीपीएस के संबंधित सीई अधजले कोयले की स्थिति की निगरानी करते हैं। हालांकि, रासायनिक प्रतिवेदन में राख में अधजले कोयले का केवल वास्तविक प्रतिशत था और कोई बेंचमार्क का उल्लेख नहीं किया गया था। राख में अधिक अधजले कोयले के कारणों पर भी रासायनिक प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई थी। इसके अलावा, पर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) नहीं थी जो बीओडी को संयंत्र स्तर के परिचालन मुद्दों की रिपोर्ट करती है।

⁴⁸ श्री सिंगाजी टीपीएस पीएच-1 (फरवरी 2014), संजय गांधी टीपीएस पीएच-3 (जून 2007) और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 (अगस्त 2013)।

⁴⁹ परिचालन मैनुअल में निर्धारित तकनीकी मानकों और टीपीएस द्वारा किए गए कारणों के विश्लेषण के आधार पर।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि राख में अधिक अधजले कोयले के मुख्य कारण आंशिक भार पर इकाईयों को चलाना, बार बार रिजर्व शटडाउन होना, धन की कमी के कारण पुरानी इकाईयों के व्यापक आर एंड एम को आगे बढ़ाना इत्यादि थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संजय गांधी टीपीएस पीएच-3, श्री सिंगाजी टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 नई स्थापित इकाईयां थीं, जिसमें 2014-17 के दौरान राख में अधजला कोयला मानक से अधिक था। इसके अलावा, एमओडी जोकि अक्सर इकाईयों के रिजर्व शट डाउन होने का कारण था, के प्रारम्भ से पहले 2014-15 में भी राख में अधजला कोयला मानदंडों से अधिक था।

अनुशंसा: राख में अधजले कोयले के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए कम्पनी को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

राख प्रबंधन

2.2.28 टीपीएस के बॉयलर में कोयले के दहन के बाद, अपशिष्ट के रूप में राख उत्पन्न होती है। भट्टी के तल पर कुल राख का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा एकत्र किया जाता है जिसे स्लरी के रूप में राख तालाब में भेज दिया जाता है, को तल राख कहा जाता है। राख का शेष भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)⁵⁰ के माध्यम से राख को सिलोस में एकत्र किया जाता है, को फ्लाई राख कहा जाता है। लेखापरीक्षा ने राख प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित देखा।

पर्यावरण संरक्षण पर सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना

2.2.29 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसी), भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की (सितंबर 1999) जिसमें कोयले पर आधारित टीपीएस से फ्लाई राख के उपयोग के संबंध में निर्देश सम्मिलित थे, जिसे बाद में नवंबर 2009 में संशोधित किया गया था।

- निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर टीपीएस के 100 प्रतिशत फ्लाई राख का उपयोग किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 की अवधि के दौरान संजय गांधी टीपीएस, अमरकंटक टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस में राख का उपयोग केवल 40.67 से 78.41 प्रतिशत की सीमा में था। श्री सिंगाजी टीपीएस के संबंध में 50, 70 और 90 प्रतिशत का लक्ष्य परिचालन के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए तय किया गया था, जबकि राख का उपयोग केवल क्रमशः एक, तीन और 14 प्रतिशत था। राख के कम उपयोग के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए मुख्य कारण इसकी अधिक परिवहन लागत और कम मांग थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीओडी ने सतपुड़ा टीपीएस को छोड़कर अन्य टीपीएस के राख उपयोग की निगरानी नहीं की थी।
- सभी टीपीएस को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एमओईएफसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिसूचना की दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर राख के निपटान के लिए कार्य योजना तैयार करके जमा करनी थी। हालांकि, 17 वर्ष की देरी के बाद और लेखापरीक्षा के इंगित करने के बाद कम्पनी ने अक्टूबर 2017 में सभी चार टीपीएस के लिए कार्य योजना तैयार की।
- अधिसूचना के पैरा 2(7) के अनुसार कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन में अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन होनी चाहिए। हालांकि, कम्पनी ने इसका पालन नहीं किया।

⁵⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक नियंत्रित उपकरण है जो बहने वाली गैस से धूल और धुंए जैसे बारीक कणों को हटा देता है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017 / अप्रैल 2018) कि अधिसूचना के पैरा 2(7) के अनुपालन में, वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाएगा। टीपीएस के पास के सीमेंट और ईंट निर्माता फलाई राख का उपयोग कर रहे हैं और कम्पनी अन्य एजेंसियों से अपनी गतिविधियों में राख का उपयोग करने के लिए प्रयास / संपर्क कर रही है।

तथ्य यथावत् रहा कि उचित राख प्रबंधन के लिए सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

अनुशंसा: कम्पनी को राख के उपयोग के संबंध में पर्यावरण मानदंडों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

ईंधन तेल की खपत

2.2.30 ईंधन तेल मुख्य रूप से टीपीएस के स्टार्ट-अप के लिए और कोयले की निम्न गुणवत्ता के मामले में आवश्यक ताप को बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। एमपीईआरसी ने प्रत्येक पावर हाउस (पीएच) के लिए ईंधन तेल की खपत के लिए मानदंड पिछले प्रदर्शन, इसी तरह की इकाईयों के प्रदर्शन, ईंधन, उपकरणों की आयु और संचालन की प्रकृति पर विचार करते हुये निर्धारित किए।

एमपीईआरसी
मानदंडों से
विचलन के
कारण 20,123
किलो लीटर
ईंधन तेल की
अतिरिक्त खपत
हुई जिसके
परिणामस्वरूप
₹ 95.80 करोड़
का अतिरिक्त व्यय
हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–17 की अवधि के दौरान, कम्पनी के टीपीएस (संजय गांधी टीपीएस पीएच-3 और अमरकंटक टीपीएस को छोड़कर) ने मानदंडों से अधिक ₹ 95.80 करोड़ मूल्य के 20,123 किलो लीटर ईंधन तेल का उपभोग किया। कम्पनी द्वारा विश्लेषण⁵¹ किए गए अतिरिक्त ईंधन खपत के कारण थे: नियमित स्टार्ट-अप पर तेल की अधिक खपत, बार बार संयंत्र का बंद होना, आंशिक लोडिंग, कोयला प्रवाह में व्यवधान⁵² एवं कोल मिल का आउटेज। इनके कारण अपर्याप्त रखरखाव के कारण उपकरण के आउटेज और बिजली की कम मांग के कारण रिजर्व शट डाउन थे।

सीईए की अनुशंसा के अनुसार, ईंधन तेल का उपयोग टीपीएस के स्टार्ट-अप पर करना चाहिए, लेकिन टीपीएस ने अन्य आवश्यकताओं⁵³ के लिए भी ईंधन तेल का उपयोग किया था। पर्याप्त प्राथमिक ईंधन आपूर्ति के प्रबंधन, बिजली संयंत्र की उचित लोडिंग और नियमित रखरखाव और बिजली संयंत्र की ओवरहालिंग से ईंधन की अधिक खपत कम हो सकती थी। धन की कमी⁵⁴ के कारण पर्याप्त रखरखाव और ओवरहाल नहीं किया गया था। इसके अलावा, एमओडी आधारित बिजली की बिक्री के कारण, कम्पनी अपने बिजली संयंत्र को अधिक उत्पादन लागत के कारण नियमित रूप से और पूरी क्षमता पर नहीं चला पाई जिसके परिणामस्वरूप बार बार शट डाउन हुआ और इसके परिणामस्वरूप तेल खपत अधिक हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ईंधन तेल खपत की स्थिति प्रतिवेदन नियमित रूप से सीई (एफएम) द्वारा बीओडी में रखी जाती है, लेकिन अधिक तेल खपत के कारणों और सुधारात्मक कार्रवाई पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017 / अप्रैल 2018) कि एमपीईआरसी ने इकाईयों के पुरानी होने के बावजूद ईंधन तेल खपत का मानक घटाया (2009–10)। आगे यह कहा गया था कि रिजर्व शट डाउन होने के कारण इकाईयों को बार बार चालू करने और बंद करने से तेल की खपत में वृद्धि हुई है।

⁵¹ अतिरिक्त तेल खपत के कारणों का विश्लेषण टीपीएस स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियंता (ऑपरेशन) दैनिक आधार पर और कॉर्पोरेट कार्यालय में सीई (एफएम / जनरेशन) द्वारा किया गया था।

⁵² बरसात के मौसम के दौरान, कोयले के चिपचिपा और गीला होने के कारण कोयले के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

⁵³ कोयला प्रवाह में व्यवधान, कोल मिलों का आउटेज, टीपीएस का शट डाउन और लौ स्थिरीकरण के कारण तेल की आवश्यकता।

⁵⁴ 2014–17 के दौरान टीपीएस द्वारा भेजे गए आर एंड एम के लिए धन की आवश्यकता को धन की कमी के कारण काफी कम कर दिया गया और कम्पनी नियमित रूप से अपने दैनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यशील पूँजी ऋण ले रही थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीईआरसी ने इसी तरह की इकाईयों के प्रदर्शन, उपकरणों की आयु और संचालन की प्रकृति पर विचार करने के बाद मानदंड तय किए हैं। इसके अलावा, सितंबर 2015 में एमओडी जो अक्सर रिजर्व शट डाउन का कारण थी, के प्रारम्भ से पहले भी तेल खपत मानदंडों की तुलना में अधिक थी।

अनुशंसा: ईंधन तेल की खपत के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए कम्पनी को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्ष

- प्रबंधन सूचना प्रणाली कमजोर थी एवं उपचारात्मक कार्वाई के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे निदेशक मंडल को सूचित नहीं किये गये।
- अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की दो बंद इकाईयों के लिए कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम करने में कम्पनी की विफलता के कारण वर्ष 2016–17 के दौरान 6.27 एलएमटी कोयला के कम उठाव के कारण ₹ 17.21 करोड़ के मुआवजे की परिहार्य देयता निर्मित हुई।
- टीएसपीएस के बीच कोयले के विनियम में विफलता के कारण, कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस में डब्ल्यूसीएल के 18.05 एलएमटी कोयले का उपयोग नहीं कर सकी, जबकि डब्ल्यूसीएल की खदानें एसईसीएल की खदानों की तुलना में श्री सिंगाजी टीपीएस के नजदीक स्थित थीं, परिणामस्वरूप ₹ 80.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- अनुबंधों में कोयले की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने में विफलता के कारण, कम्पनी द्वारा डब्ल्यूसीएल के एक अनुबंध में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण प्रोत्साहन देने एवं अन्य अनुबंध में कोयले के कम उठाव के कारण मुआवजा देने का दायित्व था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.96 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।
- मई 2015 से जून 2016 के दौरान कम्पनी ने 12.68 एलएमटी स्वदेशी कोयले का कम उठाव किया जबकि, 1.76 एलएमटी आयातित कोयले को उच्च लागत पर खरीदा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- कम्पनी रेलवे को माल ढुलाई के भुगतान के लिए बैंकों के साथ एक केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता बनाए रखने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2014–17 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को अवरुद्ध धन पर ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- कम्पनी निर्धारित समय सीमा के अन्दर कोयला रेक की अनलोडिंग करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2014–17 के दौरान रेलवे को ₹ 21.35 करोड़ डेमरेज शुल्क के का परिहार्य भुगतान हुआ।
- वर्ष 2014–17 के दौरान अमरकंटक टीपीएस (2015–17) को छोड़कर सभी थर्मल पावर स्टेशनों में वास्तविक स्टेशन ताप दर (एसएचआर) मध्य प्रदेश विद्युत नियमक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। अधिक एसएचआर के परिणामस्वरूप 2014–17 के दौरान ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।
- कम्पनी के टीपीएस ने निर्धारित मानदंडों की तुलना में 20,123 किलो लीटर के अतिरिक्त ईंधन तेल का उपभोग किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अध्याय—३

अध्याय–3

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गए लेनदेन की नमूना जाँच के आधार पर 11 कपिडकाएँ सम्मिलित की गई हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिबद्धता के तहत व्यय की जाने वाली आवश्यक ₹ 9.33 करोड़ राशि में से ₹ 6.13 करोड़ राशि व्यय करने में विफल रहे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का अनुपालन करने हेतु कम्पनियों के अहकारी मानदंड एवं सीएसआर के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है। अधिनियम को कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (सीएसआर नियम) के माध्यम से लागू किया गया है।

अधिनियम एवं सीएसआर नियम वर्ष 2014–15 से प्रभावी हैं और किसी वित्तीय वर्ष में ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक टर्नओवर या ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की नेट वर्थ या ₹ 5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों पर लागू हैं। इन कम्पनियों को पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में हुए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों पर व्यय करना होता है। निर्धारित व्यय करने में असफल रहने की स्थिति में कम्पनियों के निदेशक मंडल को उनके वार्षिक प्रतिवेदन में इसके कारणों को उल्लेखित करना होता है।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उपक्रम) पर अधिनियम एवं सीएसआर नियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन किया और पाया कि 52 कार्यशील उपक्रमों में से 16¹ उपक्रम सीएसआर प्रावधानों के दायरे में आ रहे थे। दो² उपक्रमों ने सीएसआर प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया, जबकि अन्य दो³ उपक्रमों के लेखे लंबित होने के कारण उनके द्वारा किये गए अनुपालन का परीक्षण नहीं किया जा सका। शेष 12 उपक्रमों की स्थिति को नीचे तालिका क्र. 3.1 एवं 3.2 में विस्तृत किया गया है :—

¹ मध्य प्रदेश राज्य खनन विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसपडीसी), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी), मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरवीएन), मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड (एमपीएकेवीएन), मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एमपी एग्रो), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीएसएल), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीपूर्वक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीपरिचमक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीमध्यक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीजेनको), मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएससीएससी), मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एमपीएचसी)।

² मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

³ मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसआरडीसी) और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एमपीएलयूएन): वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लेखे मार्च 2017 तक नहीं बनाये गये थे।

तालिका क्र. 3.1						
(₹ करोड़ में)						
क्रमांक	कमी / अनुपालन की प्रकृति	अधिनियम/ सीएसआर नियम का प्रावधान	उपक्रम का नाम	वर्ष जिसमें अनुपालन नहीं हुआ	सीएसआर पर व्यय की जाने वाली वर्षवार आवश्यक राशि	वर्षवार कम व्यय की गई राशि
1.	सीएसआर गतिविधियों पर कम व्यय - ₹ 6.13 करोड़	कम्पनी अधिनियम की धारा 135(5)	1.1 एमपीआरडीसी	2014–15	0.59	0.59
				2015–16	0.82	0.82
			1.2 एमपीएससीएससी	2014–15	0.05	0.05
			1.3 एमपीएकेवीएन, भोपाल	2015–16	0.17	0.17
			1.4 एमपीपीटीसीएल	2015–16	0.06	0.01
			1.5 एमपीएसएमडीसी	2014–15	1.15	0.64
				2015–16	1.57	1.36
			1.6 एमपीआरवीवीएन	2014–15	1.13	0.30
				2015–16	1.35	निरंक
			1.7 एमपी एग्रो	2014–15	0.92	0.92
				2015–16	0.93	0.68
			1.8 एमपीपीएचसी	2014–15	0.14	0.14
				2015–16	0.23	0.23
			1.9 एमपीएसईडीसी	2014–15	0.07	0.07
				2015–16	0.15	0.15
योग					9.33	6.13

तालिका क्र. 3.2				
क्रमांक	कमी / अनुपालन की प्रकृति	अधिनियम/ सीएसआर नियम का प्रावधान	उपक्रम का नाम	वर्ष जिससे अनुपालन नहीं हुआ
1.	सीएसआर नीति का न बनाया जाना	कम्पनी अधिनियम की धारा 135(3)	2.1 एमपीपूर्वकेविविकं	2014–15
			2.2 एमपीपश्चिमक्षेविविकं	2014–15
			2.3 एमपीमध्यक्षेविविकं	2014–15
			2.4 एमपीपीएचसी	2014–15
2.	सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट करने में विफलता	सीएसआर नियम का नियम 6(1)(ब)	3.1 एमपीआरडीसी	2014–15
			3.2 एमपी एग्रो	2014–15
3.	उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट ⁴ प्राप्त न करना - ₹ 1.53 करोड़	सीएसआर नियम का नियम 4(2)(ii)	4.1 एमपीआरवीवीएन	2014–15 (₹ 0.09 करोड़)
				2015–16 (₹ 0.69 करोड़)
			4.2 एमपी एग्रो	2015–16 (₹ 0.25 करोड़)
			4.3 एमपीपीटीसीएल	2015–16 (₹ 0.05 करोड़)
			4.4 एमपीआरडीसी	2014–16 (₹ 0.26 करोड़)

सीएसआर के तहत व्यय में कमी के संबंध में नौ उपक्रमों में से क्र. संख्या 1.1 से 1.8 के तहत उल्लेखित, आठ उपक्रमों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और

⁴ कम्पनी को क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना पर किए जाने वाले धन के उपयोग के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करना था।

उत्तर दिया कि कमी की मात्रा या तो बाद के वित्तीय वर्षों में व्यय कर ली गई है अथवा की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुपालन न करने वाले उपक्रमों के निदेशक मंडल (बीओडी), अधिनियम की धारा 135(5) के तहत सीएसआर गतिविधियों पर अनिवार्य राशि व्यय न करने के कारणों को निर्दिष्ट करने में विफल रहे।

इसके अलावा, एमपीएसईडीसी (क्रम संख्या 1.9) ने उत्तर दिया कि वर्ष 2014–15 में किसी भी राशि का व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 198 के अनुसार गणना की गई शुद्ध लाभ की राशि ₹ 5.00 करोड़ से कम थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीएसईडीसी का शुद्ध लाभ 2013–14 (₹ 5.91 करोड़) और 2014–15 (₹ 12.86 करोड़) के दौरान ₹ 5.00 करोड़ से अधिक था। इसलिए अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान 2014–15 से एमपीएसईडीसी के लिए लागू हो गए और तदनुसार उसे बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभ का दो प्रतिशत (धारा 198 के तहत आंकित) व्यय करना आवश्यक था।

अतः सीएसआर नीति के न बनाने के साथ–साथ उपक्रमों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करने में हुई कमी ने सीएसआर नीति के परिकल्पित लाभों से वंचित रखा।

मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड

3.2 रियायतग्राही से बकाया राशि की वसूली न होना

रियायत अनुबंध का उल्लंघन कर रियायतग्राही को ₹ 14.98 करोड़ का वायबिलिटी गेप फंडिंग अनुदान दिया गया। इसके अलावा कम्पनी ने ₹ 2.57 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क की वसूली नहीं की।

मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी (मई 2006) दिशानिर्देशों के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तर्ज पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के विकास के लिए रियायतग्राहियों के साथ रियायत अनुबंध निष्पादित करती है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार और सांविधिक प्राधिकरणों, जो कि अंतर्निहित संपत्तियों के मालिक हैं, के द्वारा प्रस्तावित पीपीपी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक योजना अधिसूचित की (जनवरी 2006)। इस योजना के तहत पीपीपी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से सहायता देने के लिए वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) को पूँजी अनुदान⁵ के रूप में प्रदान किया जाना था।

कम्पनी ने मेसर्स एमबीएल हाईवे डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ, सिवनी-कटंगी रोड के विकास को 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण करने के लिए डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर एक रियायत अनुबंध निष्पादित किया (सितम्बर 2011)। ₹ 211.60 करोड़ की परियोजना लागत को रियायतग्राही की अंशपूँजी (₹ 51.10 करोड़), वीजीएफ अनुदान (₹ 30.50 करोड़) और वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 130 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। वीजीएफ अनुदान रियायतग्राही को उसकी पूरी अंशपूँजी निवेश करने के बाद देय था

⁵ एक बार में या स्थागित अनुदान जो कि पूँजी सब्सिडी की सबसे कम बोली के बराबर होता है, लेकिन कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक।

और ऋण राशि के साथ आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना था। रियायत अनुबंध के वाक्य 23.3 के अनुसार, कम्पनी द्वारा भुगतान किये गए स्वतंत्र अभियंता (आईई) शुल्क के आधे भाग की प्रतिपूर्ति रियायतकर्ता द्वारा की जानी थी। रियायत अनुबंध के वाक्य 25.2.4 के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा अनुबंध में उल्लेखित परियोजना माइलस्टोन की उपलब्धि या कम्पनी की बकाया राशि के भुगतान में चूक करने की स्थिति में वीजीएफ का संवितरण तब तक निलंबित कर दिया जाता, जब तक कि रियायतग्राही द्वारा इस चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता।

चूंकि रियायतग्राही ने कार्य प्रारंभ नहीं किया और आईई शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करने में भी असफल रहा, कम्पनी ने रियायत अनुबंध के वाक्य 37.1.2⁶ के तहत रियायतग्राही को निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (मार्च 2013)। हालांकि, कार्य प्रारम्भ करने के लिए रियायतग्राही के आश्वासन (मार्च 2013) पर विचार करते हुए, कम्पनी ने रियायत अनुबंध को निरस्त नहीं किया। तदोपरांत, रियायतग्राही द्वारा परियोजना माइलस्टोन⁷ प्राप्त न कर पाने और आईई शुल्क की बकाया राशि (₹ 2.57 करोड़) का भुगतान न करने के कारण, कम्पनी ने एक और निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (अगस्त 2016) और अंततः अनुबंध को समाप्त कर दिया (नवंबर 2016)। कम्पनी ने शेष कार्य को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन⁸ (ईपीसी) आधार पर अन्य ठेकेदार को ₹ 92.50 करोड़ में दिया (फरवरी 2017) जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित था। ईपीसी मोड में अन्तरण करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2017) कि 31 मार्च 2016 तक रियायतग्राही ने परियोजना में पूरी अंशपूँजी (₹ 51.10 करोड़) निवेश किया था और वीजीएफ योजना के तहत वीजीएफ की पहली किश्त जारी करने के लिए कम्पनी से अनुरोध किया था (मई 2016)। रियायतग्राही द्वारा परियोजना माइलस्टोन⁹ हासिल करने में निरंतर चूक और आईई शुल्क की देय राशि का भुगतान न करने के बावजूद कम्पनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) ने ₹ 14.98 करोड़ का वीजीएफ जारी करने के लिए भारत सरकार को यह कहते हुए अनुशंसा करी (मई 2016) कि रियायतग्राही ने परियोजना में अपनी पूरी अंशपूँजी और 49.11 प्रतिशत¹⁰ ऋण राशि निवेश कर दी है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 14.98 करोड़ का वीजीएफ रियायतग्राही के एस्क्रो खाते में सीधे जारी किया गया (जून 2016)।

वीजीएफ को जारी किया जाना अनुबंध के वाक्य 25.2.4 का उल्लंघन था क्योंकि रियायतग्राही परियोजना माइलस्टोन प्राप्त करने और कम्पनी के बकाया के भुगतान करने में असफल रहा। रियायतग्राही से आईई शुल्क की बकाया राशि (₹ 2.57 करोड़) का कम्पनी द्वारा अपलेखन किया गया (मार्च 2017)। इसके अलावा, चूंकि कम्पनी ने शेष कार्य को पीपीपी आधार के बजाय ईपीसी आधार पर कराने की व्यवस्था की, अतः पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ

⁶ अनुबंध के वाक्य 37.1.2 के अनुसार कम्पनी रियायतग्राही को उसकी चूक के लिए नोटिस के माध्यम से सूचित करने के बाद अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस जारी करने और उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय देने की हकदार थी।

⁷ 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने वाले निर्धारित 100 प्रतिशत कार्य के विरुद्ध, रियायतग्राही ने 31 अगस्त 2016 तक मात्र 55.39 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया।

⁸ परियोजना को क्रियान्वित करने की एक ऐसी अनुबंध व्यवस्था, जिसमें कि ठेकेदार डिजाइन, क्रय, निर्माण से स्थापना तक के सभी कार्य और परियोजना को कम्पनी को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

⁹ 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने वाले निर्धारित 100 प्रतिशत कार्य के विरुद्ध, रियायतग्राही ने 30 अप्रैल 2016 तक मात्र 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया।

¹⁰ ₹ 130.00 करोड़ की कुल ऋण राशि में से ₹ 63.834 करोड़।

योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा और शेष कार्य को ईपीसी आधार पर पूर्ण कराने के लिए अब मध्य प्रदेश शासन की निधि (₹ 92.50 करोड़) का उपयोग किया जा रहा है।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि वीजीएफ को रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया था। आगे यह भी जवाब दिया गया कि रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की लागत (₹ 67.09 करोड़) वीजीएफ और बकाया आईई शुल्क से अधिक थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा गलत अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने वीजीएफ जारी किया। यह उत्तर कि रियायतग्राही द्वारा निष्पादित कार्य की लागत वीजीएफ और आईई शुल्क की मात्रा से अधिक थी, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कार्य को ₹ 92.50 करोड़ की लागत से ईपीसी आधार पर फिर से व्यवस्थित किया गया जिसका वहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी को आईई शुल्क ₹ 2.57 करोड़ की हानि उठानी पड़ी क्योंकि इसे कार्य की लागत से समायोजित नहीं किया जा सका।

प्रकरण अगस्त 2017 में लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया था; एवं उनका उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2018)।

3.3 सरकारी निधि का अनधिकृत अवधारण और आयकर का अतिरिक्त भुगतान

परियोजना की आनुषंगिक आय के गलत लेखांकन करके अपनी आय दिखाने के परिणामस्वरूप ₹ 14.49 करोड़ के सरकारी धन का अनधिकृत अवधारण और फलस्वरूप ₹ 3.09 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है जिसके लिए कम्पनी सम्बंधित सरकारों से पर्यवेक्षण शुल्क एवं निधि प्राप्त करती है।

कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2016–17 (गत वर्ष 2015–16) के लिए आयकर विवरणी दाखिल की (अक्टूबर 2016) जिसमें ₹ 51.37 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर ₹ 10.96 करोड़ का आयकर देय दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बुक प्रॉफिट में विभिन्न आनुषंगिक आय जैसे कि लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग और सड़क कटौती शुल्क¹¹ से आय (₹ 3.73 करोड़), राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर क्षति से आय (₹ 9.69 करोड़) और जमा राशियों पर ब्याज¹² (₹ 1.07 करोड़) सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा क्रियान्वित सड़क परियोजनाओं के समस्त व्यय सरकार द्वारा वित्त पोषित किये जाते हैं। अतः सभी ‘आनुषंगिक परियोजना आय’ को या तो परियोजना लागत से घटाना चाहिए था या सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए था। इसलिए उपरोक्त आनुषंगिक परियोजना आय को कम्पनी द्वारा अपनी आय

¹¹ कम्पनी संबंधित आवेदकों से सड़क के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने, पाइपलाइनों को बिछाने, साइन बोर्ड लगाने के लिए लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग शुल्क और सड़क कटौती शुल्क वसूलती है। सड़क कटौती के सुधार में यदि कोई व्यय होता है तो सड़क रखरखाव खाते में प्रभारित होता है जोकि सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

¹² मध्य प्रदेश शासन के अप्रयुक्त धन पर अर्जित ब्याज को कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा किया जाता है। हालांकि, परियोजना की आनुषंगिक आय जैसे कि लाइसेंस शुल्क आय, भूमि उपयोग शुल्क, सड़क कटौती शुल्क और क्षति से आय (₹ 13.42 करोड़) पर अर्जित ब्याज जिसे कम्पनी की स्वयं की आय के रूप में माना गया था उसे मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा नहीं किया गया था।

के रूप में गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी निधि का अनधिकृत अवधारण हुआ, बल्कि ₹ 14.49 करोड़ से लाभ की अधिकता भी हुई और तदनुसार ₹ 3.09 करोड़ राशि के आयकर का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि चूंकि साइट सत्यापन की प्रक्रिया में व्यय होता है और क्षति से आय एक असाधारण मद है, इसलिए लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग, सड़क कटौती शुल्क और क्षति के सन्दर्भ में एकत्र किए गए शुल्क को कम्पनी की आय के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी सड़क कार्यों से सम्बंधित सभी व्यय सरकारी खाते से कर रही है। इसके अलावा कम्पनी ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2016–17 से अपनी लेखांकन प्रणाली को बदल दिया और लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग, सड़क कटौती शुल्क और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर क्षति से हुई सभी प्राप्तियों को अब कम्पनी द्वारा सरकार को देय दिखलाया जा रहा है। लेखांकन प्रणाली में यह परिवर्तन पुष्टि करता है कि कम्पनी पिछले वर्षों में गलत लेखा पद्धति का पालन कर रही थी।

3.4 रियायत अनुबंध निरस्त करने में विलम्ब से हानि

कम्पनी ने कार्य की धीमी प्रगति के लिए रियायतग्राही को जारी निरस्तीकरण नोटिस रद्द कर दिया और रियायत अनुबंध के निरस्तीकरण में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (कम्पनी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (48.04 किलोमीटर) के सतना-बेला सेक्षन के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई¹³ (रियायतग्राही) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर एक रियायत अनुबंध¹⁴ किया (मई 2012) जिसकी कुल परियोजना लागत ₹ 321 करोड़¹⁵ थी। रियायतग्राही द्वारा 05 नवंबर 2012 तक ₹ 16.05 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा निधि (वाक्य 9.1) जमा करना और वित्तीय समापन¹⁶ (वाक्य 24.1.1) प्राप्त करने की आवश्यकता थी। परियोजना को निर्धारित दिनाकर¹⁷ (13 अगस्त 2013) से 730 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाना था।

रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के शुल्क का व्यय पत्रक प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर, स्वतंत्र अभियंता के शुल्क के आधे हिस्से की प्रतिपूर्ति कम्पनी को की जानी थी (वाक्य 23.3)। इसके अतिरिक्त, रियायत अनुबंध में रियायतग्राही द्वारा 05 नवम्बर 2012 के पश्चात निष्पादन सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने में¹⁸

¹³ तकनीकी और वित्तीय आंकलन के उपरान्त प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित।

¹⁴ कम्पनी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्य निष्पादित करती है।

¹⁵ अनुमानित परियोजना लागत को रियायतग्राही द्वारा ₹ 483.03 करोड़ पर संशोधित किया गया जो कि रियायतग्राही की अंशपूँजी (₹ 135.32 करोड़), अनुदान और वीजीएफ (₹ 31.97 करोड़) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 315.74 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था।

¹⁶ वित्तीय समापन का अर्थ है कि वित्तपोषण समझौतों के तहत धन की प्रारंभिक उपलब्धता के पहले की सभी शर्तों की पूर्ति।

¹⁷ वित्तीय समापन प्राप्त करने की तारीख या पहले की कोई तारीख, जो पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित कर सकते हैं और उसे रियायत अवधि के प्रारंभ होने की तिथि होने के रूप में समझा जाएगा। रियायतग्राही ने 262 दिनों की देरी के साथ 25 जुलाई 2013 को वित्तीय समापन प्राप्त किया। तदनुसार, कम्पनी ने 13 अगस्त 2013 को निर्धारित दिनांक मानने की घोषणा की।

¹⁸ विलम्ब होने वाले प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के 0.20 प्रतिशत की दर से, लेकिन अधिकतम के 20 प्रतिशत तक (वाक्य 4.3)

और वित्तीय समापन प्राप्त करने में¹⁹ विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान था (वाक्य 4.3 और 24.1.1)।

रियायतग्राही ने 269 दिनों के विलम्ब के बाद निष्पादन सुरक्षा निधि प्रस्तुत की (1 अगस्त 2013) और 262 दिनों के विलंब के बाद (25 जुलाई 2013) वित्तीय समापन प्राप्त किया। अतः रियायतग्राही से निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में विलम्ब के लिए ₹ 3.21 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि और वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी के लिए ₹ 6.49 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि बकाया थी जिसे वसूलने में कम्पनी विफल रही।

हालांकि, कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी और वित्तीय संकट²⁰ का हवाला देते हुए 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के बाद, रियायतग्राही ने नवंबर 2014 में पूरी तरह से कार्य बंद कर दिया। चूंकि रियायतग्राही ने कार्य को पुनः प्रारंभ नहीं किया, कम्पनी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से अनुमति प्राप्त करने के बाद निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (मई 2015)। एमओआरटीएच ने अनुमति प्रदान करते हुए कम्पनी को किसी अन्य ठेकेदार से सड़क रखरखाव का काम करवाने और उसके ब्यय को रियायतग्राही की निष्पादन सुरक्षा जमा निधि का नगदीकरण कर पूरा करने का निर्देश दिया (मई 2015)। इस बीच रियायतग्राही ने कार्य पुनः प्रारंभ किया तथा इस परियोजना में अंशपूँजी निवेश करने और अक्टूबर 2016 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया (मई 2015)। तत्पश्चात रियायतग्राही के साथ विभिन्न बैठकों के बाद कम्पनी के प्रबंध संचालक ने रियायतग्राही के खराब प्रदर्शन और एमओआरटीएच के निर्देशों को अनदेखा करते हुए निरस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की मंजूरी प्रदान कर दी (मई 2016)। इस समय तक भी कार्य की प्रगति 100 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत थी। हालांकि, रियायतग्राही अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सका और 36 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के बाद अगस्त 2016 में कार्य पुनः बंद कर दिया।

अतः कम्पनी ने एमओआरटीएच से अनुमति प्राप्त करने के बाद रियायत अनुबंध को अंततः निरस्त कर दिया (मई 2017)। निरस्तीकरण के समय रियायतग्राही से ₹ 17.49 करोड़ (विभिन्न चूक के लिए क्षतिपूर्ति राशि ₹ 9.70 करोड़²¹, कम्पनी द्वारा कराये गये रखरखाव कार्य के लिए ₹ 5.50 करोड़ और बकाया स्वतंत्र अभियंता शुल्क के लिए ₹ 2.29 करोड़²²) की राशि वसूली योग्य थी। तदनुसार ₹ 16.05 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा निधि का नगदीकरण किया गया (जनवरी 2017) एवं ₹ 1.44 करोड़ लंबित रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2017) कि मई 2015 में निरस्तीकरण का प्रथम नोटिस जारी करने के समय कम्पनी को रियायतग्राही की कार्य पुनः प्रारंभ करने की असमर्थता के बारे में जानकारी थी। उस समय रियायतग्राही से कुल ₹ 15.18 करोड़²³ बकाया थे और इसकी वसूली के लिए निष्पादन सुरक्षा निधि पर्याप्त थी। इस प्रकार रियायत

¹⁹ 120 दिनों तक के विलम्ब के लिए, निष्पादन सुरक्षा जमा निधि पर 0.10 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 200 दिन तक के विलम्ब के लिए, 0.20 प्रतिशत की दर से (वाक्य 24.1.1)

²⁰ ₹ 321 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से, रियायतग्राही ने परियोजना में ₹ 112.35 करोड़ के लक्ष्य (35 प्रतिशत) के विरुद्ध मात्र ₹ 83.01 करोड़ (25.86 प्रतिशत) लगाए थे।

²¹ निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के प्रस्तुत करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 3.21 करोड़ और वित्तीय समापन को प्राप्त करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 6.49 करोड़।

²² कम्पनी ने स्वतंत्र अभियंता शुल्क के ब्यय पत्रक रियायतग्राही को भेजे थे (फरवरी 2015 से मार्च 2017) लेकिन रियायतग्राही द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

²³ निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के प्रस्तुत करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 3.21 करोड़; वित्तीय समापन को प्राप्त करने में हुई देरी की क्षति के लिए ₹ 6.49 करोड़; स्वतंत्र अभियंता शुल्क की गैर वसूली के लिए ₹ 0.65 करोड़ और कम्पनी द्वारा इस परियोजना के रखरखाव के कार्य को करने में किये गए ब्यय के लिये ₹ 4.84 करोड़।

अनुबंध की निरस्तीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप रियायतग्राही से बकाया राशि की कम वसूली के कारण ₹ 1.44 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

कम्पनी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि ऋणदाता के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन के आधार पर अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस को रद्द किया गया था। हालांकि रियायतग्राही के द्वारा कार्य में विशेष प्रगति न करने के कारण रियायत अनुबंध को एमओआरटीएच से अनुमति लेकर अन्ततः समाप्त कर दिया गया (मई 2017)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं ही रुके हुए कार्य को पुनः प्रारम्भ न कर पाने की रियायतग्राही की अक्षमता के बारे में एमओआरटीएच को सूचित किया था (मार्च 2015)। एमओआरटीएच ने भी रियायतग्राही को अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस जारी करने और उसकी निष्पादन सुरक्षा जमा राशि का नगदीकरण करने की अनुमति प्रदान की थी (मई 2015)। इसके बावजूद प्रबंध निदेशक ने अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की स्वीकृति दी (मई 2016) और अनुबंध निरस्तीकरण में दो वर्ष का विलम्ब किया जबकि इस अवधि में कार्य की प्रगति मात्र 10 प्रतिशत थी।

प्रकरण लोक निर्माण विभाग को जुलाई 2017 में प्रेषित किया गया; एवं उनका उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2018)।

3.5 रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क और उसपर ब्याज न वसूला जाना

कम्पनी रियायतग्राहियों से ₹ 8.39 करोड़ का स्वतंत्र अभियंता शुल्क और विलम्ब से हुए भुगतान पर ₹ 4.01 करोड़ का ब्याज वसूलने में असफल रही।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के संवर्धन के लिए रियायतग्राहियों के साथ रियायत अनुबंध निष्पादित करती है।

इन कार्यों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कम्पनी स्वतंत्र अभियंताओं को नियुक्त करती है। रियायत अनुबंध के वाक्य 23.3 के अनुसार कम्पनी द्वारा रियायतग्राही के हिस्से का भी स्वतंत्र अभियंताओं का पारिश्रमिक, लागत और व्यय पहले देय था और बाद में रियायतग्राहियों द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नियत तिथियों पर²⁴ कम्पनियों को की जानी थी। रियायत अनुबंध के वाक्य 47.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा देरी से किये गए भुगतान पर ब्याज²⁵ लगाया जाना था। कम्पनी के वित्त अनुभाग का प्रमुख होने के नाते, महाप्रबंधक (वित्त), रियायतग्राही से स्वतंत्र अभियंता शुल्क की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

मार्च 2017 के अंत में 26 परियोजनाओं²⁶ के रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क के लिए ₹ 25.27 करोड़ की वसूली योग्य राशि लंबित थी। इनमें से 2015–17 की

²⁴ बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (टोल + वार्षिकी) मोड के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र अभियंता शुल्क, निर्धारित दिनांक से चार छह माही किश्तों में वसूला जाना था। बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (टोल) मोड के संबंध में स्वतंत्र अभियंता शुल्क का आधा हिस्सा कम्पनी से व्यय पत्रक प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वसूल किया जाना था।

²⁵ बैंक दर से 5 प्रतिशत ज्यादा की दर पर।

²⁶ देहरदा–ईसागढ़, उज्जैन–सिंहरथ, बैतूल–सारणी–परासिया, लखनादोन–घासोर, झाबुआ–जोबट–कुक्षी, खंडवा–देहतलाई, रीवा–एमपी–यूपी सीमा, ब्यावरा–एमपी–राजस्थान सीमा रोड, दगोह–कटनी, रतलाम–सैलाना, गुना–आरोन–सिरोंज, गोर्मी–उदोतगढ़, भोपाल बायपास, बीना–कुरवाई–सिरोंज, गुना–अशोकनगर–ईशागढ़, राऊ–महौं–मंडलेश्वर, बमीठा–पन्ना–सतना, सीधी–सिंगराली, वारासिवनी–लालबर्रा, महौं–घाटाबिल्लोद, बदनावर–थंडला, बुदनी–रेहटी, बडवाह–धामनोद, थंडला–लिमड़ी, पाटन–तेंदुखेड़ा–रेहली और हटा–पतेहुर रोड।

अवधि के दौरान पूर्ण हुई 12 परियोजनाओं (नौ राज्य राजमार्गों, दो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक राज्य बाईपास रोड का विस्तार) की नमूना जांच परीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (अगस्त 2017):

- कम्पनी के महाप्रबंधक (वित्त) ने 12 रियायतग्राहियों से ₹ 23.53 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क की मांग करने में समय पर पहल नहीं की। स्वतन्त्र अभियंता शुल्क का दावा करने में 520 दिनों तक की देरी थी जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राहियों से बकाया राशि की वसूली में देरी हुई और इसके फलस्वरूप ₹ 81.93 लाख के ब्याज की हानि हुई।
- उपर्युक्त मामलों में रियायतग्राहियों से ₹ 23.53 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क में से ₹ 15.15 करोड़ की वसूली, मांग की तारीख से 21 दिनों से लेकर 1,865 दिनों तक के विलम्ब से की गई थी। इसके अलावा आठ परियोजनाओं के संबंध में, जहां निर्माण पूर्ण हो चुका था, महाप्रबंधक (वित्त) रियायतग्राहियों से ₹ 8.39 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क वसूलने में असफल रहे (**परिशिष्ट -3.1**)। नियमित अनुसरण की कमी, भविष्य में भुगतान करने के रियायतग्राहियों के आश्वासन के आधार पर महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा प्रबंध निदेशक की मंजूरी लेकर, लंबित स्वतन्त्र अभियंता शुल्क वसूले बिना रियायतग्राहियों की निष्पादन सुरक्षा निधि वापस करना और एस्क्रो समझौते में कम्पनी की देनदारियों की एस्क्रो खाते से वसूली को कम प्राथमिकता दिया जाने के कारणों से बकाये की वसूली नहीं हो सकी या वसूली में विलम्ब हुआ।
- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि स्वतन्त्र अभियंता शुल्क देनदारियों की विलम्ब से वसूली/गैर-वसूली के संबंध में अनुबंध के वाक्य 47.5 की गलत व्याख्या के कारण महाप्रबंधक (वित्त) ने रियायतग्राहियों से ₹ 4.01 करोड़ की ब्याज राशि वसूल नहीं की (**परिशिष्ट -3.1**)।

इस प्रकार महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा मांग को समय से जारी न करने, रियायतग्राहियों से अभियंता शुल्क की प्राप्ति न करने और स्वतंत्र अभियंता शुल्क की देरी से प्राप्ति पर ब्याज की वसूली न करने के कारण कम्पनी ने रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ पहुँचाया और ₹ 12.40 करोड़²⁷ की हानि उठाई।

लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि स्वतंत्र अभियंता शुल्क के बकाया की वसूली के मामले को एस्क्रो बैंक के साथ उठाया गया है। ब्याज की वसूली के संबंध में यह कहा गया कि स्वतंत्र अभियंता शुल्क पर ब्याज लेने के लिए रियायत अनुबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामलों में कम्पनी द्वारा स्वतंत्र अभियंता शुल्क की वसूली रियायतग्राही अथवा एस्क्रो खाते से अब तक (नवंबर 2017) नहीं की गई है। साथ ही रियायत अनुबंध का वाक्य 47.5 रियायतग्राहियों द्वारा सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज अधिरोपित करने के बारे में बहुत स्पष्ट है।

²⁷ ₹ 8.39 करोड़ का स्वतंत्र अभियंता शुल्क + देरी से हुए भुगतान पर ब्याज ₹ 4.01 करोड़।

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

3.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया जाना

स्वीकृत कार्यप्रणाली से विचलन करके महंगी बिजली के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ राशि का अतिरिक्त व्यय हुआ और मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) को इतना ही अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने निर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा में बिजली के क्रय के लिए विभिन्न बिजली आपूर्तिकर्ताओं²⁸ के साथ बिजली क्रय समझौते निष्पादित किये। मांग की तुलना में विभिन्न दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के स्रोतों²⁹ से पर्याप्त बिजली की उपलब्धता को देखते हुए कम्पनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने बिजली का क्रय मेरिट ऑर्डर डिस्पेच (एमओडी) पद्धति के अनुसार करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2014) जो कि सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके से बिजली के क्रय की सुविधा प्रदान करती है। कम्पनी के द्वारा अपनाई गई एमओडी पद्धति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य की परिधि में सभी दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के स्रोतों की बिजली की लागत का निर्धारण, स्थिर प्रकृति के व्ययों को छोड़कर किया गया है।

तदनुसार, प्रत्येक माह मूल्य³⁰ के अवरोही क्रम में एमओडी सूची तैयार की जाती है। जब तक कोई विपरीत कारण न हो, कम्पनी को उस स्रोत से बिजली का क्रय नहीं करना चाहिए जो कि एमओडी सूची में उच्च हो (आपूर्तिकर्ता महंगी बिजली की पेशकश कर रहा हो), जब तक एमओडी सूची में नीचे स्थान के अन्य स्रोत (आपूर्तिकर्ता सस्ती बिजली की पेशकश कर रहा हो) से बिजली उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यक) ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से सस्ती बिजली³¹ की उपलब्धता के बावजूद अधिक दर पर³² मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) से ₹ 74.57 करोड़ (₹ 30.00 करोड़ के स्थाई प्रभार सहित) के मूल्य पर 70.76 मिलियन यूनिट्स का क्रय किया (अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक)। मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यक) ने न तो बीओडी की मंजूरी अर्जित की और न ही बिजली खरीद हेतु सबसे व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके अपनाने के निदेशक मंडल के निर्णय से विचलन करने के लिए किसी भी औचित्य को दर्ज किया। परिणामस्वरूप, टीपीएल से अनुबंधित बिजली न खरीदने पर देय स्थाई प्रभार पर विचार करने के बाद भी ₹ 27.66 करोड़³³ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

²⁸ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, दामोदर वैली कार्पोरेशन, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (टोरेंट पावर लिमिटेड, बीएलए पावर, जेपी बीना, लैंको-अमरकंटक, एमबी पावर, एस्सार पावर इत्यादि), सासन पावर प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के बिजली संयंत्र।

²⁹ 'मध्यम अवधि बिजली क्रय समझौते' का अर्थ है कि एक वर्ष या अधिक अवधि किन्तु सात वर्ष से कम अवधि के लिए बिजली क्रय समझौता और 'दीर्घकालिक बिजली क्रय समझौते' का अर्थ है कि न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए बिजली क्रय समझौता।

³⁰ ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत, सेंट्रल ड्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) हानि, और जनरेटिंग स्टेशन से मध्य प्रदेश की परिधि में बिजली के परिवहन के लिए कर और डचूटी समिलित हैं

³¹ अप्रैल 2015 – ₹ 2.54 प्रति यूनिट, मई 2015 – ₹ 2.38 प्रति यूनिट, जून 2015 – ₹ 2.25 प्रति यूनिट और जुलाई 2015 – ₹ 2.37 प्रति यूनिट।

³² अप्रैल 2015 – ₹ 10.51 प्रति यूनिट की दर से 21.36 एमयू मई 2015 – ₹ 9.62 प्रति यूनिट की दर से 21.48 एमयू जून 2015 – ₹ 9.60 प्रति यूनिट कि दर से 20.16 एमयू और जुलाई 2015 – ₹ 15.60 प्रति यूनिट दर से 7.76 एमयू।

³³ अप्रैल से जुलाई 2015 के दौरान 70.76 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद के लिए टीपीएल को भुगतान की गई राशि: ₹ 74.57 करोड़ – (एनटीपीसी से खरीदे जाने पर भुगतान की जाने वाली राशि: ₹ 16.91 करोड़ + टीपीएल को देय निश्चित लागत: ₹ 30 करोड़)

ऊर्जा विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि टीपीएल को देय स्थाई प्रभार के अलावा टेक और पे (टॉप)³⁴ प्रभार की वित्तीय देयता से बचने के लिए बिजली क्रय की गई थी। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि कम्पनी ने टीपीएल से बिजली खरीदने का निर्णय लेने के समय टॉप प्रभार की देयता के प्रभाव का आंकलन नहीं किया था। इसके अलावा, अगर कम्पनी को टॉप प्रभार का भुगतान भी करना पड़ता तो उसका क्षतिपूरण मेक-अप गैस³⁵ के माध्यम से बाद की अवधि में किया जा सकता था और इस प्रकार टॉप प्रभार एक निश्चित देयता नहीं है।

ऊर्जा विभाग ने इसके साथ यह भी उत्तर दिया कि क्रय में सम्मिलित अतिरिक्त लागत अंततः टैरिफ संशोधन के माध्यम से पुनः प्राप्त की जाएगी और इसलिए कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है। यह उत्तर महंगी बिजली खरीदने के लिए तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महंगी बिजली का क्रय, कम्पनी की घोषित नीति के विपरीत है और अतिरिक्त क्रय लागत को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

3.7 दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय

जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ अनुबंध के निष्पादन में हुई देरी के परिणामस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974, के अनुसार किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए निजी/सरकारी संगठन को निर्धारित दरों पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जल की आपूर्ति की जा सकती है और जल का उपयोग करने के लिए एक अनुबंध किया जाएगा। इसके अलावा तय मात्रा से अधिक जल के उपयोग और जल के किसी भी अन्य अनधिकृत उपयोग के मामले में सामान्य दर के 1.5 गुने की दर से जल प्रभार देय होगा।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) की दो नव निर्मित इकाइयों³⁶ ने क्रमशः फरवरी 2014 और दिसंबर 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन (सीओडी) प्रारम्भ किया। सीओडी से पहले एसएसटीपीएस ने अपने परीक्षण चरण (अप्रैल 2013 से फरवरी 2014) के दौरान इंदिरा सागर जलाशय³⁷ से 3.89 लाख क्यू.मी. जल का उपयोग³⁸ कर लिया था।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) और ऊर्जा विभाग ने एमपीपीजीसीएल को अगस्त 2013 तक प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए अलग से जल आपूर्ति अनुबंध करने का निर्देश दिया था (जुलाई 2013)। निर्देश के अनुपालन में एमपीपीजीसीएल ने एसएसटीपीएस को छोड़कर सभी पावर स्टेशनों के लिए अनुबंध निष्पादित किये (दिसंबर 2013)।

³⁴ टीपीएल के गैस आपूर्ति अनुबंध के वाक्य 14.1 के अनुसार, टॉप प्रभार देयता, टीपीएल द्वारा गैस सप्लायर को भुगतान की जाने वाली राशि है, जो टीपीएल द्वारा अनुबंध के अनुसार उपयोग न की गई/न उठाई गई ईंधन की मात्रा के लिए है (वार्षिक औसत अनुबंधित मात्रा का कम से कम 90 प्रतिशत), जिसे बिजली क्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार टीपीएल द्वारा कम्पनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

³⁵ टीपीएल के गैस आपूर्ति अनुबंध के वाक्य 6.3 के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान किये गए (खरीदे गए) लेकिन उपयोग न किये ईंधन का क्रेडिट दिया जाता है और अनुबंध के कार्यकाल (31 मार्च 2028 तक) के दौरान बाद की खरीद में समायोजित किया जा सकता है, जिसे कि मेक-अप गैस के रूप में जाना जाता है।

³⁶ इकाई-1 और इकाई-2, प्रत्येक 600 मेगावॉट की क्षमता वाली

³⁷ जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रण में।

³⁸ डब्ल्यूआरडी द्वारा जल आवंटन (मई 2012) के आधार पर एमपीपीजीसीएल ने अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 तक द्रायल परीक्षण के दौरान 3.89 लाख क्यू.मी. जल का उपयोग किया था।

दिसंबर 2013 में एसएसटीपीएस के लिए अनुबंध नहीं करने के कारण, एमपीपीजीसीएल के परियोजना उत्पादन शाखा द्वारा जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि³⁹ जमा करने में हुई देरी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2017) कि जबकि एसएसटीपीएस ने अप्रैल 2013 से जल का उपभोग प्रारंभ कर दिया था, डब्ल्यूआरडी ने जल कर की गणना के लिए इकाई-1 की सीओडी (फरवरी 2014) को ही वास्तविक जल उपभोग प्रारंभ करने की तिथि मानने के लिए सहमति व्यक्त की (जनवरी 2015) और अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 के दौरान जल की वास्तविक खपत के लिए ₹ 5.50 प्रति क्यू.मी. की साधारण दर लगाई। यद्यपि, एसएसटीपीएस द्वारा इकाई-1 की सीओडी की तारीख से 12 माह के विलम्ब के बाद जल की आवंटित मात्रा के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया (फरवरी 2015)। विलम्ब के कारण, संचालन एवं संधारण (हाइडल) शाखा के अधिकारियों द्वारा अप्रैल 2013 से बकाया जल प्रभार का समय पर भुगतान करने की पहल में कमी और अनुबंध प्रोफोर्मा में आगामी इकाइयों⁴⁰ की सीओडी भरने में की गई देरी थी क्योंकि डब्ल्यूआरडी ने एसएसटीपीएस की सभी इकाइयों के लिए एकल अनुबंध के लिए जोर दिया था।

समझौते की अनुपस्थिति में, डब्ल्यूआरडी ने फरवरी 2014 से जनवरी 2015 के दौरान किये गए जल के उपभोग⁴¹ को अनधिकृत माना और ₹ 31.45 करोड़ की मॉग की (दिसंबर 2015) जिसमें ₹ 6.70 करोड़ का शास्ति प्रभार सम्मिलित था (₹ 5.50 प्रति क्यू.मी. की सामान्य दर के मुकाबले ₹ 8.25 प्रति क्यू.मी. की दर से) और एमपीपीजीसीएल ने अगस्त 2016 में इसका भुगतान कर दिया।

इस प्रकार एमपीपीजीसीएल द्वारा जल उपभोग समझौता निष्पादित करने में हुई देरी से ₹ 6.70 करोड़ की शास्ति का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

ऊर्जा विभाग ने कहा (फरवरी 2018) कि अनुबंध के निष्पादन में देरी प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण हुई थी जैसे कि इकाई-3 और इकाई-4 के लिए स्थापना तिथियों का संग्रह जिनकी अनुबंध प्रोफार्मा में भरे जाने की आवश्यकता थी, प्रारूप अनुबंध की पुष्टि, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की प्राधिकृति और अनुबंध के निष्पादन की अन्य औपचारिकताएं। एमपीपीजीसीएल ने यह भी दावा किया कि शास्ति शुल्क की माफी से संबंधित प्रकरण अभी भी डब्ल्यूआरडी के साथ पत्राचाराधीन था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध निष्पादित करने में हुई देरी के कारण एमपीपीजीसीएल द्वारा जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि जमा करने में देरी, बकाया जल प्रभारों का भुगतान करने में देरी और जल का उपभोग करने से पहले अनुबंध निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करने में विफलता थे। इसके अलावा इकाई-3 और इकाई-4 की नियत स्थापना तिथियाँ कम्पनी के पास पहले से उपलब्ध थीं, इसलिए इस कारण से देरी उचित नहीं थी। साथ ही, मई 2016 में डब्ल्यूआरडी द्वारा शास्ति शुल्क की माफी सम्बन्धी एमपीपीजीसीएल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और एमपीपीजीसीएल ने पहले ही पूरा भुगतान कर दिया था।

³⁹ डब्ल्यूआरडी द्वारा संशोधित जल आवंटन के कारण कम्पनी को ₹ 10.40 करोड़ का जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि जमा करने की आवश्यकता थी।

⁴⁰ 660 मेगावॉट की क्षमता वाली इकाई-3 और इकाई-4 जो की निर्माणाधीन थी, उनकी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की नियत दिनांक क्रमशः मार्च 2018 और जुलाई 2018 थी।

⁴¹ 54,22,817 क्यू.मी.

3.8 जल प्रभार का परिहार्य व्यय

दो पावर स्टेशन इकाइयों के बंद होने के पश्चात जल की अनुबंधित मात्रा कम करने की कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चर्चाई (एटीपीएस) जिसकी क्षमता 450 मेगावाट⁴² की है, का स्वामित्व और संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (एमपीपीजीसीएल) द्वारा किया जाता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)⁴³ ने 450 मेगावॉट वाले थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रति दिन 43,200 क्यूबिक मीटर (क्यूमी) जल की मात्रा के मानदंड की सिफारिश की थी (जनवरी 2012)। हालांकि, प्रबंध संचालक ने सीईए की सिफारिशों पर विचार किए बिना एटीपीएस के लिए प्रति दिन 61,167 क्यू मी. जल (अनुबंधित मात्रा) की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग (एमपीडब्ल्यूआरडी) के साथ जल आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किया (दिसंबर 2013)। प्रति दिन 17,967 क्यू मी. की अधिक मात्रा के लिए जल आपूर्ति समझौते को निष्पादित करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

यह अनुबंध, मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 और मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974⁴⁴ के प्रावधानों के अधीन था और अनुबंध की तारीख से 30 साल की अवधि के लिए वैध था। वास्तविक खपत के अनुसार, न्यूनतम अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत के जल प्रभार देयक, एमपीडब्ल्यूआरडी द्वारा मासिक आधार पर जारी किये जाते हैं। मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 की धारा 85 के अनुसार, एमपीडब्ल्यूआरडी और एमपीपीजीसीएल की आपसी सहमति से अनुबंध को परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2017) कि एटीपीएस की तीन में से दो इकाइयाँ (इकाई-2 और इकाई-1) क्रमशः मई 2014 और जनवरी 2015 में बंद हो गई थीं, जिसका अनुमोदन⁴⁵ सीईए ने मार्च 2016 में किया था। इकाइयों के बंद होने के फलस्वरूप, एटीपीएस की कुल क्षमता 53 प्रतिशत⁴⁶ से कम हो गई थी और मात्र एक इकाई (210 मेगावॉट) ही कार्यरत थी। परिणामस्वरूप जल की आवश्यकता भी कम हो गई थी। जबकि, आगामी इकाई (660 मेगावॉट क्षमता वाली, जिसकी स्थापना 2024–25 में प्रस्तावित थी) के लिए जल की आवश्यकता बताते हुए जल आपूर्ति अनुबंध की अनुबंधित मात्रा नहीं घटाई गई (दिसम्बर 2017)।

अतः एमपीपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिना किसी लिखित कारण के सीईए द्वारा निर्धारित मानदंड से अधिक मात्रा के जल के लिये अनुबंध निष्पादित किया। इसके अलावा, मार्च 2016 में पावर स्टेशन इकाइयों के विघटन के लिए सीईए की मंजूरी के बाद भी, एमपीपीजीसीएल आनुपातिक रूप से जल की अनुबंधित मात्रा को कम करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, एमपीपीजीसीएल ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.66 करोड़⁴⁷ का परिहार्य व्यय किया।

⁴² इकाई -1 (120 मेगावॉट), इकाई -2 (120 मेगावॉट) और इकाई -3 (210 मेगावॉट)।

⁴³ सीईए बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नियामक आयोगों को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के तहत) है।

⁴⁴ मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 बनाया।

⁴⁵ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (एम) के अनुसार, एमपीपीजीसीएल को एटीपीएस की इकाइयों को बंद करने के लिए सीईए से संपर्क करने की आवश्यकता थी।

⁴⁶ एटीपीएस की क्षमता 240 मेगावॉट कम हो गई अर्थात् 450 मेगावॉट से 210 मेगावॉट।

⁴⁷ अतिरिक्त अनुबंधित मात्रा का 90 प्रतिशत अर्थात् 1,07,16,474 क्यूमी. x समझौते के अनुसार जल की दर ₹ 1.55 प्रति क्यू मी.

ऊर्जा विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि उसने बंद हुई इकाइयों के स्थान पर नई इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है और इसलिए इस समय जल आवंटन त्याग देना उचित नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एटीपीएस में नई इकाई के निर्माण के लिए डीपीआर निर्माणाधीन है (फरवरी 2018) और एमपीपीजीसीएल ने स्वयं ही इसकी स्थापना तिथि 2024–25 में होने का अनुमान लगाया है। नई इकाई के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने और उसके द्वारा जल का उपभोग करने के लिए काफी समय बाकी होने के बावजूद, जल की अप्रयुक्त मात्रा के लिए भुगतान जारी रखना उचित नहीं है।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

3.9 आयकर का परिहार्य भुगतान

शासन से आवश्यकता से अधिक ₹ 5.00 करोड़ के संधारण अनुदान के आहरण के कारण ₹ 1.63 करोड़ के अतिरिक्त आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। चूंकि कम्पनी की अपनी कोई विशेष संचालन आय नहीं थी, कम्पनी के प्रस्ताव (अप्रैल 2012) के आधार पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी)⁴⁸, मध्यप्रदेश शासन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए कम्पनी को संधारण अनुदान के रूप में ₹ 10 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी (फरवरी 2014)। तदनुसार, कम्पनी ने अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013–14 से 2016–17 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 2.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2016) कि अनुदान के लिए कम्पनी का प्रस्ताव केवल संचालन से आय पर आधारित था और उसमें अन्य स्त्रोत से आय पर ध्यान नहीं दिया गया था। अनुदान मांगने के औचित्य के संबंध में ईएफसी द्वारा पूछताछ (मई 2012) के उत्तर में कम्पनी ने स्पष्ट किया था (जुलाई 2012) कि नियमित आय की अनुपस्थिति में, कम्पनी पिछले वर्षों की संचित निधि और उस पर ब्याज की आय पर निर्भर है, जो कि साल दर साल कम्पनी की गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि के कारण कम होती जा रही है। कम्पनी का स्पष्टीकरण सही नहीं था क्योंकि कम्पनी की संचित निधि वास्तव में बढ़ रही थी⁴⁹ और वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान ब्याज और अन्य स्रोतों की आय उसके प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की ओर से संधारण अनुदान के बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि तालिका क्र. 3.3 में विस्तृत है।

⁴⁸ ईएफसी पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए किसी नई योजना/ परियोजना के तहत व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। ईएफसी का नेतृत्व प्रधान सचिव (वित्त) करते हैं और इसमें प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव, सचिव (वित्त) और सदस्य सचिव (राज्य योजना आयोग) सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं।

⁴⁹ कम्पनी की संचित निधि (संचय और आधिकर्य) 2011–2012 के अंत में ₹ 8.14 करोड़ से बढ़कर 2013–2014 के अंत में ₹ 12.15 करोड़ हो गयी।

तालिका संख्या 3.3			
(₹ करोड़ में)			
वित्तीय वर्ष	2013–14	2014–15	योग
क) संचालन से आय	0.12	0.11	0.23
ख) ब्याज से आय	3.12	2.17	5.29
ग) अन्य स्त्रोतों से आय (संधारण अनुदान के अतिरिक्त)	0.79	0.84	1.63
घ) = (क+ख+ग)	4.03	3.12	7.15
ङ) प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान	2.50	2.50	5.00
च) कुल राजस्व (घ+ङ)	6.53	5.62	12.15
छ) प्रशासनिक व्यय	2.21	2.90	5.11
ज) लाभ (च-छ)	4.32	2.72	7.04
झ) आयकर विवरणी के अनुसार आय	4.37 ⁵⁰	2.72	7.09
ज) प्रशासनिक अनुदान घटाने के बाद आयकर विवरणी के अनुसार आय = (झ) – ₹ 2.50 करोड़	1.87	0.22	2.09

इस प्रकार सरकारी अनुदानों का आवश्यकता से अधिक आहरण के कारण कम्पनी ने वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान ₹ 5.00 करोड़ का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.63 करोड़⁵¹ के अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा।

कम्पनी ने उत्तर दिया (जून 2017) कि संचित निधि के निवेश से होने वाली आय को कम्पनी की दैनिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए धन के स्त्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश शासन से संधारण अनुदान की मांग की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचित निधि पर ब्याज की आय भी कम्पनी की आय का भाग है, जो कि उसके प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

प्रकरण मई 2017 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.10 कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली

कम्पनी ने ठेकेदारों से ₹ 1.44 करोड़ राशि के कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली की और मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल को देय ब्याज और शास्ति का वहन किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3(1) के अनुसार कम्पनी को एक नियोक्ता की तरह ठेकेदारों द्वारा किये गए कम्पनी के निर्माण कार्यों की कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत के समतुल्य, कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती करनी थी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस नियम, 1998 (उपकर नियम) के नियम 5(3) के अनुसार उपकर एकत्रित होने के 30 दिन के अन्दर, उपकर की राशि को मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बोर्ड) में जमा किया जाना चाहिए। इसके आलावा, उपकर नियम के

⁵⁰ आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ₹ 0.05 करोड़ के व्यय की अस्वीकृति के कारण आयकर विवरणी के अनुसार कर योग्य आय कम्पनी के लाभ से अधिक है।

⁵¹ ₹ 5.00 करोड़ x 30 प्रतिशत आयकर + कर पर 5.00 प्रतिशत अधिभार + 3.00 प्रतिशत सेस।

नियम 8 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर बोर्ड को उपकर की किसी भी राशि का भुगतान करने की विफलता की दशा में, प्रत्येक माह या उसके किसी भाग की देरी के लिए बकाया राशि पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। नियम 9 के अनुसार बकाया उपकर की राशि के बराबर तक शास्ति लगाने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की रुरल प्रोजेक्ट शाखा ने फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ठेकेदारों को 21 निर्माण कार्य प्रदान किये (दिसम्बर 2010 से नवम्बर 2012 तक)। जिसमें से ठेकेदार के खराब निष्पादन के कारण 14 ठेके अप्रैल 2012 और जून 2015 के मध्य रद्द किये गये। कम्पनी और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को नगर निगम, राज्य या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आंकित किए गए सभी कर, ड्यूटी, लेवी और प्रभारों का वहन करना था। तदनुसार, मुख्य वित्तीय अधिकारी की अध्यक्षता में कम्पनी की वित्त शाखा को रद्द हुए कार्यों⁵² के ठेकेदारों से ₹ 1.72 करोड़⁵³ के श्रम कल्याण उपकर की वसूली करनी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी की वित्त शाखा ने ₹ 1.44 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुये केवल ₹ 0.28 करोड़⁵⁴ ही वसूल किये थे। इसके अलावा, चूंकि कम्पनी ने बकाया राशि (₹ 1.44 करोड़) का भुगतान बोर्ड को नहीं किया, अतः नियम 8 के तहत ब्याज (₹ 0.94 करोड़) के साथ साथ नियम 9 के तहत शास्ति (₹ 1.44 करोड़) के भुगतान का दायित्व भी कम्पनी पर रहा।

ऊर्जा विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कम्पनी ने रद्द हुए कार्यों के ठेकेदारों से शेष उपकर की राशि वसूलने के लिए पहल की है और राशि प्राप्त होने पर तत्काल बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी दो से पांच वर्ष उपरान्त भी ठेकेदारों से बकाया राशि वसूलने में असफल रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि, लेखापरीक्षा ने दो बिजली क्षेत्र के उपक्रमों⁵⁵ के संबंध में पिछले वर्षों में कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली के मामलों को प्रतिवेदित किया था। हालांकि, एक⁵⁶ उपक्रम ने बाद में ठेकेदारों से पूर्ण राशि की वसूली कर ली है, परन्तु कर्मकार कल्याण उपकर की कम/न वसूली के बार बार होने वाले मामलों से संकेत मिलता है कि सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रही है।

3.11 सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ब्याज आय की हानि

कम्पनी ने कॉरपोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) सुविधा का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.79 करोड़ ब्याज की आय की हानि हुई।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली वितरण का व्यवसाय करती है।

कम्पनी 31 मार्च 2016 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), भोपाल के साथ 12 चालू खातों का संचालन कर रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक मूल्य वर्धित

⁵² कुल सात चल रहे अनुबंधों में से, चार अनुबंधों में कर्मकार कल्याण उपकर वसूल किया गया था और शेष तीन अनुबंधों में कर्मकार कल्याण उपकर नगण्य था (₹ 0.04 करोड़)।

⁵³ 146.55 करोड़ मूल्य के आपूर्ति हिस्से पर ₹ 1.47 करोड़ और ₹ 25.44 करोड़ मूल्य के निर्माण हिस्से पर ₹ 0.25 करोड़

⁵⁴ आपूर्ति हिस्से पर ₹ 0.03 करोड़ और निर्माण हिस्से पर ₹ 0.25 करोड़

⁵⁵ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 49.39 लाख की कम वसूली) वर्ष 2014–15 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मध्य प्रदेश शासन—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) में सम्मिलित और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 5.93 करोड़ की कम वसूली) वर्ष 2015–16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मध्य प्रदेश शासन—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) में सम्मिलित।

⁵⁶ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

सेवा की पेशकश कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को अपने चालू खाते के अतिरिक्त धन को कॉरपोरेट लिकिड टर्म डिपॉजिट योजना (सीएलटीडी) के माध्यम से लाभदायक तरीके से निवेश करने की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चालू खाते में ₹ 50,000 की सीमा से अधिक की राशि स्वतः सीएलटीडी में स्थानांतरित हो जाती है, जिस पर सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2016) कि कम्पनी अपने इन सभी 12 चालू खातों के लिए सीएलटीडी सुविधा का लाभ लेने में विफल रही। इन खातों में कम्पनी ने 2014–16 की अवधि के दौरान, प्रत्येक पखवाड़े में ₹ 194.35 करोड़ तक का न्यूनतम धन बनाए रखा था जिससे ₹ 9.79 करोड़ की ब्याज आय नहीं मिल पाई। कम्पनी सीएलटीडी सुविधा का लाभ लेने में विफल रही और लेखापरीक्षा द्वारा चूक बताये जाने के बाद ही कम्पनी ने अप्रैल 2016 से सीएलटीडी सुविधा का लाभ उठाया।

ऊर्जा विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017)।

(भवानी शंकर)

भोपाल

दिनांक: 18 अगस्त 2018

महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महाजन)

नई दिल्ली

दिनांक: 23 अगस्त 2018

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को अद्यतन अंशपूँजी तथा बकाया ऋण का विवरण

(कंडिकारैं 1.1 एवं 1.15 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्यै	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य॒	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
ए. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
कृषि तथा संबंध										
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2.09	1.20	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	37.93	1.39	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		40.02	2.59	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्त										
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	83.85	83.85	0.01
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	0.00	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	0.00	0.00	1.80	1.80	1.09	0.00	1.12	2.21	0.00
7	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	29.14	29.14	0.00
8	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	20.25	20.25	24.27
9	म. प्र. प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कारापोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00
10	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	0.00	0.00	5.50	5.50	10.49	0.00	14.15	24.64	0.00
11	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	0.00	0.00	10.75	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00
12	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25.50	10.68	0.00	36.18	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00
13	दी प्रोविडेन्ट इचेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	0.00	0.00	81.09	217.65	0.00	20.26	237.91	0.00
15	म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड	0.26	0.00	0.05	0.31	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
16	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		118.11	10.68	29.93	158.72	230.31	0.00	185.78	416.09	59.82

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^४	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^५	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
आधार संरचना										
17	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	4.58	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	577.86	577.86	577.86
18	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
23	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		60.63	0.00	353.81	414.44	0.00	0.00	578.32	578.32	577.86
निर्माण										
27	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	0.00	0.00	21.91	17.12	0.00	0.00	17.12	0.00
29	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	4.69	4.69	0.00
30	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0.02	0.52	0.72	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	म.प्र. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	0.00	0.00	61.22	61.22	0.00	0.00	112.41	112.41	0.00
क्षेत्रानुसार योग		24.13	0.52	74.16	98.81	17.12	0.00	117.10	134.22	0.00
ऊर्जा										
34	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्यै	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्यॉ	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
35	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2,712.70	0.00	0.00	2,712.70	1,952.28	0.00	394.44	2,346.72	12.01
36	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	3,322.43	3,322.43	11,462.43	0.00	360.34	11,822.77	90.27
37	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	3,049.43	3,049.43	9,715.69	0.00	175.29	9,890.98	64.44
38	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	3,601.35	3,601.35	10,353.09	0.00	1265.82	11,618.91	97.16
39	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	5,766.26	0.00	185.00	5,951.26	902.20	0.00	13,515.27	14,417.47	1,707.76
40	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	6,074.12	0.00	0.00	6,074.12	21.67	0.00	479.79	501.46	0.00
41	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	4.09	4.09	0.00
42	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	5.48	5.48	0.00
43	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		14,553.77	0.00	10,158.36	24,712.13	34,407.36	0.00	16,202.22	50,609.58	1,971.64
सेवाएं										
44	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फॉसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.80	0.00	0.00	0.80	1,416.98	0.00	0.25	1,417.23	0.00
45	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2.68	0.15	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.47	0.00	0.00	8.47	87.05	0.00	0.00	87.05	0.00
47	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	0.00	0.00	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	म.प्र. प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	डीएमआईसी पौथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		101.92	0.15	161.25	263.32	1,504.03	0.00	0.25	1,504.28	0.00
योग (ए) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ		14,898.58	13.94	10,777.51	25,690.03	36,158.82	0.00	17,083.67	53,242.49	2,609.32

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^E	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^G	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
बी. कार्यशील सांविधिक निगम										
कृषि एवं संबद्ध										
1	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	4.28	0.00	3.78	8.06	263.58	0.00	0.00	263.58	0.00
क्षेत्रानुसार योग		4.28	0.00	3.78	8.06	263.58	0.00	0.00	263.58	0.00
वित्त										
2	म.प्र. वित्त निगम	358.70	0.00	22.40	381.10	0.00	0.00	953.80	953.80	1100.00
क्षेत्रानुसार योग		358.70	0.00	22.40	381.10	0.00	0.00	953.80	953.80	1100.00
योग (बी) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम		362.98	0.00	26.18	389.16	263.58	0.00	953.80	1217.38	1100.00
महायोग (ए+बी)		15,261.56	13.94	10,803.69	26,079.19	36,422.40	0.00	18,037.47	54,459.87	3,042.09
सी. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
वित्त										
1	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आधार संरचना										
3	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निर्माण										
4	ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड	0.00	0.00	23.97	23.97	17.12	0.00	0.00	17.12	0.00
5	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	6.86	0.00	0.00	6.86	86.71	0.00	0.96	87.67	0.00

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्यै	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य॒	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
6	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	क्रिस्टल आई. टी. पार्क (इन्डौर) लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	म.प्र. एएमआरएल (सेमरिया) कोल कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	म.प्र. एएमआरएल (मोरगा) कोल कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	म.प्र. एएमआरएल (बिछारपुर) कोल कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	म.प्र. एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	म.प्र. जोपी कोल लिमिटेड	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	म.प्र. मोनेट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	म.प्र. जोपी कोल फील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	म.प्र. सैनिक कोल माइनिंग प्रा. लिमिटेड	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
क्षेत्रानुसार योग		6.86	0.00	84.82	91.68	103.83	0.00	1.60	105.43	0.00
ऊर्जा										
16	दादाधुनी वाले खण्डवा पावर लिमिटेड	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाएं										
17	सेज इन्डौर लिमिटेड	12.00	0.00	14.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रानुसार योग		12.00	0.00	14.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (सी) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ		25.06	0.00	144.79	169.85	103.83	0.00	1.60	105.43	0.00
महायोग (ए+बी+सी)		15,286.62	13.94	10,948.48	26,249.04	36,526.23	0.00	18,039.07	54,565.30	3,709.32

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	अंशपूँजी\$				बकाया ऋण				प्रत्याभूतियाँ
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^६	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य ^७	योग	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5
डी. अकार्यशील सांविधिक निगम										
सेवाएँ										
1	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	109.96	31.85	0.00	141.81	573.35	0.00	0.00	573.35	0.00
क्षेत्रानुसार योग		109.96	31.85	0.00	141.81	573.35	0.00	0.00	573.35	0.00
योग (डी) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सांविधिक निगम		109.96	31.85	0.00	141.81	573.35	0.00	0.00	573.35	0.00
योग (सी+डी) अकार्यशील कम्पनी/सांविधिक निगम		135.02	31.85	144.79	311.66	677.18	0.00	1.60	678.78	0.00
महायोग (ए+बी+सी+डी)		15,396.58	45.79	10,948.48	26,390.85	37,099.58	0.00	18,039.07	55,138.65	3,709.32

\$ अंश आवेदन राशि जिसका आवंटन नहीं हुआ, सम्मिलित है।

₹ धारक कम्पनी की अंशपूँजी सम्मिलित है।

© वित्तीय संस्थान (एडीबी/सिडबी/आरईसी, आदि) और सार्वजनिक उपक्रम सम्मिलित है।

नोट :

कम्पनी क्र. ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए10 एवं ए48; क्र. ए44 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए27, ए50, सी17 एवं सी17; क्र. ए4 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए49; क्र. ए3 की सहायक कम्पनी है।

कम्पनी क्र. ए36, ए37, ए38, ए41 एवं ए42; क्र. ए40 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए43 एवं सी16; क्र. ए39 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए9; क्र. ए48 की सहायक कम्पनी है।

कम्पनी क्र. ए31; क्र. ए45 की सहायक कम्पनी है।

कम्पनी क्र. ए33, सी8, सी9, सी10, सी11, सी12, सी13, सी14 एवं सी15; क्र. ए32 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए29 एवं ए30; क्र. ए28 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

कम्पनी क्र. ए21 एवं ए24; क्र. ए25 की सहायक कम्पनियाँ हैं।

परिशिष्ट – 1.2

31 दिसम्बर 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जिनके लेखें तीन वर्ष से अधिक बकाया नहीं हैं) की सांराशित वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम

(कंडिका 1.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	निवल लाभ / हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
क. लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ				
कार्यशील कम्पनियाँ				
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015-16	39.12	1,305.22
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	63.05	82.16
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2016-17	0.10	0.06
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2016-17	0.31	2.34
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2015-16	0.71	1.36
6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.68	1.07
7	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	9.51	27.12
8	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	53.44	94.08
9	इन्डौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.34	0.10
10	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर	2016-17	0.52	6.95
11	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2015-16	14.17	56.34
12	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	91.81	296.39
13	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	22.23	2,658.62
14	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	24.83	7,817.66
15	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	0.40	0.13
16	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	16.31	218.50
17	म.प्र. स्टेट सिविल सफ्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	0.65	18,742.98
18	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	5.92	110.08
19	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2016-17	1.36	0.00
20	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2016-17	1.34	0.00
21	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	4.39	6.78
22	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन	2016-17	35.41	167.86
23	म.प्र. वित्त निगम	2016-17	9.16	134.35
24	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	29.89
25	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.26	0.00
26	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2014-15	1.62	5.84
27	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.00 ¹	0.00
28	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00 ²	0.00
योग			397.73	31,765.88

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	निवल लाभ/हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
अकार्यशील कम्पनियाँ				
29	म.प्र. जेपी कोल फिल्ड्स लिमिटेड	2016-17	0.01	0.00
योग			0.01	0.00
योग (लाभ अर्जित करने कम्पनियाँ)			397.74	31,765.88
ख. हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ				
कार्यशील कम्पनियाँ				
1	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2015-16	-0.07	0.45
2	म. प्र. प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	2016-17	-0.05	0.00
3	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-0.64	0.00
4	म.प्र. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2016-17	-2.42	36.93
5	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-1,616.91	7,159.91
6	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-1,207.01	9,333.64
7	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-2,766.08	5,974.43
8	बाणसगर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-0.13	0.00
9	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2016-17	0.00 ³	0.00
योग			-5,593.31	22,505.36
अकार्यशील कम्पनियाँ				
10	म.प्र. एएमआरएल (सेमरिया) कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	-0.04	0.00
11	म.प्र. एएमआरएल (मोरगा) कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	-0.01	0.00
12	म.प्र. एएमआरएल (बिछारपुर) कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	-0.15	0.00
13	म.प्र. एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	-0.02	0.00
14	म.प्र. जेपी कोल लिमिटेड	2016-17	-28.86	0.00
15	म.प्र. मोनेट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	-0.05	0.00
16	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2016-17	-0.02	0.00
17	सेज इन्डौर लिमिटेड	2016-17	-0.01	0.00
18	दादाधुनी वाले खण्डवा पावर लिमिटेड	2016-17	-3.05	0.00
19	फ्रिस्टल आईटी पार्क (इन्डौर) लिमिटेड	2016-17	0.00 ⁴	0.00
योग			-32.21	0.00
योग (हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ)			-5,625.52	22,505.36
ग. न लाभ न हानि अर्जित करने वाली कम्पनियाँ				
कार्यशील कम्पनियाँ				
1	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्डौर) लिमिटेड	2016-17	0.00	136.14
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2016-17	0.00	13.43
3	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड	2016-17	0.00	0.19
4	म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00
5	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00
6	जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00
7	भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	निवल लाभ / हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
8	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	2.04
9	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.00	23,165.13
योग			0.00	23,316.93
अकार्यशील कम्पनियाँ				
-			-	-
योग (न लाभ न हानि अर्जित करने वाली कम्पनियाँ)			0.00	23,316.93
महायोग			-5,227.79	77,588.17

¹ शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड ने ₹ 41,506.00 का लाभ अर्जित किया।

² मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 19,200.00 का लाभ अर्जित किया।

³ श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ₹ 17,457.00 की हानि वहन की।

⁴ क्रिस्टल आईटी पार्क (इन्डौर) लिमिटेड ने ₹ 37,000.00 की हानि वहन की।

परिशिष्ट – 1.3**31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील व अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की बकाया स्थिति**

(कंडिका 1.9 में संदर्भित)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जिनके लेखों बकाया है	बकाया लेखों की संख्या
1	2	3	4
क. कार्यशील कम्पनियाँ			
1 वर्ष			
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2016-17	1
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2016-17	1
4	म.प्र. वेन्चर फायर्नेस लिमिटेड	2016-17	1
5	म.प्र. वेन्चर फायर्नेस ड्रस्टी लिमिटेड	2016-17	1
6	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
7	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
8	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
9	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
10	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
11	म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
12	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
13	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
14	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
15	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
16	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
17	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
18	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
19	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
20	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
21	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
	योग		21

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जिनके लेखों बकाया है	बकाया लेखों की संख्या
1	2	3	4
2-5 वर्ष			
22	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
23	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
24	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
25	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
26	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2015-16 एवं 2016-17	2
27	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
	योग		13
5 वर्ष से अधिक			
28	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
29	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05 से 2016-17	13
	योग		20
योग (क)			54
ख. अकार्यशील कम्पनियाँ (परिसमापनाधीन के अलावा)			
1 वर्ष			
-	-	-	-
2-5 वर्ष			
-	-	-	-
5 वर्ष से अधिक			
1	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
2	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
योग (ख)			33
ग. अकार्यशील सांविधिक निगम			
5 वर्ष से अधिक			
3	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2008-09 से 2016-17	9
योग (ग)			9

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जिनके लेखों बकाया है	बकाया लेखों की संख्या
1	2	3	4
घ. अकार्यशील कम्पनियाँ (परिसमापन के अधीन)			
4	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
5	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2016-17	11
6	ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
7	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
योग (घ)			52
महायोग (क+ख+ग+घ)			148

परिशिष्ट – 1.4 (अ)

मध्य प्रदेश के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों के नाम (कांडिका 1.9 में सदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	डॉ राजेश राजौरा श्री एस के मिश्रा श्री अशोक बर्णवाल श्री रामकिशन चौहान श्री सत्यानंद श्री दिनेश कुमार द्विवेदी श्री जे जे आर नरवरे	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग प्रबंध निदेशक, एमपी एग्रो प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी अध्यक्ष, एमपी एग्रो निदेशक, उद्यानिकी उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग निदेशक	श्री एस के मिश्रा	नहीं
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2016-17	श्री डी पी आहूजा श्री वी एल कांताराव श्री पी के सिंह श्री सी एस धुर्वे	प्रबंध निदेशक, एम.पी.ट्राइफेक्ट उद्योग आयुक्त संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेख्ये प्रबंध निदेशक, एकोवीएन (रीवा)	श्री सी एस धुर्वे	नहीं
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2016-17	श्री वी एल कांताराव श्री भारत कुमार श्री सत्येंद्र सिंह	निदेशक, उद्योग आयुक्त संयुक्त निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री सत्येंद्र सिंह	नहीं
4	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री प्रदीप पटेल श्री एस के मुद्दीन श्रीमति उर्मिला मिश्रा श्री टी डी पटेल श्री जफर इक़बाल सिद्दीकी श्री राकेश अग्रवाल श्री आशीष उपाध्याय श्री दास	अध्यक्ष उपाध्यक्ष निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) निदेशक निदेशक निदेशक	श्री टी डी पटेल	नहीं
5	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री देवेंद्र सिंघई श्रीमति वीना घानेकर श्री एस एन सिंह चौहान श्री नारायण सिंह श्री सजय वार्षने श्री अजय शुक्ला श्री वी एस भाटी जी एम श्री वी जी घुटके	निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्रीमति रेनू तिवारी	नहीं
6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री जयंत मलैया श्री ए पी श्रीवास्तव श्री अनिरुद्ध मुख्यर्जी	वित्त मंत्री, म.प्र. शासन, अध्यक्ष एवं सह निदेशक अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री अनिरुद्ध मुख्यर्जी	नहीं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
			श्री एस एन कुलकर्णी श्री. धीरज शाह श्री मिलिंद वाईकर	निदेशक निदेशक निदेशक		
7	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री राजेंद्र शुक्ला श्री मुहम्मद सुलेमान श्री वी एल कांताराव श्री अनिरुद्ध मुख्यर्जी श्री डी पी आहूजा	अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री डीपी आहूजा	नहीं
8	म.प्र. वैचर फाइनेंस लिमिटेड	2016-17	श्री ए पी श्रीवास्तव श्रीमति स्मिता भारद्वाज डॉ. संदीप कडवे	निदेशक, अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन निदेशक प्रबंध निदेशक – सीईओ	डॉ. संदीप कडवे	नहीं
9	म.प्र. वैचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2016-17	श्री ए पी श्रीवास्तव श्रीमति स्मिता भारद्वाज डॉ. संदीप कडवे	नदेशक – अध्यक्ष – अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन निदेशक – प्रबंध निदेशक, एमपीफसी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एमपीवीएफएल	डॉ. संदीप कडवे	नहीं
10	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री सबरजीत सिंह श्री संजय राणा श्री पी के जैन श्री डी पी गुप्ता श्री वी टी सुब्रमनियम श्री संदीप यादव श्री मिलिंद वाईकर श्री ऋषि कुमार शुक्ला श्री आशीष सक्सेना श्री एस लाल श्री नितेश व्यास श्री गुलशन बामरा	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री संजय राणा	नहीं
11	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री आलोक शर्मा श्रीमति मालिनी गौर श्री अन्धोनी डी सा श्री के के सिंह श्री मलय श्रीवास्तव श्री संदीप यादव श्री विवेक अग्रवाल श्री इंद्र चंद्र प्रसाद केशरी श्री प्रमोद अग्रवाल श्री गुलशन बामरा	अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री विवेक अग्रवाल	नहीं
12	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लिमिटेड	2016-17	श्री संकेत शांताराम भोडवे श्री आशीष सिंह	अध्यक्ष निदेशक		नहीं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
			श्री जीतेन्द्र कुमार दुबे श्री नीलेश दुबे श्री दीपक रानावत श्री संजय मिश्रा श्री अभिषेक दुबे सुश्री रचना कुमार श्री संजय मोहासे श्री एस एल करवडहिया श्रीमति राजश्री जोशी	निदेशक नामांकित निदेशक निदेशक नामांकित निदेशक निदेशक नामांकित निदेशक निदेशक निदेशक नामांकित निदेशक		
13	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड	2016-17	श्री संजय गोयल श्री अनय मंगलाम्बर द्विवेदी श्रीमति मंजु शर्मा	निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक	श्रीमति मंजु शर्मा	नहीं
14	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड	2016-17	श्री महेश चंद्र चौधरी श्री वेद प्रकाश शर्मा श्री जे के कपूर श्री नीरज आनंद लिखर श्री प्रभाकांत कटारे श्री विकास मिश्रा सुश्री निधि सिंह राजपूत	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री वेद प्रकाश शर्मा	नहीं
15	म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री अन्धोनी डी सा श्री राधेश्याम जुलानिया श्री पंकज अग्रवाल श्री विवेक अग्रवाल श्रीमति अरुणा शर्मा श्री प्रमोद अग्रवाल श्री अधिनी कुमार राय श्री मलय श्रीवास्तव	मा. मुख्य मंत्री म.प्र. एवं अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री विवेक अग्रवाल	नहीं
16	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री भूपेंद्र सिंह श्री उमाशंकर गुप्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला श्री मुहम्मद सुलेमान श्री वी एल कांताराव श्री डी पी आहूजा श्री अनिलदेव मुख्यर्जी श्री मनीष रस्तोगी श्री एम सेलवेन्द्रन श्री चंद्रकांत पाटिल श्री वीरेन्द्र कुमार श्री रघुराज एम आर	अध्यक्ष अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री रघुराज एम आर	नहीं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
17	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री नारायण प्रसाद कबीरपत्ती श्री शक्ति सरन श्री नागेंद्र मेहता श्री सत्यानंद श्री वी एल कांताराव श्री पिण्डूष माथुर श्री बी एम सिंह श्री राकेश तिवारी श्रीमति जी वी रश्मी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव श्री एस बी सिंह	अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक	श्रीमति जी वी रश्मी	नहीं
18	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री संजय कुमार शुक्ला श्री मुकेश चाद गुप्ता श्री यशवंत कुमार डॉ एच ओ गुप्ता प्रो. अपराजिता ओझा श्री एस के यादव श्री पी के चतुर्वेदी श्री एस के पौल श्री अजय चौबे	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सलाहकार, वित्त विभाग, म.प्र. शासन निदेशक निदेशक, आईआईटीडीएम पूर्णकालिक निदेशक निदेशक, उप सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन निदेशक निदेशक, उप सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन	श्री मुकेश चांद गुप्ता	नहीं
19	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री संजय कुमार शुक्ला श्री आकाश त्रिपाठी श्री संजय दुबे श्री अजय चौबे श्री ऋषिकेश टी कृष्णन श्री राकेश सक्सेना श्री मुकुल धारिवाल डॉ तृप्ति जैन श्री मनोज कुमार झावर डॉ एम एस केले	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक नामांकित निदेशक स्वतंत्र निदेशक पूर्णकालिक निदेशक पूर्णकालिक निदेशक	श्री आकाश त्रिपाठी	नहीं
20	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री संजय कुमार शुक्ला श्री विवेक कुमार पोरवाल श्री ए सी चक्रबोर्ती श्री ए एम वी युगांधर श्री वी के सिंह श्री मुकुल धारीवाल श्री अजीत कुमार श्री विजय क्षीरसागर श्री आर एस श्रीवास्तव सुश्री तनवी सुद्रियाल श्री अजय चौबे	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक पूर्णकालिक निदेशक महिला निदेशक निदेशक	श्री विवेक कुमार पोरवाल	नहीं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
21	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री संजय कुमार शुक्ला श्री रवि सेठी श्री नवीन कुमार कोहली श्री आनंद प्रकाश भैरवे श्री मुकेश चंद गुप्ता	अध्यक्ष निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक	श्री नवीन कुमार कोहली	नहीं
22	म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री इकबाल सिंह बैंस श्री आई पी सी केसरी श्री संजय कुमार शुक्ला श्री यशवंत कुमार श्री महेश कुमार अग्रवाल श्री अजीत कुमार श्रीमति गौरी सिंह श्री एस एस सिंह श्री एस सी परख श्री मुकेश चंद गुप्ता श्री विवेक कुमार पोरवाल श्री आकाश त्रिपाठी श्री नीरज अग्रवाल श्री अक्षय कुमार वर्मा	अध्यक्ष अध्यक्ष प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक पूर्ण कालिक निदेशक	श्री संजय कुमार शुक्ला	नहीं
23	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	श्री संजय कुमार शुक्ला श्री रवि सेठी श्री नवीन कुमार कोहली	अध्यक्ष निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री नवीन कुमार कोहली	नहीं
24	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	श्री मुहम्मद सुलेमान श्री वी एल कांताराव श्री डी पी आहूजा कु. शाजिया जमाल अफ़ज़ल श्री मनोज श्रीवास्तव	अध्यक्ष निदेशक प्रबंध निदेशक कम्पनी सचिव निदेशक	श्री डी पी आहूजा	नहीं
25	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	श्री बाबू सिंह रघुवंशी श्री मोहम्मद सुलेमान श्री वी एल कांताराव श्री जितेंद्र सिंह श्री एस वी सिंह श्री अदिति कुमार त्रिपाठी श्री देविंदर पाल सिंह	अध्यक्ष निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक	श्री एस वी सिंह	नहीं
26	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	डॉ हितेश बाजपेई श्री देवराज सिंह परिहार श्री फैज़ अहमद श्री अशोक बर्णवाल श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव श्री मनोहर अगनानी श्री प्रदीप उपाध्याय	अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री फैज़ अहमद	नहीं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	मंडल के निदेशकों के नाम	पदनाम व धारित पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त पद धारण किया है
27	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	श्री तपन भौमिक श्री दीपक खांडेकर श्री मलय श्रीवास्तव श्री अनुपम रंजन श्री मनोज श्रीवास्तव श्री आर एच खाजा श्री अनिरुद्ध मुख्यर्जी श्री हरी रंजन राव श्री राजेश डॉगरे श्री हीरेन्द्र सिंह शेखावत	अध्यक्ष नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक निदेशक नामांकित निदेशक प्रबंध निदेशक नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक	श्री हरी रंजन राव	नहीं
28	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2016-17	श्री शिवराज सिंह चौहान सुश्री कुमुम सिंह महादेल श्री गोपाल भार्गव श्रीमति माया सिंह श्री अन्धोनी डी सा श्री राधेश्याम जुलानिया श्रीमति गौरी सिंह डॉ. मनोज गोविल श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव श्री मलय श्रीवास्तव श्री अजय नाथ श्री अधिवनी कुमार राय श्रीमति अरुणा शर्मा	अध्यक्ष एवं मा. मुख्य मंत्री उपाध्यक्ष, मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, म.प्र. शासन निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक निदेशक	श्री मनोज गोविल	नहीं
29	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	श्री निशात वरवडे श्री चंद्रमौली शुक्ला श्री जनार्दन प्रसाद श्री ए के पालीवाल श्रीमति छवि भारद्वाज श्री शिव कान्त मुद्गल श्री नीरज कुमार वशिष्ठ	अध्यक्ष प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक	श्री चंद्रमौली शुक्ला	नहीं

परिशिष्ट – 1.4 (ब)

वह अधिकारी जो ऐसे एक से अधिक उपक्रमों में निदेशक हैं जिनके लेखे बकाया हैं
(कंडिका 1.9 में संदर्भित)

क्र.सं.	नाम	कम्पनी
1	डॉ संदीप कडवे	म. प्र. वैंचर फाइनेंस लिमिटेड
		म. प्र. वैंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
2	श्री ए पी श्रीवास्तव	दी प्रोविडेंट इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
		म. प्र. वैंचर फाइनेंस लिमिटेड
		म. प्र. वैंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
3	श्री अजय चौबे	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
4	श्री अजीत कुमार	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
5	श्री आकाश त्रिपाठी	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
6	श्री अनिरुद्ध मुखर्जी	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
7	श्री अंटोनी डी सा	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
8	श्री अशोक बर्णवाल	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड
		म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
9	श्री डी पी आहूजा	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड
		म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	श्री आई सी पी केसरी	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
11	श्री मलय श्रीवास्तव	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

क्र.सं.	नाम	कम्पनी
		म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
12	श्री मनोज श्रीवास्तव	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
13	श्री मोहम्मद सुलेमान	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड
14	श्री मुकेश चंद गुप्ता	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
15	श्री मुकुल धारीवाल	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
16	श्री नवीन कुमार कोहली	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड
17	श्री राजेंद्र शुक्ला	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
18	श्री रवि सेठी	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड
19	श्री एस बी सिंह	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड
20	श्री संजय कुमार शुक्ला	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड
21	श्री सत्यानंद	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
22	श्री शिवराज सिंह चौहान	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड म.प्र. अर्बन डेल्वलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

क्र.सं.	नाम	कम्पनी
23	श्री वी एल कांताराव	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड
		म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड
		म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
		संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	श्री विवेक अग्रवाल	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
25	श्री विवेक कुमार पोरवाल	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
26	श्री यशवंत कुमार	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
		म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
27	श्रीमति रिमता भारद्वाज	म. प्र. वैंचर फाइनेंस लिमिटेड
		म. प्र. वैंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
28	श्रीमति उर्मिला मिश्रा	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
		म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट – 1.5

**राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंशपूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति
जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2017 को बकाया थे का विवरण
(कांडिका 1.11 में संदर्भित)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंशपूँजी	जिस वर्ष तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अंतिमीकरण हेतु बकाया लेखों की अवधि	जिन वर्ष के लेखें बकाया है उस दौरान राज्य सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति					
					अंशपूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य*	प्रत्याभूतियाँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. कार्यशील कम्पनियाँ										
1 वर्ष										
1	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	1.80	2015-16	2016-17	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	5.50	2015-16	2016-17	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	7.75
3	म.प्र. वेन्चर फायर्नेस लिमिटेड	0.31	2015-16	2016-17	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.70
4	म.प्र. वेन्चर फायर्नेस ड्रस्टी लिमिटेड	0.01	2015-16	2016-17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
5	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	2015-16	2016-17	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29.39
6	म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	1.00	2015-16	2016-17	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	2015-16	2016-17	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	91.70
8	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,322.43	2015-16	2016-17	0.00*	951.86	1,319.91	1,102.56	90.27	3,464.60
9	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,049.43	2015-16	2016-17	0.00*	73.17	1,246.71	3,724.58	64.44	5,108.90
10	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,601.35	2015-16	2016-17	0.00*	53.63	1,274.38	1,908.96	97.16	3,334.13
11	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.80	2015-16	2016-17	0.00	0.00	3.50	0.00	0.0	3.50
12	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	2015-16	2016-17	0.00	0.00	47.31	94.23	0.00	141.54
उप-योग					29.60	1,079.16	4,019.56	6,922.03	251.87	12,302.22
2 से 5 वर्ष										
13	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	4.58	2014-15	2015-16	0.00	92.50	0.00	0.00	577.86	670.36
				2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंशांपूंजी	जिस वर्ष तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अंतिमीकरण हेतु बकाया लेखों की अवधि	जिन वर्ष के लेखें बकाया है उस दौरान राज्य सरकार द्वारा अंशांपूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति								
					अंशांपूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य [#]	प्रत्याभूति	योग			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5			
14	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	55.00	2014-15	2015-16	10.00	0.00	407.00	0.00	0.00	417.00			
				2016-17	45.00	0.00	276.33	0.00	0.00	321.33			
15	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	2013-14	2015-16 तक	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	22.16			
				2016-17	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	22.16			
16	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	2009-10	2015-16 तक	3.70	0.00	2.55	51.30	0.00	57.55			
				2016-17	0.00	8.76	0.54	29.00	0.00	38.30			
17	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	36.18	2003-04	2015-16 तक	6.33	0.00	18.30	41.50	0.00	66.13			
				2016-17	0.00	0.00	3.47	57.00	0.00	60.47			
उप—योग					65.03	145.58	708.19	178.80	577.86	1,675.46			
योग (क)					94.63	1,224.74	4,727.75	7,100.83	829.73	13,977.68			
ख. अकार्यशील कम्पनियाँ													
1 वर्ष – निरंक													
2 से 5 वर्ष – निरंक													
5 वर्षों से अधिक													
1	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	6.86	2009-10	2015-16 तक	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	3.61			
				2016-17	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73			
योग (ख)					0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34			
महायोग (क + ख)					94.63	1,224.74	4,732.09	7,100.83	829.73	13,982.02			

* उनकी धारण कम्पनी होने के नाते तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में किया गया पूँजी निवेश एमपीपीएमसीएल के अंतर्गत दर्शाया गया है (एमपीमध्यक्षेत्रिक – ₹ 1,656.46 करोड़, एमपीपश्चिमक्षेत्रिक – ₹ 943.98 करोड़, एमपीपूर्वक्षेत्रिक – ₹ 1,464.11 करोड़)।

[#] सब्सिडी व राजस्व अनुदान सहित (म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड)।

परिशिष्ट – 1.6

अद्यतन वर्ष जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों (जिनके तीन वर्ष से अधिक के लेखे लंबित नहीं हैं) के सारांशित
वित्तीय परिणाम
(कड़िका 1.12 में संदर्भित)

(कॉलम क्र. 4 से 9 में आंकडे ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ / हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ / हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ ^{¶(5/8)} (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2014-15

कम्पनियाँ जिनहोंने लाभ अर्जित किया

1	दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.90	0.68	1.07	26.63	26.63	26.63	3.38	3.38	2.55
2	म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	14.39	9.51	27.12	627.61	49.75	627.61	2.29	2.29	19.12
3	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	0.08	29.89	3.88	3.88	3.88	2.06	2.06	2.06
4	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	25.87	16.31	218.50	119.92	119.92	119.92	21.57	21.57	13.60
5	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	48.63	32.34	1,162.76	120.20	120.20	120.20	40.46	40.46	26.91
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2014-15	0.18	0.18	0.55	23.81	4.79	23.81	0.76	0.76	3.76
7	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014-15	12.86	8.78	54.31	55.18	38.06	55.18	23.31	23.31	23.07
8	म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फौसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.72	1.86	0.11	930.51	13.53	930.51	0.29	0.29	13.75
9	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	1.76	1.17	90.57	25.42	25.42	25.42	6.92	6.92	4.60

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ [¶] (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2014-15	1.05	0.63	0.33	10.56	7.41	10.56	9.94	9.94	8.50
11	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2014-15	108.46	40.89	646.14	197.07	197.07	197.07	55.04	55.04	20.75
12	म.प्र. राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	70.50	64.46	84.75	271.28	271.28	271.28	25.99	25.99	23.76
13	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2014-15	63.28	47.88	59.34	166.99	186.99	166.99	37.89	37.89	25.61
14	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन	2014-15	78.19	39.47	236.08	465.21	187.22	465.21	16.81	16.81	21.08
15	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	512.13	28.33	2,328.45	4,348.7	2,316.97	4,348.7	11.78	11.78	1.22
16	म.प्र. वित्त निगम	2014-15	93.31	11.66	111.58	1,255.32	372.23	1,255.32	7.43	7.43	3.13
17	डीएमआईसी विक्रम उद्योग पुरी लिमिटेड	2014-15	3.28	2.21	0.00	114.44	114.44	114.44	2.87	2.87	1.93
18	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2014-15	2.77	1.87	0.00	36.87	36.87	36.87	7.51	7.51	5.07
19	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर	2014-15	7.03	1.05	4.73	4.75	4.75	4.75	148.00	148.00	22.11
20	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2014-15	2.40	2.12	0.46	9.63	9.63	9.63	24.92	24.92	22.01
21	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.04	0.03	0.00	4.73	4.73	4.73	0.85	0.85	0.63
22	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2014-15	14.23	9.16	13.58	28.90	28.90	28.90	49.24	49.24	31.70
23	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (खालियर) म.प्र. लिमिटेड	2014-15	4.88	4.38	1.27	5.55	5.55	5.55	87.93	87.93	78.92

क्र. स.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^z (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ ^{¶(5/8)} (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.17	0.12	0.00	5.46	5.46	5.46	3.11	3.11	2.20
25	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2014-15	44.13	15.48	149.28	162.96	132.96	162.96	27.08	27.08	11.64
योग अ			1,113.24	340.65	5,220.87	9,021.58*	4,284.64*	9,021.58*	12.34	12.34	7.95
कम्पनियाँ जिन्हें न लाभ हुआ न हानि											
26	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.01	0.00	0.00	3.42	0.07	3.42	0.29	0.29	0.00
27	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2014-15	82.15	0.00	20,061.41	5,770.94	5,753.43	5,770.94	1.42	1.42	0.00
28	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2014-15	1.62	0.00	5.84	54.80	54.80	54.80	2.96	2.96	0.00
29	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.60	0.00	5.66	2.70	0.69	2.70	22.22	22.22	0.00
30	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
योग ब			84.38	0.00	20,072.91	5,831.90*	5,809.03*	5,831.90*	1.45	1.45	0.00
कम्पनियाँ जिन्हें हानि हुई											
31	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	1,653.06	-68.33	17,016.90	181.39	75.99	181.39	911.33	911.33	-89.92
32	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2014-15	-53.25	-88.67	206.81	245.20	-28.80	245.20	-21.72	-21.72	--
33	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2014-15	1.67	-0.85	3.11	15.16	15.16	15.16	11.02	11.02	-5.61
34	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2014-15	1,033.16	-1,027.48	6,456.58	12,679.93	2,278.54	12,679.93	8.15	8.15	-45.09

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ [¶] (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-910.92	-1,161.58	6,681.96	3,153.76	-8,169.12	3,153.76	-28.88	-28.88	--
36	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-858.97	-1,060.85	8,065.60	5,539.60	-6,649.80	5,539.60	-15.51	-15.51	--
37	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-2,088.84	-2,348.72	5,227.78	1,936.62	-9,482.84	1,936.62	-107.86	-107.86	--
38	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2014-15	1.84	-0.98	0.00	20.23	-2.77	20.23	9.10	9.10	--
योग स			-1,222.25	-5,757.46	43,658.74	23,771.89*	2,369.69*	23,771.89*	-5.14	-5.14	-242.96
महायोग अ+ब+स			-24.63	-5,416.81	68,952.52	38,625.37*	12,463.36*	38,625.37*	-0.06	-0.06	-43.46
2015-16											
कम्पनियाँ जिनहोंने लाभ अर्जित किया											
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015-16	59.66	39.12	1,305.22	149.81	149.81	149.81	39.82	39.82	26.11
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2015-16	1.07	0.71	1.36	30.99	6.35	30.99	3.45	3.45	11.18
3	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2015-16	14.39	14.17	56.34	66.93	49.81	66.93	21.50	21.50	28.45
4	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	0.59	0.40	0.13	1,431.12	13.89	1,431.12	0.04	0.04	2.88
5	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	1,638.22	0.65	18,742.98	163.42	76.37	163.42	1,002.46	1,002.46	0.85
6	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	9.90	5.92	110.08	31.34	31.34	31.34	31.59	31.59	18.89

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ ^{¶(5/8)} (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2015-16	159.48	90.55	150.87	265.45	265.44	265.45	60.08	60.08	34.11
8	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	72.13	63.91	71.57	319.81	280.97	319.81	22.55	22.55	22.75
9	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2015-16	53.71	40.04	49.13	202.22	186.53	202.22	26.56	26.56	21.47
10	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन	2015-16	107.83	52.41	252.87	469.36	221.14	469.36	22.97	22.97	23.70
11	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2015-16	443.27	79.68	2,742.77	4,587.00	2,531.21	4,587.00	9.66	9.66	3.15
12	म.प्र. वित्त निगम	2015-16	109.80	12.38	132.79	1,348.40	383.19	1,348.40	8.14	8.14	3.23
13	डीएमआईसी विक्रम उद्योग पुरी लिमिटेड	2015-16	3.84	2.57	0.00	117.01	117.01	117.01	3.28	3.28	2.20
14	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2015-16	2.91	1.96	0.00	39.00	39.00	39.00	7.46	7.46	5.03
15	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर	2015-16	8.41	3.52	6.99	4.76	4.76	4.76	176.68	176.68	73.95
16	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2015-16	1.22	1.19	0.35	11.07	11.07	11.07	11.02	11.02	10.75
17	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.36	0.24	0.00	4.97	4.97	4.97	7.24	7.24	4.83
18	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2015-16	12.20	7.08	14.96	35.98	35.98	35.98	33.91	33.91	19.68
19	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	2015-16	1.60	1.08	0.22	23.43	6.63	23.43	6.83	6.83	16.29
20	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.06	0.04	0.00	6.83	6.83	6.83	0.88	0.88	0.59
योग अ			2,700.65	417.62	23,638.63	9,308.90*	4,422.30*	9,308.90*	29.01	29.01	9.44

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^z (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ [¶] (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कम्पनियाँ जिन्हें न लाभ हुआ न हानि											
21	म.प्र. वैचर फाइनेंस लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.81	0.31	0.81	0.00	0.00	0.00
22	म.प्र. वैचर फाइनेंस द्रस्टी लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
23	शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (16-17)	2015-16	0.01	0.00	0.00	3.79	0.07	3.79	0.26	0.26	0.00
24	म.प्र. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (16-17)	2015-16	72.64	0.00	23,165.13	5,963.81	5,942.69	5,963.81	1.22	1.22	0.00
25	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.34	0.00	3.99	2.79	0.69	2.79	12.19	12.19	0.00
26	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एन.आर.सी.)	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
योग ब			72.99	0.00	23,169.12	5,971.25*	5,943.81*	5,971.25*	1.22	1.22	0.00
कम्पनियाँ जिन्हें हानि हुई											
27	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2015-16	0.07	-0.07	0.45	9.50	7.29	9.50	0.74	0.74	-0.96
28	म. प्र. अर्बन डेल्लपमेंट कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-0.64	-0.64	0.00	0.36	0.36	0.36	-177.78	-177.78	-177.78
29	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-1,258.55	-1,616.91	7,159.91	2,227.72	-9,744.61	2,227.72	-56.49	-56.49	--
30	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-941.36	-1,207.01	9,333.64	2,018.49	-7,816.74	2,018.49	-46.64	-46.64	--
31	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-2,327.05	-2,766.08	5,974.43	-434.41	-12,053.32	-434.41	--	--	--
32	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (16-17)	2015-16	0.62	-0.13	0.00	2.58	-2.90	2.58	24.03	24.03	--
33	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2,489.09	-50.19	7,976.41	12,731.50	2,410.44	12,731.50	19.55	19.55	-2.08

क्र. स.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, व्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ [¶] (5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2015-16	-4.23	-3.34	1.80	33.05	11.82	33.05	-12.80	-12.80	-28.26
35	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2015-16	-1.77	-14.63	192.85	201.96	118.95	201.96	-0.88	-0.88	-12.30
36	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2015-16	-38.68	-57.15	0.00	173.74	-85.95	173.74	-22.26	-22.26	0.00
योग स			-2,082.50	-5,716.15	30,639.49	17,398.90*	2,548.86*	17,398.90*	-11.97	-11.97	-224.26
महायोग अ+ब+स			691.14	-5,298.53	77,447.24	32,679.05*	12,914.97*	32,679.05*	2.11	2.11	-41.03
2016-17											
कम्पनियाँ जिनहोंने लाभ अर्जित किया											
1	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	142.41	91.81	296.39	335.13	335.13	335.13	42.49	42.49	27.40
2	म.प्र. राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	68.20	63.05	82.16	367.71	367.71	367.71	18.55	18.55	17.15
3	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	68.56	53.44	94.08	255.66	255.66	255.66	26.82	26.82	20.90
4	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन	2016-17	59.75	35.41	167.86	507.87	244.29	507.87	11.76	11.76	14.50
5	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1,859.84	24.83	7,817.66	17,300.26	2,882.79	17,300.26	10.75	10.75	0.86
6	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	354.68	22.23	2,658.62	4,824.77	2,478.05	4,824.77	7.35	7.35	0.90
7	म.प्र. वित्त निगम	2016-17	106.91	9.16	134.35	1,346.99	393.19	1,346.99	7.94	7.94	2.33
8	म.प्र. पब्लिक हैल्थ सर्विसेस निगम लिमिटेड	2016-17	6.59	4.39	6.78	15.33	15.33	15.33	42.99	42.99	28.64
9	डीआईएमरी विक्रम उद्योग पुरी लिमिटेड	2016-17	2.05	1.36	0.00	118.36	118.36	118.36	1.73	1.73	1.15

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/ हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/ हानि	टर्नओवर	निवेश ^c	अंश धारकों की निधि ^y	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ @ (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ ^(5/8) (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	डीआईएमसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2016-17	2.08	1.34	0.00	40.49	40.49	40.49	5.14	5.14	3.31
11	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर	2016-17	2.54	0.52	6.95	4.79	4.79	4.79	53.03	53.03	10.86
12	इंदौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लिमिटेड	2016-17	0.00	0.34	0.10	103.90	103.56	103.56	0.00	0.00	0.33
13	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2016-17	0.00	0.31	2.34	41.27	12.13	41.27	0.00	0.00	2.56
14	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2016-17	0.32	0.10	0.06	11.91	11.91	11.91	2.69	2.69	0.84
15	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड (एनआरसी)	2016-17	0.37	0.26	0.00	5.23	5.23	5.23	7.07	7.07	4.97
योग अ			2,674.30	308.55	11,267.35	25,279.67*	7,268.62*	25,279.33*	10.58	10.58	4.24
कम्पनियाँ जिन्हें न लाभ हुआ न हानि											
16	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2016-17	0.10	0.00	13.43	36.04	35.98	36.04	0.28	0.28	0.00
17	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	0.19	27.38	7.13	27.38	0.00	0.00	0.00
18	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	0.00	4.75	0.05	4.75	0.00	0.00	0.00
19	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
20	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	2.04	2.39	0.69	2.39	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	0.00	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00

क्र. स.	कम्पनी का नाम	अंतिमिकृत लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि	लाभांश व कर पश्चात निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंश धारकों की निधि [¥]	नियोजित पूँजी [#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ^{\$} (4/9) (आरओसीई)	निवेश पर प्रतिलाभ [@] (4/7) (आरओआई)	अंशपूँजी पर प्रतिलाभ ^{¶(5/8)} (आरओई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
योग ब			0.10	0.00	15.66	84.20*	57.49*	84.20*	0.12	0.12	0.00
कम्पनियाँ जिन्हें हानि हुईं											
23	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी विकास निगम खालियर लिमिटेड	2016-17	-0.05	-0.05	0.00	5.05	0.20	5.05	-0.99	-0.99	-25.00
24	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2016-17	-310.19	0.00	136.14	87.25	3.40	87.25	-355.52	-355.52	0.00
25	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2016-17	9.22	-2.42	36.93	24.04	-88.37	24.04	38.35	38.35	--
योग स			-301.02	-2.47	173.07	116.34*	3.60*	116.34*	-258.74	-258.74	-68.61
महायोग अ+ब+स			2,373.38	306.08	11,456.08	25,480.21*	7,329.71*	25,479.87*	9.31	9.31	4.18

€ निवेश = (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)

¥ अंशधारक निधि = (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय व अधिशेष – संवित हानि – स्थगित राजस्व व्यय)

नियोजित पूँजी = अंशधारक निधि + दीर्घावधि ऋण

\$ नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ = (लाभांश, ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि)/नियोजित पूँजी

@ निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/हानि)/निवेश

¶ अंशपूँजी पर प्रतिलाभ (आरओई) = (कर पश्चात निवल लाभ– प्राथमिक लाभांश)/अंशधारक निधि

* योग में नकारात्मक आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं

परिशिष्ट – 1.7
विद्युत विरतण कम्पनियों द्वारा उदय योजना का क्रियान्वयन
(*कंडिका 1.23 में संदर्भित*)

पैमाना	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य			उपलब्धि		
		म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
वित्तीय सुधार							
म.प्र. शासन द्वारा विद्युत कम्पनियों के ऋणों को अंशपूँजी/अनुदान में बदलते हुए अपनाना	2016-17 (अंशपूँजी)	₹ 7,568 करोड़			₹ 7,568 करोड़¹		
	2017-18 (अनुदान)	₹ 4,622 करोड़			₹ 4,622 करोड़		
एटी एंड सी हानि ² में कमी (प्रतिशत में)	2016-17	20.40	19.72	22.09	18.47 (प्राप्त)	22.58 (अप्राप्त)	34.32 (अप्राप्त)
	2017-18 (2019-20 तक 15% पर लाया जाए)	18.41	17.73	19.19	20.25 (अप्राप्त)	33.06 (अप्राप्त)	41.91 (अप्राप्त)
एसीएस-एआरआर अंतर ³ को खत्म करना (₹ प्रति यूनिट तक)	2016-17	0.34			-0.25 (प्राप्त)	1.18 (अप्राप्त)	0.64 (अप्राप्त)
	2017-18 (2019-20 तक समाप्त किया जाए)	0.16			-0.38 (प्राप्त)	1.16 (अप्राप्त)	0.75 (अप्राप्त)
समय पर टैरिफ का पुनरीक्षण		टैरिफ याचिका समय पर दायर की गई			कोई देरी नहीं		
बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	2016-17	79.60	80.28	77.91	82.00 (प्राप्त)	78.14 (अप्राप्त)	63.77 (अप्राप्त)
	2017-18	81.59	82.27	80.81	83.25 (प्राप्त)	73.98 (अप्राप्त)	69.67 (अप्राप्त)
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)	2016-17	100.00	100.00	100.00	98.42 (अप्राप्त)	96.67 (अप्राप्त)	88.29 (अप्राप्त)
	2017-18	100.00	100.00	100.00	95.80 (अप्राप्त)	90.49 (अप्राप्त)	83.38 (अप्राप्त)

¹ ₹ 3,557 करोड़ अंशपूँजी के रूप में एवं ₹ 4,011 करोड़ अनुदान के रूप में

² सकल पारेषण एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि, समस्त तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों व बिल की अल्प वसूली के कारण हुई कमी का योग होता है।

³ प्रदाय की औसत लागत (एसीएस) – औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच का अंतर

पैमाना	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य			उपलब्धि		
		म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
परिचालनात्मक सुधार							
वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (शहरी) (नग में)	2017-18	23,823	8,962	30,474	17,595 (अप्राप्त)	8,181 (अप्राप्त)	22,647 (अप्राप्त)
वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (ग्रामीण) (नग में)	2017-18	1,13,818	53,676	1,57,216	34,086 (अप्राप्त)	73,903 (प्राप्त)	57,408 (अप्राप्त)
फीडर मीटरीकरण (ग्रामीण) (नग में)	2016-17	5,457	4,300	4,347	5,457 (प्राप्त)	4,050 (अप्राप्त)	4,347 (प्राप्त)
	2017-18	-	4,400	-	-	4,378 (अप्राप्त)	-
ग्रामीण फीडर अंकेशण (नग में)	2016-17	4,583	4,062	3,374	4,583 (प्राप्त)	3,400 (अप्राप्त)	3,453 (प्राप्त)
	2017-18	-	4,062	3,451	-	3,584 (अप्राप्त)	3,847 (प्राप्त)
स्मार्ट मीटरीकरण 500 केबल्स्यूएच से अधिक (नग में)	2017-18	80,000	44,878	1,61,564	40,440 (अप्राप्त)	8,684 (अप्राप्त)	10,753 (अप्राप्त)
अविद्युतीकृत परिवारों तक बिजली पहुंचाना (नग में)	2017-18	42.30 लाख	48.98 लाख	25.55 लाख	43.09 लाख (प्राप्त)	48.74 लाख (अप्राप्त)	26.75 लाख (प्राप्त)
उजाला योजनांतर्गत एलईडी बल्बों का वितरण (नग में)	2016-17	53.00 लाख	55.40 लाख	41.60 लाख	42.78 लाख (अप्राप्त)	34.84 लाख (अप्राप्त)	47.64 लाख (प्राप्त)
	2017-18	106.25 लाख	75.60 लाख	83.49 लाख	57.07 लाख (अप्राप्त)	48.62 लाख (अप्राप्त)	57.38 लाख (अप्राप्त)
फीडरों का भौतिक विभक्तिकरण (नग में)	2016-17	2,853	1,634	1,613	2,853 (प्राप्त)	1,576 (अप्राप्त)	1,595 (अप्राप्त)
	2017-18	-	1,837	2,016	-	1,722 (अप्राप्त)	1,952 (अप्राप्त)

परिशिष्ट—1.8

2015–16 से 2017–18 के दौरान कम्पनी द्वारा आयोजित प्रतिनिधि मंडल के विदेश दौरों का विवरण

(कठिका 1.24 में संदर्भित)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	गंतव्य / प्रसंग	प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख*	प्रतिनिधियों की संख्या	अवधि	वास्तविक खर्च#
1	हैनोवर (जर्मनी) व्यापार मेला	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	4	12–17 अप्रैल 2015	65.72
2	जापान— कोरिया रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	9	29 सितंबर—7 अक्टूबर 2015	143.67
3	न्यूयॉर्क रोड शो	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	2	1–5 दिसम्बर 2015	3.38\$
4	सिंगापुर रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	7	12–16 जनवरी 2016	71.78
5	चाइना रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	8	19–24 जून 2016	100.11
6	न्यूयॉर्क (युएसए) रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	11	28 अगस्त—4 सितंबर 2016	155.28
7	लंदन (युके) रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	8	25–29 सितंबर 2016	105.63
8	5 वी भारत—अरब साझेदारी सम्मेलन, मस्कट (ओमान)	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	4	14–15 दिसंबर 2016	13.50
9	बैंकोक प्रतिनिधि मंडल	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, म.प्र. शासन	3	20–22 मार्च 2017	10.00
10	वार्षिक निवेश बैठक—2017, दुबई	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	6	2–4 अप्रैल 2017	60.00
11	रूस के लिये उन्नत प्रतिनिधि मंडल	प्रधान सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	2	9–12 मई 2017	8.50
12	स्विट्जरलैंड प्रतिनिधि मंडल	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	5	25–26 जून 2017	15.00
13	न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन (युएसए) रोड शो	मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन	7	25–27 अक्टूबर 2017	105.69
14	लंदन (युके) रोड शो	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	3	22–27 अक्टूबर 2017	17.38
15	आउटरिच व्यापार संगोष्ठी (पुर्तगाल व स्पेन)	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, म.प्र. शासन	6	20–24 नवंबर 2017	21.64
योग					897.28

* स्वीकृति आदेशों के अनुसार

व्यय के आंकड़े कम्पनी के लेखों के अनुसार हैं।

\$ हवाई यात्रा भाड़ा व दैनिक भत्ते भास्ति नहीं है क्योंकि वह चमड़ा निर्यात परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

परिशिष्ट –2.1.1 (अ)

**पाँच वर्षीय योजना में परिकल्पित, लेकिन वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित नहीं किए गए कार्य
(कांडिका 2.1.12 में संदर्भित)**

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1	400 केव्ही लाइन	सागर 400 केव्ही सब–स्टेशन में दमोह–भोपाल लाइन का लीलो	31.75
2	400 केव्ही लाइन	छेगँव 400 केव्ही सब–स्टेशन में खंडवा–राजगढ़ लाइन का लीलो	15.88
3	400 केव्ही लाइन	छेगँव 400 केव्ही सब–स्टेशन में मालवा–जुलवानिया लाइन का लीलो	0.00
4	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस मूंदी पूलिंग पॉइंट से हंडिया	220.50
5	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस रीवा टीपीपी से मूंदी पूलिंग पॉइंट	64.30
6	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस पीथमपुर से मूंदी पूलिंग पॉइंट	257.30
7	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस आष्टा–उज्जैन लाइन	158.80
8	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस पीथमपुर से बदनावर लाइन	137.80
9	400 केव्ही लाइन	बदनावर 400 केव्ही सब–स्टेशन में नागदा–राजगढ़ लाइन का लीलो	31.80
10	400 केव्ही लाइन	हंडिया 400 केव्ही सब–स्टेशन के लिए इंदिरासागर–सतपुड़ा लाइन का लीलो	31.80
11	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस दादा धुनिवाले टीपीपी से मूंदी पूलिंग पॉइंट	73.50
12	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस हंडिया–आष्टा लाइन	142.90
13	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस एसएसटीपीपी से मूंदी पूलिंग पॉइंट	31.80
14	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस नागदा–उज्जैन लाइन	119.10
15	400 केव्ही लाइन	हंडिया 400 केव्ही सब–स्टेशन के लिए इंदौर–इटारसी लाइन का लीलो	31.80
16	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस मूंदी पूलिंग पॉइंट से खंडवा	73.50
17	400 केव्ही सब–स्टेशन	सागर	31.75
18	400 केव्ही सब–स्टेशन	मूंदी पूलिंग पॉइंट	150.00
19	400 केव्ही सब–स्टेशन	उज्जैन	98.00
20	400 केव्ही सब–स्टेशन	हंडिया	98.00
21	220 केव्ही सब–स्टेशन	दलोदा जिला मंदसौर	19.05
22	220 केव्ही सब–स्टेशन	चिचली जिला नरसिंगपुर	28.85
23	220 केव्ही सब–स्टेशन	अशोकनगर	41.60
24	220 केव्ही सब–स्टेशन	शंकरगढ़ / क्षिप्रा	30.60
25	220 केव्ही लाइन	400 केव्ही और 220 केव्ही पीथमपुर सब–स्टेशन के मध्य डीसीडीएस अंतर–संयोजक	24.39
26	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस आष्टा–इंदौर 2 लाइन	56.03
27	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस अमरकंटक (एमपीपीटीसीएल)–अमरकंटक (जनरेटिंग कम्पनी) लाइन	10.37
28	220 केव्ही लाइन	इंदौर (साउथ जोन–2) सब–स्टेशन पर इंदौर–पीथमपुर लाइन का लीलो	2.00
29	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस आष्टा–शाजापुर लाइन	20.04
30	220 केव्ही लाइन	पनागर 220 केव्ही सब–स्टेशन के लिये बीरसिंगपुर–जबलपुर (सुखा) लाइन का लीलो	9.03
31	220 केव्ही लाइन	दतिया 220 केव्ही सब–स्टेशन के लिये बीना–ग्वालियर लाइन का लीलो	2.47
32	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस पीथमपुर–गांधीनगर / हातोद लाइन	16.50

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
33	220 केव्ही लाइन	सिरमोर 220 केव्ही सब-स्टेशन पर बाणसागर-सतना लाइन का लीलो	0.50
34	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस जुलवानिया-कुक्षी लाइन	52.80
35	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस उज्जैन-देवास लाइन	29.70
36	220 केव्ही लाइन	बीना 220 केव्ही सब-स्टेशन के लिये बीना-सागर लाइन का लीलो	3.30
37	220 केव्ही लाइन	उज्जैन 400 केव्ही सब-स्टेशन पर नागदा-उज्जैन लाइन का लीलो	13.20
38	220 केव्ही लाइन	उज्जैन 400 केव्ही सब-स्टेशन पर बडोदा-उज्जैन लाइन का लीलो	13.20
39	220 केव्ही लाइन	मेहगांव 220 केव्ही सब-स्टेशन पर औरेया-मालनपुर लाइन का लीलो	2.00
40	220 केव्ही लाइन	हंडिया 220 केव्ही सब-स्टेशन पर हंडिया-बडवाह लाइन का लीलो	13.20
41	220 केव्ही लाइन	बडनगर 400 केव्ही सब-स्टेशन पर रतलाम-बडनगर लाइन का लीलो	13.20
42	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस कटनी-दमोह लाइन	72.60
43	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस महेश्वर-राजगढ़ लाइन	75.90
44	220 केव्ही लाइन	डीसीडीएस मुरेना-सबलगढ़ लाइन	52.80
45	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस सतना-नागोद लाइन	4.53
46	132 केव्ही लाइन	132 केव्ही सब-स्टेशन बनखेड़ी के लिये गार्डरवारा-पिपरिया लाइन का लीलो	2.92
47	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस कटरा-मौगंज लाइन	11.03
48	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस इछावर-सिहोर लाइन	9.33
49	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस पिपरिया-बरेती लाइन	16.34
50	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस महिदपुर/जर्दा/बडोदा-आलोट लाइन	9.33
51	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस बैरागढ़-सिहोर लाइन	11.95
52	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस शुजालपुर-पचौर लाइन	11.92
53	132 केव्ही लाइन	डीसीडीएस शाजापुर-बेरछा लाइन	10.24
54	132 केव्ही लाइन	राजमिलन सब-स्टेशन के लिये अमरकंटक-मोरवा/बैधन लाइन का लीलो	1.03
55	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट कोटार-रामपुर बघेलन लाइन	4.18
56	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट शहडोल-डिंडोरी लाइन	2.20
57	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट टीकमगढ़-दिगोडा लाइन	2.76
58	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट वेतुल-चिचोली लाइन	2.20
59	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट बहादुरपुर-बुरहानपुर लाइन	0.50
60	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट छिंदवाड़ा-बिछुआ लाइन	2.80
61	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट दमोह-बतियागढ़ लाइन	2.80
62	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट नेपानगर-बडगाव लाइन	1.90
63	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट जुलवानिया-अंजड लाइन	2.00
64	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट पांडुर्ना-मुलताई लाइन	3.20
65	132 केव्ही लाइन	शाजापुर 220-शाजापुर 132 केव्ही सब-स्टेशन के मध्य अंतरस्योजक	8.26
66	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट निमरानी-कसरावद लाइन	1.00
67	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट टैप लाइन बालाघाट-कटगी लाइन	3.20
68	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट शिवपुरी-कोलारस लाइन	2.80
69	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट शिवपुरी-मोहाना लाइन	5.20

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
70	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट छतरपुर—नोगांव लाइन	2.80
71	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट राजगढ़—पेटलावद लाइन	4.30
72	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट आष्टा—पोलाई कालन लाइन	2.20
73	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट मेहगांव—पोरसा लाइन	2.50
74	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट विदिशा—रायसेन लाइन	2.10
75	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट रतलाम—सैलाना लाइन	1.80
76	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट कटनी—स्लीमनाबाद लाइन	2.40
77	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट हंडिया—सतवास लाइन	2.80
78	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट पिपरिया—सेमरी हरचंद लाइन	2.80
79	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट मेहगांव—सियोडा लाइन	3.70
80	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट विदिशा—शमशाबाद लाइन	3.40
81	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट बैरागढ़—श्यामपुर लाइन	1.60
82	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट विरसिंगपुर—उमरिया लाइन	2.90
83	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट महिदपुर—जर्दा लाइन	1.90
84	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस पनागर—पाटन लाइन	14.80
85	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस ग्वालियर 2—ग्वालियर 3	8.60
86	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस बालाघाट—बारासिवनी	7.50
87	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस दिगोदा—पृथ्वीपुर —ओरछा लाइन	18.00
88	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस अशोकनगर—कोथिया (बैहतगढ़) लाइन	14.20
89	132 केव्ही लाइन	400 केव्ही बालाघाट सब—स्टेशन पर बालाघाट —भानेगाँव लाइन की लीलो	3.62
90	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस विदिशा—रायसेन लाइन	9.30
91	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस मेहगांव —भिंड लाइन	9.30
92	132 केव्ही लाइन	शंकरगढ़ सब—स्टेशन पर देवास—इंदौर लाइन की लीलो	3.60
93	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट बालाघाट —बैहर लाइन	18.50
94	132 केव्ही लाइन	कुक्षी 220—कुक्षी 132 केव्ही सब—स्टेशन के मध्य अंतरसंयोजक	4.25
95	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस दतिया—भांडेर लाइन	9.00
96	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस जबलपुर—जबलपुर 2	8.60
97	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस धार—तीसगांव लाइन	6.00
98	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस देवास—आगरोद लाइन	11.10
99	132 केव्ही लाइन	प्रथम सर्किट बीओआरएल—मुंगावली का एक्सटेंशन	7.50
100	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस नरसिंगपुर—देवनगर	10.50
101	132 केव्ही लाइन	पेटलावद सब—स्टेशन पर रतलाम—मेघनगर लाइन की लीलो	4.30
102	132 केव्ही लाइन	भानेगाँव सब—स्टेशन पर बालाघाट—धामदा लाइन की लीलो	0.43
103	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस नागोद—पवाई लाइन	20.00
104	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस मनेरी—मंडला लाइन	22.20
105	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस गांधीसागर—मनासा लाइन	20.35
106	132 केव्ही लाइन	डीसीडीईस हंडिया—खातेगांव लाइन	8.60
107	132 केव्ही लाइन	थर्ड सर्किट बीना—मुंगावली लाइन	0.92
108	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस शुजालपुर—कालापीपल लाइन	8.00
109	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस जुलवानिया—तलाकपुरा लाइन	9.60
110	132 केव्ही लाइन	डीसीईसएस उदयपुरा—सिलवानी लाइन	8.00

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
111	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस बीना—खिमलासा लाइन	11.20
112	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस छिंदवाडा—बडकुई लाइन	14.40
113	132 केव्ही सब—स्टेशन	नागोद	9.57
114	132 केव्ही सब—स्टेशन	राऊ	10.61
115	132 केव्ही सब—स्टेशन	गांधीनगर / हातोद	8.00
116	132 केव्ही सब—स्टेशन	सिरमौर	8.00
117	132 केव्ही सब—स्टेशन	दिग्गौडा	7.84
118	132 केव्ही सब—स्टेशन	राजमिलन	11.80
119	132 केव्ही सब—स्टेशन	ग्वालियर—3	12.90
120	132 केव्ही सब—स्टेशन	जबलपुर—2	12.90
121	132 केव्ही सब—स्टेशन	देवनगर	10.40
122	132 केव्ही सब—स्टेशन	मुंगावली	10.40
123	132 केव्ही सब—स्टेशन	बेलखेडा	10.08
124	132 केव्ही सब—स्टेशन	खिमलासा	10.08
125	132 केव्ही सब—स्टेशन	कालापीपल	10.08
126	132 केव्ही सब—स्टेशन	बडकुही	10.08

परिशिष्ट –2.1.1 (ब)

**पांच वर्षीय योजना में परिकल्पित न किये गए किन्तु वार्षिक योजनाओं में
सम्मिलित किए गए कार्य**

(कंडिका 2.1.12 में संदर्भित)

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	योजना वर्ष	अनुमानित ¹ लागत (₹ करोड़ में)
1	400 केव्ही लाइन	डीसीडीएस इंदौर (पीजीसीआईएल) –पीथमपुर लाइन	2013–14	95.51
2	220 केव्ही सब–स्टेशन	चिचली	2012–13	28.85
3	220 केव्ही सब–स्टेशन	इंदौर (साउथ जोन–2) कैट	2014–15	26.55
4	220 केव्ही सब–स्टेशन	जुलवानिया	2015–16	31.28
5	220 केव्ही सब–स्टेशन	अशोकनगर (उन्नयन)	2015–16	18.89
6	220 केव्ही लाइन	दलोदा के लिये नागदा –नीमच लाइन की लीलो	2012–13	5.55
7	220 केव्ही लाइन	पीथमपुर के लिये पीथमपुर–इंदौर/पीथमपुर–बड़नगर लाइन की लीलो	2012–13	24.39
8	220 केव्ही लाइन	अमरकंटक सब–स्टेशन के लिये अमरकंटक –कोरबा लाइन की लीलो	2012–13	7.04
9	220 केव्ही लाइन	इंदौर नार्थ जोन सब–स्टेशन पर डीसीडीएस इंदौर 2 –जैतपुरा लाइन का लीलो	2014–15	0.78
10	220 केव्ही लाइन	220 केव्ही सिरमोर सब–स्टेशन पर रीवा –बाणसागर का लीलो	2014–15	12.28
11	220 केव्ही लाइन	मुगालियाछाप सब–स्टेशन पर भोपाल–आष्टा का लीलो	2014–15	19.70
12	220 केव्ही लाइन	आईडीए स्कीम संख्या 139 (निरंजनपुर) पर इंदौर 2 (जैतपुरा) से इंदौर (नार्थ जोन) का लीलो	2014–15	0.78
13	132 केव्ही लाइन	132 केव्ही सब–स्टेशन राऊ पर इंदौर–पीथमपुर लाइन का लीलो	2013–14	10.38
14	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस बड़वाह–किशनगढ़ लाइन	2014–15	29.96
15	132 केव्ही लाइन	बड़गांव पर मालनपुर–अम्बाह लाइन का लीलो	2014–15	1.80
16	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस बालाघाट –वारासिवनी लाइन	2014–15	9.00
17	132 केव्ही लाइन	डीसीडीएस कुक्षी –जोबट लाइन	2014–15	13.03
18	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस खरगोन –विस्टान लाइन	2014–15	9.00
19	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस मुरेना –देओरी लाइन	2014–15	10.80
20	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस पनागर–धिमरखेड़ा लाइन	2014–15	9.00
21	132 केव्ही लाइन	दिमनी (132 केव्ही सब–स्टेशन) पर मालनपुर–अम्बाह लाइन का लीलो	2014–15	3.17
22	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस बड़नगर –छायन लाइन	2014–15	15.23
23	132 केव्ही लाइन	श्यामगढ़ पर बड़ोद–गरोठ का लीलो	2014–15	13.29
24	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस मेहगांव –प्रतापपुरा लाइन	2014–15	15.63
25	132 केव्ही लाइन	132 केव्ही सब–स्टेशन वारासिवनी पर बालाघाट–सिवनी / कटंगी का लीलो	2014–15	12.61
26	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस तलकपूरा–विस्टान लाइन	2014–15	15.72
27	132 केव्ही लाइन	मौजूदा अमरकंटक (टीपीएस)–अनूपपुर लाइन का स्थानान्तरण	2015–16	6.14
28	132 केव्ही लाइन	देवास–शंकर गढ़ लाइन	2015–16	9.90
29	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस जुलवानिया–सेधवा लाइन	2015–16	7.56

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	योजना वर्ष	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
30	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस शेयोपुर कलां-बरोदा लाइन	2015–16	10.74
31	132 केव्ही लाइन	बड़ागांव दिमनी पर मालनपुर-अम्बाह लाइन का लीलो	2015–16	1.95
32	132 केव्ही लाइन	मोमन बडोनिया-नलखेडा लाइन	2015–16	13.84
33	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस हंडिया-गोपाल पुर लाइन	2015–16	8.00
34	132 केव्ही लाइन	अशोकनगर-इशागढ़ लाइन	2015–16	19.85
35	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट बैरागढ़-श्यामपुर लाइन	2015–16	7.17
36	132 केव्ही लाइन	श्यामगढ़ पर बरोड-गरोठ लाइन का लीलो	2015–16	2.61
37	132 केव्ही लाइन	सेकंड सर्किट बालाघाट-सिवनी	2016–17	5.77
38	132 केव्ही लाइन	डीसीएसएस दतिया-भांडेर	2016–17	19.85
39	132 केव्ही लाइन	डीसीडीएस अशोकनगर-कोठिया	2016–17	29.78
40	132 केव्ही लाइन	पीथमपुर एसइजेड के लिये लीलो	2016–17	0.00
41	132 केव्ही लाइन	तामोट के लिये मंडीदीप-होशांगाबाद लाइन का लीलो	2016–17	2.40
42	132 केव्ही लाइन	132 केव्ही श्यामगढ़ सब-स्टेशन पर बड़ोद-गरोठ लाइन का लीलो	2016–17	0.00
43	132 केव्ही लाइन	132 केव्ही बड़ामल्हेरा सब-स्टेशन पर टीकमगढ़-बीजावर लाइन का लीलो	2016–17	0.00
44	132 केव्ही सब-स्टेशन	क्षिप्राविहार	2014–15	8.00
45	132 केव्ही सब-स्टेशन	जोबट	2014–15	12.72
46	132 केव्ही सब-स्टेशन	देओरी	2014–15	10.62
47	132 केव्ही सब-स्टेशन	मडवास	2014–15	10.62
48	132 केव्ही सब-स्टेशन	धिमरखेड़ा	2014–15	10.62
49	132 केव्ही सब-स्टेशन	नलखेडा	2015–16	10.41
50	132 केव्ही सब-स्टेशन	मुंगावली	2015–16	14.81
51	132 केव्ही सब-स्टेशन	पीथमपुर (एसइजेड-2)	2016–17	0.00
52	132 केव्ही सब-स्टेशन	बड़ा मल्हेरा	2016–17	0.00

परिशिष्ट— 2.1.2

मेसर्स आइसोलक्स को प्रदत्त अनुबंध में सम्मिलित कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति (कॉडिका 2.1.22 में संदर्भित)

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	मार्च 2014 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2015 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2016 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2017 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)
1	220 केव्ही सब-स्टेशन सिरमौर	3	21	84	96
2	132 केव्ही सब-स्टेशन बड़गांव	2	37	80	87
3	132 केव्ही सब-स्टेशन लटेरी	निरंक	24	77	96
4	132 केव्ही सब-स्टेशन इन्दरगढ़	निरंक	32	42	97
5	132 केव्ही सब-स्टेशन बैरठ	2	21	23	94
6	132 केव्ही सब-स्टेशन करपगाँव	2	18	24	24
7	132 केव्ही सब-स्टेशन बरही	3	9	19	19
8	रीवा 220 केव्ही सब-स्टेशन—सिरमौर 220 केव्ही सब-स्टेशन लीलो	निरंक	35	100	100
9	मालनपुर—अम्बाह 132 केव्ही लीलो लाइन	निरंक	98	100	100
10	लटेरी सब-स्टेशन पर 132 केव्ही सिरोंज—मकसूदनगढ़ लीलो लाइन	निरंक	19	100	100
11	132 केव्ही दतिया—इन्दरगढ़ लाइन	निरंक	29	55	55
12	132 केव्ही शिवपुरी—बैरठ लाइन	2	37	43	43
13	132 केव्ही चीचली—करपगाँव	निरंक	6	6	55
14	132 केव्ही कैमोर—बरही	निरंक	8	10	55
15	132 केव्ही सागर—राहतगढ़ लाइन	निरंक	7	19	64
16	132 केव्ही सिरमौर—कटरा लाइन	निरंक	17	25	25
17	132 केव्ही ग्वालियर—डबरा लीलो लाइन	निरंक	20	20	44
18	132 केव्ही कटरा सब-स्टेशन पर प्रथम फीडर बे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	मार्च 2014 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2015 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2016 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)	मार्च 2017 को कार्य पूर्णता की स्थिति (प्रतिशत में)
19	132 केव्ही कटरा सब-स्टेशन पर द्वितीय फीडर बे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20	220 केव्ही दतिया सब-स्टेशन पर फीडर बे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21	220 केव्ही शिवपुरी सब-स्टेशन पर फीडर बे	निरंक	20	33	33
22	132 केव्ही कैमोर सब-स्टेशन पर फीडर बे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23	220 केव्ही चीचली सब-स्टेशन पर फीडर बे	निरंक	28	28	28

परिशिष्ट-2.1.3

220 केव्ही सब-स्टेशनों से बिजली प्रदाय करने हेतु ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यों में देरी

(कंडिका 2.1.25 में संदर्भित)

सब-स्टेशन का नाम/ स्थापना की तिथि	बिजली प्रदाय करने हेतु प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइनों	दिसम्बर 2017 को कार्य की स्थिति तथा कार्य में विलम्ब के कारण	सब-स्टेशन पर दर्ज अधिकतम भार (प्रतिशित में)
220 केव्ही मुगलियाछाप/ जून 2016	पत्रकार कालोनी सब-स्टेशन पर 132 केव्ही मुगलिया छाप—एमएसीटी लाइन	योजना शाखा द्वारा प्रारंभिक अनुमान 132 केव्ही मुगलिया छाप—पत्रकार कालोनी लाइन हेतु तैयार (अप्रैल 2014) किया गया था, लेकिन लाइन के मार्ग में वन भूमि से बचने के लिए, योजना शाखा द्वारा पत्रकार कालोनी सब-स्टेशन पर 132 केव्ही मुगलिया छाप—एमएसीटी लीलो लाइन का अनुमान मार्च 2016 में तैयार किया गया था। चूंकि, 132 केव्ही मुगलिया छाप—एमएसीटी लाइन का निर्माण नहीं किया गया था जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।	10 (स्थापना की तिथि से दिसम्बर 2017 तक)
	132 केव्ही मुगलिया छाप—एमएसीटी लाइन	योजना शाखा द्वारा कार्य को प्रारंभ न करने के कारण, अनुमानों को तैयार करने में प्रारंभिक विलम्ब हुआ था, जिसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। जैसा कि अनुमान विलम्ब के साथ मार्च 2016 में तैयार किये गये। जिसके फलस्वरूप, 220 केव्ही मुगलिया छाप सब-स्टेशन की स्थापना के पश्चात सितम्बर 2016 में प्रोक्योरमेंट शाखा द्वारा लाइन हेतु कार्यादेश जारी किया गया। केवल 62 प्रतिशत ट्रांसमिशन लाइन का कार्य ही अब तक पूर्ण किया गया है।	
	132 केव्ही मुगलिया छाप—सिहौर लाइन	कार्य प्रगति पर है। प्रोक्योरमेंट शाखा द्वारा लाइन कार्य हेतु सामग्री ¹ के प्रदाय में देरी, विलम्ब का कारण था।	
	132 केव्ही मुगलिया छाप—बिलकिसगंज लाइन	योजना शाखा द्वारा कार्य प्रारंभ न करने के कारण, अनुमानों को तैयार (सितम्बर 2016 में तैयार हुए) करने में प्रारंभिक विलम्ब हुआ था, जिसके कारण लेखों में दर्ज नहीं थे। उसी समय, मार्च 2016 में प्रोक्योरमेंट शाखा ने लाइन हेतु कार्यादेश जारी किया। कम्पनी के अधिकारीयों ² द्वारा बार-बार लाइन की प्रोफाइल तथा ड्राइंग में बदलाव के कारण, ट्रांसमिशन लाइन का केवल 25 प्रतिशत कार्य ही अब तक पूर्ण किया गया है।	
220 केव्ही ग्वालियर-2/ मार्च 2015	132 केव्ही ग्वालियर 2 –हस्तिनापुर लाइन	सब-स्टेशन की स्थापना से 9 महीने की देरी के साथ दिसम्बर 2015 में पूर्ण हुई तथा सब-स्टेशन से जोड़ी गयी।	17 (स्थापना की तिथि से दिसम्बर 2017 तक)
	132 केव्ही लीलो ग्वालियर 2 से डबरा लाइन	ठेकेदार (मेसर्स आइसोलेक्स इन्जीनीरिंग) कार्य हेतु सामग्री एवं मानवशक्ति प्रदाय करने में असफल रहे तथा कार्य बंद कर दिया गया (अप्रैल 2016)। ठेकेदार का खराब निष्पादन कंडिका 2.1.22 में वर्णित किया गया है।	
220 केव्ही सिरमौर/ अक्टूबर 2015	132 केव्ही सिरमौर—कटरा	ठेकेदार (मेसर्स आइसोलेक्स इन्जीनीरिंग) कार्य हेतु सामग्री एवं मानवशक्ति प्रदाय करने में असफल रहे तथा कार्य बंद कर दिया गया (अप्रैल 2016)। ठेकेदार का खराब निष्पादन कंडिका 2.1.22 में वर्णित किया गया है।	21 (स्थापना की तिथि से दिसम्बर 2017 तक)

¹ आवश्यक सामग्री की क्रय प्रक्रिया निर्माण कार्य के कार्यादेश जारी होने के बाद प्रारंभ हुई। परिणामस्वरूप सामग्री की आपूर्ति ठेकेदार को समय पर नहीं की जा सकी।

² मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण यंत्री (ईएचटी—सी), भोपाल, कार्यपालन यंत्री (ईएचटी—सी), सम्भाग-2, भोपाल

परिशिष्ट –3.1

एमपीआरडीसी द्वारा रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क की कम वसूली और देरी से हुए भुगतान पर ब्याज वसूला न जाना
(कॉडिका –3.5 में संदर्भित)

क्र. संख्या	परियोजना का नाम	राजमार्ग संख्या ¹	बीओटी ² मोड	अनुबंध की तारीख	रियायतग्राही का नाम	रियायतग्राही से बकाया आईई शुल्क ³ (₹ लाख में)	दावा करने में विलम्ब (दिनों में रेंज)	दावा करने में विलम्ब पर ब्याज हानि (₹ लाख में)	रियायतग्राही से हुई वसूली ⁴ (₹ लाख में)	कम वसूली (₹ लाख में)	आईई शुल्क के भुगतान में देरी (दिनों में रेंज)	वसूली योग्य ब्याज राशि (₹ लाख में)
1	देहरदा–इसागढ़	एस एच –10	टोल+वार्षिकी	19.04.2011	मैसर्स गंगोत्री देहरदा इसागढ़ टोलवेज प्रा. लिमिटेड	211.04	34–384	11.44	39.45	171.60	799–1,865	100.06
2	उज्जैन सिंहरथ	बाइपास	टोल + वार्षिकी	12.06.2013	मैसर्स उज्जयनी हाईवेज प्रा. लिमिटेड	68.53	0–100	0.86	66.04	2.49	258–698	12.56
3	बैतूल–सारणी–परासिया	एस एच– 43	टोल + वार्षिकी	20.05.2013	मैसर्स डीबीएल बैतूल सारणी टोलवेज लिमिटेड	323.75	10–183	7.11	277.49	46.26	187–670	49.79
4	लखनादेन–घासोर	एस एच –40	टोल	22.09.2011	मैसर्स टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	134.73	1–341	6.56	119.16	15.57	21–768	10.68
5	झाबुआ–जोबट–कुक्की	एस एच– 39	टोल	23.05.2011	मैसर्स गंगोत्री झाबुआ जोबट कुक्की टोलवेज प्रा. लिमिटेड	289.13	11–302	12.31	82.25	206.88	397–1,209	76.99
6	खडवा–देहतलाई–बुरहानपुर	एस एच– 50	टोल	28.07.2011	मैसर्स खडवा एग्रो पाथवेज प्रा. लिमिटेड	282.44	0–373	8.10	90.21	192.22	31–1,051	45.62
7	रीवा–एमपी यूपी सीमा	एन एच–7	टोल	25.01.2012	विध्याचल एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	363.01	1–268	8.18	315.51	47.51	63–243	6.88
8	व्यावरा–एमपी राजस्थान सीमा रोड़	एन एच –12	टोल	26.07.2013	मैसर्स एग्रोहा व्यावरा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	156.02	1–239	10.14	0.00	156.02	40–514	28.16
9	दमोह–कटनी	एस एच– 14	टोल+वार्षिकी	04.06.2013	मैसर्स बंसल पाथवेज (दमोह–कटनी) प्रा. लिमिटेड	236.28	5–194	7.38	236.28	0.00	86–635	31.07
10	रतलाम–सैलाना	एस एच –39	टोल+वार्षिकी	17.05.2013	मैसर्स एग्रोहा टोल रतलाम टोलवेज प्रा. लिमिटेड	119.75	16–170	2.62	119.75	0.00	79–767	20.65

¹ एसएच = राज्य राजमार्ग और एनएच = राष्ट्रीय राजमार्ग

² बिल्ड –आपरेट– ट्रांसफर

³ स्वतंत्रा अभियंता शुल्क

⁴ 31 मार्च 2017 की स्थिति में

क्र. संख्या	परियोजना का नाम	राजमार्ग संख्या ¹	बीओटी ² मोड	अनुबंध की तारीख	रियायातग्राही का नाम	रियायातग्राही से बकाया आईई शुल्क ³ (₹ लाख में)	दावा करने में विलम्ब (दिनों में रेंज)	दावा करने में विलम्ब पर ब्याज हानि (₹ लाख में)	रियायातग्राही से हुई वसूली ⁴ (₹ लाख में)	कम वसूली (₹ लाख में)	आईई शुल्क के भुगतान में देरी (दिनों में रेंज)	वसूली योग्य ब्याज राशि (₹ लाख में)
11	गुना-आरोन-सिरोंज	एस एच -23	टोल+वार्षिकी	10.02.2015	मैसर्स बंसल पाथरे (गुना-सिरोंज) प्रा. लिमिटेड	80.51	0-520	7.23	80.51	0.00	36	1.02
12	गोमी-उदोतगढ़	एस एच -19	टोल	29.09.2012	मैसर्स वीकेएस गोमी उदोतगढ़ कॉरिडोर प्रा. लिमिटेड, भोपाल	88.26	0	0.00	88.26	0.00	566	17.59
महायोग						2,353.45	0-520	81.93	1,514.91	838.55	21-1,865	401.07

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in